मेरी तीर्थरूप माताजी
स्व० गोपिकाबाई मावलंकर

जन्म : १८६८ स्वर्गवास : ७-१०-५१

मातुश्री तीर्थरूप
स्व. बाओी के
चरणोंमे

—ग. वा. मावलंकर

प्रकाशकीय निवेदन

कुछ समय पहले पूज्य काकासाहबने बताया था कि कुछ विदेशी तथा भारतीय भाषाओंमें प्रकाशक मिलकर अच्छी चुनी हुअी पुस्तकोंके संयुक्त प्रकाशन करते हैं। अुनसे अेक तो आजके प्रतिस्पर्धात्मक वायु-मंडलमें पारस्परिक सहयोगकी भावनाका बीजारोपण होता है। दूसरे लोकोपयोगी पुस्तकोंको प्रकाशकोंकी संगठित शक्ति अेवं साधनोंका लाभ मिल जाता है। अुन्होंने अिच्छा प्रकट की कि हिन्दीमें भी अिस परिपाटीको चालू किया जा सके तो हिन्दीके पाठकोंके लिये वह बड़ी हितकर बात होगी।

काकासाहबकी अिसी अिच्छाको ध्यानमें रखकर, प्रयोगके रूपमें, प्रस्तुत पुस्तकका प्रकाशन हिन्दुस्तानी प्रचार सभा वर्धा और सस्ता साहित्य मंडल नअी दिल्लीके द्वारा संयुक्त रूपसे किया जा रहा है। दोनों प्रकाशन-संस्थाअें सामान्य ध्येयको सामने रखकर अपना-अपना कार्य कर रही हैं। अिसलिये यह आशा करना स्वाभाविक ही होगा कि यह प्रयोग आगे भी चलता रहेगा।

हमें अिस बातकी बड़ी खुशी है कि अिस शुभ कार्यका प्रारंभ अेक बहुत ही भावपूर्ण पुस्तक से हो रहा है। अिस किताबकी कहानियाँ गुजरातीमें 'मानवताना झरणा' और मराठीमें 'मानवतेचे पाझर' के नामसे प्रकाशित हो चुकी हैं।

हिन्दीमें अिन कहानियोंका अनुवाद गुजरातीसे किया गया है। अंतिम तीन कहानियाँ गुजराती संग्रहमें आनेसे रह गअी थीं। वे मराठीसे ली गअी हैं और अुनका अनुवाद श्री. प्रभाकर माचवेने किया है।

हमें विश्वास है कि अिस अभिनव प्रयोगको हिन्दी-भाषी पाठकोंका हार्दिक समर्थन और सहयोग प्राप्त होगा।

दूसरा संस्करण

बड़े हर्षकी बात है कि थोड़े ही समयमें पुस्तकका द्वितीय संस्करण पाठकोंके हाथोंमें पहुँच रहा है। अिस प्रकारकी हृदयस्पर्शी यथार्थ कहानियाँ भारतीय साहित्यमें कम ही मिलती हैं। अतः हिन्दीमें अिन रचनाओंको अितना आदर प्राप्त हुआ, यह अुचित ही है। आगे और भी अधिक लोकप्रियता प्राप्त होगी, अैसी आशा है।

विषय-सूची

भूमिका

"जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार ।
संत हंस गुण गर्हाहि पय, परिहरि वारि विकार ॥"

तुलसीदासजीके अिस दोहेको गावीजीने अपने जीवनमें अितना ओत-प्रोत कर रखा था कि अिसे अक्सर वे मित्रोंके सामने दोहराते थे। वात तो अिस दोहेमे सीधी-सादी-सी है; पर सीधी और सही वातको भी सभी हृदयगम नही कर पाते। यदि सही वात सवके दिमागमें वैठ जाय तो दुनियाका सारा टटा ही समाप्त हो जाय। मावलकर दादा जव कारा-गारमे वद थे तव खूनी वदियोपर अुन्होने अूपरके अिस सीधे-सादे सत्यका प्रयोग किया था। अुस प्रयोगकी कहानी ही अिस पुस्तकका विपय है।

कारागृहके वासियोसे दादासाहवकी अितनी अधिक घनिष्ठता हो गयी कि कैदी अुन्हें 'गुरु महाराज' के नामसे पुकारने लगे। पर दादासाहव केवल 'गुरु महाराज' ही नही रहे, अुनके शिष्य भी वने। हसकी तरह 'नीर-क्षीर-विवेक' द्वारा अपने सत-स्वभावका अनुसरण कर, अुन्होने वहुतोंके गुण ग्रहण किये और अनेकोको अपना गुरु वनाया। जो निम्नसे भी निम्नको गुरु वना सकता है, अर्थात् "जड चेतन गुण दोषमय" वस्तुओंसे कुछ-न-कुछ सीख सकता है, वही गुरु वननेका भी अधिकारी होता है। अिसलिये दादासाहव यदि 'गुरु महाराज' वने तो अिसी वलपर कि अुन्होने हस या संत वनकर नीर-क्षीरका पृथक्करण किया और खूनियोंसे भी गुण सीखा।

प्राचीनकालमें न तो सव-किसीमे लिखनेकी शक्ति थी और न थी मुद्रणकला ही। अिसलिये कम-से-कम पुस्तकें अुस ज़मानेमे लिखी जाती थी, पर जो लिखी जाती थी अुनका अध्ययन वहुत गहरा होता था। सैंकडों सालो मे छ. शास्त्र और कुछ अिने-गिने पुराण लिखे गये। पर जो लिखा गया वह था वहुत ठोस। अिसलिये आज भी अुस प्राचीन साहित्यका नयेकी अपेक्षा ज्यादा चलन है, क्योकि अुस प्राचीनके पीछे कुछ सद्हेतु है और

वह यह कि पढ़नेवालोंको कुछ जीवनका तत्व मिले। अिस ज़मानेमें हज़ारों पुस्तकें हर साल छपती है और लाखो मनुष्य अिन पुस्तकोंके पन्ने अुलट-पलटकर सरसरी तौरपर अिन्हे पढ जाते है। पर क्या पढ़ा था, अिसे जल्दी ही भूल भी जाते है, क्योंकि अिस नवीन साहित्यमे अक्सर सारभूत मसाला नहींके वरावर रहता है। अिसलिये दिमागपर अिसकी कोअी छाप नही रह जाती। अिस दृष्टिसे दादासाहव की यह मौलिक अनुभवजन्य पुस्तक, जो रुचिकर शैलीमें लिखी गयी है, हिन्दी भाषा-भाषियोंके लिये स्वागतकी चीज है।

तत्व अिस पुस्तक मे यह है कि अीश्वरके अिस विश्वमें कोअी भी प्राणी, चाहे वह कितना ही पापी क्यो न हो, धिक्कार या द्वेषका पात्र नही हो सकता। अीश्वर सबमें है और सव अीश्वरमें है, अिस वेदांत-वाक्यका दर्शन हम हर मनुष्यके चरित्रमें कर सकते हैं। ढूंढ़ें तो हमें सभी जगह सोना मिलेगा। "जिन खोजा तिन पाअियाँ गहरे पानी पैठ।" जो गहरे अुतरते है, अुन्हें मिट्टीमें से सोना मिलता है। "वुरा जो खोजन मैं चला, वुरा न दीखा कोय", क्योंकि सोनेकी खानमे अुतरनेवालोकी दृष्टि मिट्टी और कीचड़पर नही पड़ती। मिट्टी मे जो प्रच्छन्न सोना है, अुसीपर जौहरीकी नज़र जा गड़ती है। दादासाहवकी नज़र खूनी हृदयमें जो प्रच्छन्न सोना था अुसीपर जा गड़ी, जिसका विवरण अुन्होने रोचक ढंगसे अिस पुस्तकमे दिया है। यह पुस्तक पाठकोंके लिए अेक चुनौती भी है जो यह आवाहन देती है कि हर मनुष्य अपने अिर्द-गिर्द कीचड़में पड़े सोनेको ढूंढे, क्योंकि जिसमें सोना छिपा है अुस मिट्टी की अुपेक्षा और घृणा करके हम सोना खो वैठते हैं और प्रकारांतरमें अपने आपकी ही हम हानि करते हैं।

भर्तृहरिने कहा कि "जव मैंने थोड़ा-सा जाना तो अैसा माना कि मैं सव-कुछ जान गया। पर जव ज्यादा जाना तो वात समझमे आयी कि अभी कोरा नादान हूँ।"

"यदा किंचिज्ज्ञोऽहं द्विप अिव मदान्ध समभवम्।"

अज्ञ और विज्ञमें यही वड़ा भारी भेद है। अज्ञ अिसी भ्रमके चक्करमें फँसा रहता है और समझता है कि वह सवकुछ जानता है। विज्ञ अपनी

मर्यादा पहचानता है और जानता है कि हम अपने आपको ही पूरा नहीं जानते तो दूसरोंपर निर्णय कैसे दे सकते है। अेक छोटी-सी मिसालके लिये, हमारे अिस शरीरके भीतर क्या रचनायें हैं ? किस तरह हमारे विना प्रयास और हमारी विना जानकारीके हमारा हृदय अेक घटेमे करीव छः मन रक्तको साढे चार हज़ार मर्तवा हमारे शरीरके कोने-कोनेमें ढकेलता और वापस लेता है, किस तरह यदि शरीरके तमाम अणु-परमाणुओंके आकाशको हम समेट लें, तो परिणामतः शरीरकी विशालता खत्म होकर अेक अितना छोटा ठोस अणु रह जाता है, जो सूक्ष्म-दर्शक यत्रके विना आखोंसे दिखाअी भी नही दे सकता, अिस हमारे अपने शरीरकी अिस विचित्र रचनाको भी हम कहाँ जानते है। और जब हम अपनी अिन स्थूल क्रियाओंको नही जानते तो फिर अपने सूक्ष्म गुण-दोषोंकी तो हमें परख ही कहाँ है ? जब हम अपने आपको ही नही पहचानते तो परायेको हम जान गये, यह दावा वालूकी भीत-जैसी भावना है। दत्तात्रेयने अिसलिये पशु-पक्षियोंको भी गुरु बना लिया था। यही अुनके ज्ञानकी निशानी थी। पापी कहे जानेवालोंके प्रति नफ़रत, यह हमारे अज्ञानका प्रदर्शन है।

मनुष्यका मानस बडा विलक्षण है। मनुष्य-हृदयमें न अेक रस सत्व रहता है, न रजस् और तमस्। समुद्रकी लहरकी तरह अेक गुण आता है, तो दूसरा जाता है। कभी-कभी साथ ही दोनों टक्कर मारते है। जो गुण जिस समय आता है वह अपना खेल अुस समयके लिये दिखाता है। "रजस्तमश्चाभिभूय सत्व भवति भारत। रज. सत्वं तमश्चैव तम सत्व रजस्तथा" गीताने भी हमें यही बताया है। गुणोंके अिस अुतार-चढावका साक्षात् दर्शन अिस पुस्तकके कुछ नायकोंके चरित्रोंमें होता है। यह दर्शन हमारी कुठित वुद्धिको विशाल बनानेमे सहायक होगा।

वैसे तो अिसमे कअी चरित्र है, पर महमद मूसा और शिवराम अिन दो ख़ूनियोंकी कहानियाँ अध्ययनके लायक है, क्योंकि दोनोंके हृदयमे सत्व, रज, तमका युद्ध चला और अतमे जब सत्वका प्रभाव बढा तब अुन्होंने अनासक्तिसे मृत्यु पर विजय पाअी, निर्भय होकर मृत्युका सामना किया।

महमदकी स्त्री बदचलन थी। महमदको अुसका पता चला और अुसने क्रोधमे आकर अुसपर छुरीसे वार किया और वह मर गअी। जैसा कि

होता है, वकीलोने अपराधको अस्वीकार करनेकी सलाह दी। महमदने वैसा ही किया; पर तो भी अन्तमे फाँसीकी सजा हुअी। अब जो कुछ हो सकता था वह अितना ही कि महमदकी तरफसे दया-भिक्षाकी प्रार्थना की जाय। दादासाहबने महमदसे कहा, "मनुष्यका शरीर नश्वर है, अिसलिये सच ही बोलना चाहिये।" पर फिर दादासाहबको लगा कि कभी "परोपदेशे पाडित्यम्" वाली बात तो मै नही कर रहा हूँ? अिसलिये दादासाहबने अपना आग्रह छोड दिया और महमदके पास जाना भी छोड़ दिया। पर उनके न जानेसे महमदको बुरा लगा। खैर, अन्तमे दादासाहबने दया-भिक्षा का आवेदन-पत्र भिजवाया, जिसमे महमदसे अपने दोषको स्वीकार करवाया, पर अिसका भी कोअी फल नही हुआ। फाँसीकी सज़ा कायम रही।

अब जैसे-जैसे फाँसीका दिन नज़दीक आने लगा, महमद मृत्युके लिए अधिकाधिक तैयार होने लगा। अुसकी अनासक्ति बढ़ गअी। देह-सबधी अुसकी अनास्था सपूर्ण हो गअी, मानो गीताके तत्वज्ञानका अुसे साक्षात्कार हो गया। मृत्युका समय निकट पहुँचा तब महमदने खाना छोड दिया और करीब-करीब केवल दूध पर ही रहने लगा। पहरा देनेवाले सतरियो-को अिससे चोट लगी। दादासाहबसे अुन्होने कहा, "दादासाहब, हम फाँसीवाले कैदियोंको फाँसीके तख्ते पर ले जाकर अुन्हे वहाँ लटका हुआ देखनेवाले लोगोमेंसे है, फिर भी अुन कैदियोंके प्रति हमे हमदर्दी है। अिस तरहके दृश्य देखकर भी हमारे दिल निष्ठुर नही हुअे है। अिसलिये महमदका अनशन हमे परेशान करता है। आप अुसका अनशन तुड़वा दे तो हमारे दिलको शाति मिलेगी।" महमदसे जब दादासाहबने भोजन लेनेके लिये आग्रह किया तो महमदने कहा, "दो-चार दिनके अदर ही मुझे खुदाके दरबारमें जाना है। वहाँ देह और मनको पाक करके जाना चाहिए। अगर मै खाना जारी रखूँ, तो मुमकिन है कि फाँसीके वक्त टट्टी और पेशाब हो जाय और मेरी यह देह नापाक हो जाय।" अुत्तरमे महमदकी अीश्वर-श्रद्धा और निर्भयता दोनोका समावेश था।

मरनेसे अेक रोज पहले महमद सारी रात माला फेरता रहा। सुबह गर्म पानी मँगवाकर स्नान किया। स्नानके बाद प्रार्थना की और बादमें निर्भय होकर फाँसीपर चढ गया।

शिवरामने भी गुस्सेमें आकर अेक स्त्रीका खून किया और दादासाहबके प्रयास करनेपर भी अुसकी फाँसीकी सजा कायम रही। मरनेका समय आया। रातभर शिवराम विठोबाके पद गाता रहा। अंत समयमें जब मजिस्ट्रेटने अपराधके बारेमें पूछा तो अुसने साफ स्वीकार किया कि "यद्यपि मेरा खूनका अिरादा तो नहीं था तो भी खून मैंने किया है और जो सजा मिली है वह न्याय्य है।" फाँसीके तख्ते पर चढते हुअे अुसने एकत्र अफसरोंने कहा "साहबान्, रातको मैंने पांडुरंगका अेक बहुत अच्छा भजन बनाया है, आप अुसे सुनें।" यह कहकर वह अूँचे स्वरसे भजन गाने लगा और गाते गाते अुसने देह-विसर्जन किया।

ये सब अनोखी घटनायें हैं, जो हमें बताती हैं कि मनुष्य-स्वभाव किस तरह क्षण-क्षण पर बदलता है। कभी अच्छी लहर तो कभी बुरी लहर आती है। बुरी लहरको मार भगाना और अच्छीको जकडके पकड लेना यही धर्म और व्यवहार है, जो गीता और शास्त्र हमें सिखाते हैं। अिन कैदियोंने अपढ होते हुअे भी अंत मौकेपर सत्‌को कैसे पकडा और तमस्‌-पर कैसे विजय पाओ, यही अिस पुस्तकका सारभूत है। मावलकर दादाकी अिस पुस्तकमें पाठक केवल मनोरंजन ही नहीं, नीति और धर्मकी भी झांकी पायेंगे।

नअी दिल्ली,
३ जून, १९५३

—घनश्यामदास बिड़ला

प्रयोजन

अिस पुस्तकमें वर्णित प्रत्येक प्रसग सत्य घटना है । लेखककी कल्पना-शक्ति द्वारा निर्मित रगोसे अिन प्रसगोको चित्रित नही किया गया है। अिसमें जो संवाद हैं, अुनकी भाषा अुस समयकी नही, किन्तु अुनका आशय शत-प्रतिशत सत्य है ।

अिन कथाओको लिखनेकी प्रेरणा मुझे कैसे मिली? मुख्य कारण है आत्म-सन्तोष। अपने जीवनके वीते भाग पर दृष्टि डालकर पुराना जीवन स्मरण द्वारा फिर जीनेमें अेक प्रकारका आनन्द मिलता है। आत्म-कथा लिखनेका मुख्य कारण यही होता है। आत्म-विज्ञापन करना, अथवा लोगोको शिक्षा देना या सुन्दर भाषाका साहित्य-सर्जन करना आत्म-कथाके मुख्य अुद्देश्य नही होते, फिर भी अिस दृष्टिकी छाप न्यूनाधिक अंश मे होनी स्वाभाविक है।

अनेक वर्षोंसे मेरे मनमें यह खयाल रहा है कि मुझे अपनी आत्मकथा लिखनी है। अिस खयालका निमित्त कारण यह हुआ कि मेरे कुटुम्बका अितिहास लिखनेका काम मेरे प्रिय कुटुम्बीजनोंने हाथमें लिया और मुझसे मेरी शाखाके पुरुषोका विवरण माँगा। अुस समय मेरे पिता, दादा और अुनके वडोंके वारेमे मैं वहुत थोड़ी जानकारी दे सका। कुछ पुराने कागज़-पत्रो और मेरी माता और दादीसे सुनी जानकारीपर आधार रखकर मुझे चलना पड़ा। अिससे मुझे अैसा प्रतीत हुआ कि प्रत्येक मनुष्यको अितिहासके साधन-रूपमें अपनी भावी पीढियोंके लिअे अपने जीवनकी जानकारी लिखनी चाहिये। अिसके अनुसार जेलमें जब मुझे (सन् १९४०–४१ और ४२–४४) समय मिला तो मैंने कुछ सामग्री लिखी; किन्तु यह काम सन् १९४२ तक आकर अटक गया।

अिसी सिलसिलेमें सन् १९४२–४४ के अर्सेमें मैं वीस महीने सावर-मती जेलमे रहा। अुस समयके संस्मरण लिखनेका विचार जेलसे छूटा

तभीसे किया हुआ था। किन्तु अनेक प्रवृत्तियोंके कारण अुसपर अमल नही किया जा सका। अिन कथाओसे यह भी नही कह सकता कि अुस विचारको पूरा-पूरा अमलमे ले आया हूँ।

९ अगस्त १९४२ के दिन हम वड़ी सख्यामें जेलमे आये। अिसका पहला परिणाम यह आया कि जेलके अधिकारियोंके लिये हम लोगोको सामान्य कैदियोसे अलग रखना असभव हो गया। सरकारी नियमोकी दीवार बिलकुल टूट तो नही गअी, किन्तु अुसमे वडी-वडी दरारे अवश्य पड गअी। जेलवालोने राजनीतिक कैदियो और अपनी सुविधाकी ख़ातिर हमको सामान्य कैदियोसे अलग चौक (यार्ड) में रखा था।

अिस वार जेल-अधिकारियोके सामने काग्रेसी क़ैदियोके वारेमे अनेक गुत्थियाँ और सघर्षो के प्रसग अुठते थे। अधिकारियोमें काग्रेसी कैदियोके प्रति काफी सहानुभूति थी और अिसलिये वे नामके लिए जेल-नियमोका पालन करते चलते थे। अनेक मामलोमे वे छूट दे देते थे और काग्रेसी कैदियोंके वारेमें पारस्परिक समझौते और चर्चासे जेल-प्रवन्ध चलता था।

अिस परिस्थितिका लाभ अुठाकर अेक दिन मैने सुपरिटेडेटसे प्रार्थना की कि "मुझे थोडा कानूनका ज्ञान है, अिसलिअे मेरी यह अिच्छा है कि यहाँ जो साधारण कैदी आते है, अुनमेसे किसीको अपील करनी हो या सरकारको कोअी अर्ज़ी भेजनी हो तो मै अुसके मामलेकी जाच-पडताल करके अुसकी योग्य सहायता किया करूँ, विशेषकर फाँसीके कैदियोंसे रोज मिलनेका अवसर मुझे प्रदान करे तो मै आपका अत्यन्त आभारी होअूँगा।"

सुपरिटेंडेंट समय देखकर काम करते थे। सन् १९१२ में बगालके क्रांतिकारी दलोंके शिक्षित और भावनाशील युवकोको जब दस-दस, वीस-वीस वर्षकी सजाये हुअी और अुन्हे जेल भेजा गया तो लार्ड हार्डिजने सरकारी अधिकारियोको यह सूचना दी थी कि 'जेल-शासन-तत्रके अधि-कारियोको यह याद रखना चाहिए कि अुनके पास आये कैदी साधारण कोटिके व्यक्ति नही है। वे असाधारण और महान् देशभक्त है। आज जेलके कैदी है, कल ये सरकारके सलाहकार वननेवाले है। अिस वातको ध्यानमे रखकर अुनके साथ सम्मान और विवेकका व्यवहार करना चाहिये।"

सावरमती जेलके सुपरिटेंडेंटको मानो अिस वातका पता हो, अिस तरह अुन्होने अपना आचरण रखा था।

अिस प्रकार साधारण कैदियोंसे मिलनेकी मुझे छूट मिली और अिसका मैंने पूरा-पूरा लाभ अुठाया। जैसे-जैसे समय वीतता गया, वैसे-वैसे जेल-अधिकारियोको यह मालूम होता गया कि मेरे सम्पर्कसे कैदियोपर वुरा असर नही होता। अिसलिअे जेलके कैदियोसे मिलनेकी छूट किसी प्रकार मर्यादित होनेके वजाय जेलमें यह परंपरा पड़ गअी कि मै जव और जिस समय जिस कैदीसे मिलना चाहता, मिल सकता था। अिस कारण कैदियोकी जीवन-पुस्तकमें से मै कुछ-कुछ पढ़ पाया।

जेलमें अनेक किस्से जाननेको मिले, अनेक कैदियोंके हाल-चाल मालूम किये। वे अपने-अपने ढंगसे वोधप्रद पर रोमाचक है, किन्तु अुन सवका संग्रह करने जितना समय नही। आवश्यक भी नही है। अिसलिये थोड़ेसे प्रसंग लिखे है।

जेलकी दुनियाके वारेमें हम लोगोंमें अनेक गलत और विकृत खयाल हैं। लोग अैसा मानते मालूम होते है कि जेलमें तो केवल डाकू, चोर, लुटेरे, खूनी, झूठ अथवा अनैतिक आचरण करनेवाले ही होते है और समाजकी स्वच्छता मानो जेलके वाहर ही है! जेल अर्थात् समाज की गदगी और कूड़ा-कर्कट! मै अिस धारणाका खडन करता हूँ। जेलके भीतर वन्द कैदियोकी अपेक्षा समाजमें प्रतिष्ठा-प्राप्त जेल के वाहर रहनेवाले गुनहगारोकी संख्या अधिक होगी और यह समाजके लिये अधिक हानिकारक और भयंकर वात है। नि सन्देह अिस विषयमें मतभेद हो सकता है। जेलमें मुझे साधारण कैदियोंमें जो हिम्मत, सच्चाअी, त्याग-वृत्ति और कृतज्ञता आदिकी भावना दिखाअी दी, वह जेलके वाहर शिक्षित माने जाने-वाले लोगोमें दिखाअी देनेवाली भावनाकी अपेक्षा अधिक अुच्च कोटिकी प्रतीत होती है। अिसमें अपवाद तो हो ही सकते हैं। समाजको अूंचा अुठानेका प्रयास करनेवाले सेवको और सरकारको जेलकी तरफ अिस दृष्टिसे देखना चाहिये। जेल का स्वरूप क्या होना चाहिए, मनुष्यका सुधार करनेके लिये सजाका अुपयोग कितना हो सकता है, मौतकी सजाका परिणाम कुल मिलाकर आजतक क्या आया है, अिन प्रश्नो पर

सम्पूर्ण और गहरा विचार किया जाना चाहिये। गुनाह और गुनहगारों और गुनाहोकी रोकथामके अुपायोंके बारेमें मुझे लगता है कि अब विचार करनेका समय आ गया है। मै यह भी कह सकता हूँ कि यह सवाल अेक प्रकारसे समाज-शिक्षणसे सम्बध रखता है।

अिन कथाओमेसे अनेक कथाये सत्यके माहात्म्यका रहस्य समझाने वाली है। सत्यसे हानि तो शायद ही होती है, किन्तु अगर हानि-लाभका हिसाब लगावें तो हानिकी अपेक्षा लाभ ही अधिक होता है। सत्यका यह व्यावहारिक पहलू लोगो, विशेषकर वकीलो और राजनीतिक पुरुपो के लिये समझ लेना कितना आवश्यक है, यह अिन कथाओंसे ज्ञात हो जाता है। सत्यसे पारस्परिक विश्वास बढता है, सहयोग सभव होता है और समाज अूंचा अुठता है। मेरा वकालतका और जेलका यह अनुभव है कि लोगोमें यह जो गलत धारणा फैली हुअी है कि अदालतोमें तो झूठ बोलना ही चाहिये, वह समाजके विकास और प्रगतिको रोकती है, समाजके सुखी जीवनको धूलमें मिला देती हैं।

महम्मद मूसाने सत्यका आश्रय लिया होता तो फाँसीसे बच जाता; किन्तु कानूनके सलाहकारोकी सलाहकी खातिर वह मर-मिटा। कितना करुण ! अदालतने क्या किया होता, अिस बारेमें सन्देह किया जा सकता है, किन्तु कानजीका बचाव सत्यके बिना नही होता, सत्यसे ही अुसका बचाव हुआ।

मानसशास्त्रकी दृष्टिसे कितनी ही कथाओपर विचार किया जाय तो ज्ञात होगा कि अनेक मर्तबा मनुष्यके अिरादो और विचारकी दिशाअे लगभग अतर्क्य होती है। अूपर-अूपरसे घटनाओंके कारणोकी वास्तविक कल्पना नही हो सकती। माधो अपना ओझाका धन्धा चलानेके लिये बालकोका खून करनेको तैयार होता है, यह प्रथम विचारमे माना नही जा सकता, किन्तु है यह निरा सत्य ही।

बेमेल विवाहका कैसा नतीजा निकल सकता है, यह शाहजादेके मामले से प्रकट है। बबलीको अगर योग्य वर मिला होता तो अुसकी दुनिया दूसरी ही तरहकी होती। सामाजिक प्रतिष्ठा और पैसेके लोभसे जो बेमेल विवाह होते है, अुनके परिणाम सोमाके मामलेमे देखनेको मिलते है।

पैसेके लोभसे गुपचुप अनीतिका धंधा समाजमें किस तरह चलता है, अिसका अुदाहरण शिवरामका क़िस्सा है । यह सबकुछ होते हुअे भी अिन्हीं किस्सोंपरसे हम देख सकते हैं कि जीवनमें विषय-वासनाका प्रभाव कितना प्रबल होता है, अिसमें लिप्त होनेपर राग और द्वेषके परस्पर-विरोधी भाव किस प्रकार पैदा होते हैं, मरण निश्चित होनेपर मनुष्यकी वृत्तिमें किस प्रकार आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है और गीतामें प्रतिपादित जन्म-मरणका तत्वज्ञान सामान्य मनुष्य बिना किसी पंडिताअीके किस हदतक अपने आचरणमें अुतार सकता है। अिन किस्सोंमें समाजके साधारण मनुष्योंके विचारों, आकांक्षाओं, वृत्तियों, अुनके गुण-दोषों आदिका भी दर्शन होता है।

बीस महीनोंके जेल-आवासके दरमियान मुझे अैसे सैकड़ों किस्सोंकी जाँच करने और गरीबोंके सुख-दुखमें भाग लेनेका अवसर मिला। अस्पतालके रोगियों, घरकी अुलझनोंके कारण खिन्न बने मनुष्योंके भी अनेक किस्से मैंने देखे। अिस प्रकार मानव-जीवनके अनेक पहलुओंको ठीक-ठीक देख सका, सामान्य कैदियोंकी संभव सेवा कर सका—मेरे विचारसे मेरे लिये यह बड़े सौभाग्यकी बात हुअी। और केवल अिसी कारण जेल-प्रवासका यह समय मुझे अपने जीवनमें अेक अनमोल विद्यार्थी-जीवन-सा प्रतीत होता है। राजनीतिक साथियोंका गहरा संबंध, अुनके साथ चर्चा, साथ ही लिखने और पढने तथा कातने आदिका आनंद तो मिला ही।

मैं ये कथायें लिखनेको अिस अुद्देश्यसे प्रेरित हुआ हूँ कि मुझे जो प्रतीत हुआ और मेरे मनमें जो विचार आये, अुनमें तमाम भाअी-बहनोंको भागीदार बना सकूं। अिनका मूल्यांकन करना मेरा काम नहीं।

'सेवा कुटीर'
अहमदाबाद

—गणेश वासुदेव मावलंकर

झरनोंका आचमन

मानवताके अिन 'झरनो' का आचमन करके बडी प्रसन्नता हुअी। तीर्थका जल होनेमे अिसमे विशेष महत्व और पावित्र्य है। स्व० मेघाणी की लिखी हुअी "माणसाअीना दीवा' पढनेके बाद जो सतोष अनुभव हुआ था, वही संतोष और शुचिता अिस पुस्तकमें मैने पाअी। फर्क अितना ही है कि अुस किताबमें श्री रविशकर महाराजके अनुभवोको श्री मेघाणीने शब्द-बद्ध किया था, अिस किताबमे श्री दादासाहबने महाराजके जैसे ही अपने अनुभव खुद लिखे है।

धातुका बरतन चाहे जितना दागी क्यो न हो, तेज़ाबके सामने वह तुरन्त ही सब मैल छोडकर चमकीला बनता है। मौतका साक्षात्कार भी कअी बार अिसी तरह तेज़ाबका काम करता है। मृत्युका यह माहात्म्य अिस किताबमें हर जगह देखनेको मिलता है।

अुपनिषद्के ॠषि कहते है कि सत्यका चेहरा सोनेके ढक्कनसे ढका हुआ रहता है। भगवान सूर्यनारायण ही अुसे खोल सकते है। हम यहाँ देख सकते है कि सहानुभूति जब नि स्वार्थ सेवाका रूप लेती है तब अुसका तेजस्वी प्रकाश भी सूर्यनारायणका काम करता है, और सत्यकी पहचान तो दिमागसे नही, दिलसे होती है। 'हृदयेन हि सत्य जानाति।'

शास्त्र-धर्म, प्रतिष्ठा-धर्म, कायदे कानून और अुनकी सजाअे जो कर नही पाती, सच्ची सहानुभूति वह कर सकती है।

रविशकर महाराजके और दादासाहबके अनुभवोको पढकर पाठकोका मन अवश्य द्रवित और अन्तरमुख होता है; लेकिन अितना काफी नही है। हमें मनुष्य-जीवन और अुसकी विविध प्रेरणाअोका फिरसे अध्ययन करके अपने कायदे-कानून, अपना धर्म-शास्त्र, रूढियाँ और सारे समाज-शास्त्रकी रचना नअी बुनियादपर खडी करनी चाहिये। हमारी लोक-ससदके अध्यक्ष अिस दिशामें जरूर पहल कर सकते है। अिस कार्यमे अुन्हे समानधर्मा असख्य सेवकोकी मदद अवश्य मिलेगी।

—काका कालेलकर

सत्यकी प्रतीति
(पहला खंड)

: १ :

कानजी

अेक दिन कानजी नामका अेक कैदी मेरे पास सलाह के लिअे आया। अुसपर खूनका अिल्ज़ाम लगाया गया था। मजिस्ट्रेटकी अदालतमे अुसका मुकद्दमा होने वाला था और अपने बचावके लिअे अुसने वकील किया था। वकीलने अुसे सलाह दी थी कि वह अिस तरहका बयान दे कि "मुझे कुछ मालूम नही है। मेरे दुश्मनके बहकानेसे पुलिसने मेरे खिलाफ झूठा केस किया है" और अिस प्रकार अपना बचाव करे। वह बेचारा असमंजसमे था कि वकीलकी सलाहपर चले या नही। अुसे अिस बातका लालच भी था कि शायद वकीलके कहनेके अनुसार चलनेसे, सबूतोके अभावमे, वह छूट जाय।

मैंने अुससे कहा कि जो बात हुअी हो, वह सच-सच बता दे। ऐसा करने से शायद कुछ रास्ता निकल सके। जेलमे अुसने मेरे बारेमे दूसरोसे जो कुछ सुना था, अुसके कारण मुझपर अुसकी श्रद्धा थी।

खूनकी घटना छोटी और सीधी-सादी थी। कानजी और अुसका मित्र (जिसकी मौत कानजीके हाथो हुअी थी) अेक ही मिलमे साथ-साथ काम करते थे। अेक दिन कुछ मौजमे थे, सो थोड़ी-सी दारू चढाकर दोनो अेक होटलमे चाय पीने गये। होटलके बाहर फुटपाथपर अेक बेंच पड़ी थी। उसीपर वे बैठ गये। कुछ खाने, चाय पीने और बाते करनेमे वे लग गये। अितनेमे कोअी

अैसा विषय आया कि जिससे दोनों आपसमें तन गये। वात-वातमे मित्रने कुछ अैसी वाते कही कि कानजी अेकदम अुत्तेजित हो गया और जेवसे चाकू निकालकर, मारनेके अिरादेसे नही बल्कि सबक़ सिखानेके ख़यालसे, मित्रपर वार किया। दुर्भाग्यसे हाथ ठीक कलेजे पर पड़ा और अुसका दोस्त वेचसे नीचे लुढ़क पड़ा।

कानजीको अेकदम होश आया। घबड़ाया। दु.ख भी हुआ। खूनसे लथपथ अपने मित्रको देखकर वह कॉप उठा; किन्तु अुसी क्षण विचार आया कि अब उसे पुलिस पकड़ेगी और फॉसी पर लटकना होगा।

पास ही किसीकी साअिकिल खड़ी थी। तुरन्त अुसपर सवार होकर वह भाग खड़ा हुआ। यह सब पलक मारते-मारते हो गया। होटलमे बैठे हुअे लोगोंकी अुधर निगाह गअी तबतक कानजी साअिकिलपर सवार हो गया था। अुसे पकड़नेके लिअे कुछ लोग 'खून…खून…' चिल्लाते हुअे अुसके पीछे दौड़े; किन्तु वे अुसके पास नही पहुँच सके। कानजी आगे निकल गया था।

रास्तेमे दस-वारह सालकी अुम्रका अेक लड़का खड़ा था। दूसरोंकी तरह अुसने भी 'खून…खून…'की आवाज सुनी। अिस कारण वह भी अुसके पीछे दौड़ा और हिम्मत करके साअिकिलका पीछेका पहिया पकड़ लिया। कानजी साअिकिलसे गिर पड़ा, पर अुठकर फिर दौड़ने लगा।

लोग तो अुसके पीछे पड़े ही थे। अत. वह पासके ही एक घरमे घुस गया। लेकिन अुस घरकी वुढ़ियाने अुसे निकाल वाहर किया। दौड़ता-दौड़ता वह आगे निकल गया। आवाज देनेवाले लोगोंने अुकताकर और थककर अुसका पीछा छोड़ दिया।

कानजीने सोचा कि अब असे किसी दूसरे गाँव चला जाना चाहिये। सो मणिनगर जानेवाली बसमे वह जा बैठा और मणि-नगर स्टेशनसे वड़ौदेका टिकट लेकर ट्रेनमें सवार होगया। असे लगा कि अब वह बच गया, लेकिन अीश्वर भला अैसे थोड़े ही बचने देता !

खूनकी खबर पुलिसवालोको मिलते ही पुलिस-अधिकारियों ने असका पीछा किया। मणिनगर स्टेशनसे ट्रेन छूटनेवाली ही थी कि वे वहाँ पहुँचे और कानजीको गिरफ्तार कर लिया। अिस प्रकार कानजीभाअी सरकारी जेलके मेहमान बने।

अब अिस मामलेमे बचाव क्या करे? वकीलोने अपनी रीति के अनुसार सलाह दी कि आँखोदेखी बात बतानेवाले गवाहोका यह सबूत कि खून कानजीने ही किया है, अधिक दमदार नही है। खून करना, साअिकिल पर सवार होकर भागना, बुढ़ियाके घरमे घुसना और तुरन्त बाहर निकलना आदि क्रियाये बड़ी तेजीसे हुअी थी। जिस लड़केने साअिकल पकडी थी, जिस बुढ़ियाने असे घरमेसे बाहर निकाला था, अिनमेसे किसीने भी खून होनेकी जगह प्रत्यक्ष कुछ नही देखा था। अिसी प्रकार होटलमे बैठे हुअे लोगोने भी कानजीको चाकू मारते हुअे नही देखा था। खूनकी मुख्य घटनाके बादके ही ये सब सबूत थे। अिसलिअे बहुत सभव है कि अिन सबूतोंको अदालत सतोषप्रद न माने और कानजी छूट जाय। अिस कारण वकीलकी यही सलाह थी कि कानजी बयान दे कि मुझे कुछ भी मालूम नही है।

कानजी स्वाभाविक रूपसे शंकाशील था। असे छुटकारेका लालच तो था ही; किन्तु खून हो जानेके कारण फाँसीपर लटकना पडेगा, अिसका असे भय भी था। वह द्विविधा मे पड़ गया।

हकीक़तसे अिन्कार करे या गुनाह कबूल करे, यह प्रश्न अुसके सामने था। अपराध स्वीकार करनेसे फाँसी हो सकती थी। अिन्कार करनेपर छूटनेकी संभावना थी। जीवन-मरणके अिस प्रश्नको लेकर लालच और भयके बीच वह झूल रहा था। अिस कारण सलाहके लिअे वह मेरी कोठरीमे मेरे पास आया।

अुसकी बात सुननेके बाद मुझे लगा कि फाँसीकी जोखिम अुठाकर भी अुसे अपने गुनाहको स्वीकार करना चाहिये। घटनाको देखते सचमुच अुसे फाँसीकी सजा होगी, अैसी सभावना बहुत कम थी। अपने मित्रको जानसे मारनेका अिरादा नही था। अुत्तेजित अवस्थामे यह दुर्घटना हो गअी, जिसके लिअे अुसके भी दिलमे दर्द था। साथ ही मुझे यह भी निश्चित रूपसे लगा कि यदि वह हकीकतसे अिन्कार करे तो अुत्तेजित होने आदिकी जो दलीले अुसके बचावमे हो सकती है, अुनका सबूत कहाँसे मिलेगा और कौन देगा? अिस कारण सबसे अच्छी बात तो यही थी कि वह अपने अपराधको खुले दिलसे स्वीकार करे, अपना पश्चात्ताप प्रकट करे और अपने आपको न्यायाधीशके न्याय और दयापर छोड़ दे।

अिस प्रकारके विचारोंके साथ-ही-साथ मेरा यह भी आग्रह था कि किसी भी परिस्थितिमे मनुष्यको जहाँतक बन सके सच बोलनेकी हिम्मत रखनी चाहिये। सच बोलने पर चाहे जो दुःख सहना पडे, वह झूठ बोल कर सकटसे बचनेकी अपेक्षा अधिक अच्छा है। मेरी अपनी अिस प्रकारकी मान्यता होनेके कारण मैंने कानजीसे तुरंत कहा, "कानजी, मै समझता हूँ कि तुम्हे गुनाह क़बूल कर लेना चाहिये। वकीलोंके पीछे पैसे ख़र्च करके पैसे व जान दोनों गंवानेकी अपेक्षा सच बोलकर जान

बचानेका जो मौका मिल रहा है अुसका लाभ अुठा लो और जान और पैसे दोनों बचा लो। मेरी तो यही स्पष्ट राय है।"

अुसने मेरी बातें यों ही नहीं अुड़ा दीं, बल्कि अुसने मुझसे कुछ दलीलें करना शुरू किया।

"मगर साहब, वकील कहते हैं कि मैं अपराध स्वीकार कर लूं तो फाँसी पर चढ़ना होगा। अुसके बजाय अिन्कार करके छूटनेकी जो सम्भावना है, अुसका फायदा क्यों न लूं?"

"अैसी दलील करते हुअे तुमने और तुम्हारे वकीलने यह मान लिया है कि अदालत तुम्हारा झूठ समझ नहीं सकेगी और तुम्हारे बयानको सत्य मानकर तुम्हें बरी कर देगी। यही न?"

"लेकिन साहब, चाकू मारते हुअे मुझे किसीने देखा नहीं। तब मैंने चाकू मारा, यह किस तरह कहा जा सकता है?"

"हाँ, यह ठीक है कि चाकू मारते हुअे तुम्हें अीश्वरके सिवा और किसीने नहीं देखा। लेकिन तुम्हारा दोस्त खूनसे लथपथ पड़ा हुआ था और तुम तुरत साअिकिल पर सवार होकर भाग खड़े हुअे, यह देखने वाले गवाह तो हैं न? अगर तुमने चाकू नहीं मारा तो खूनसे लथपथ अपने मित्रको पड़ा छोड़कर भाग क्यों खड़े हुअे? मित्रकी सार-सम्भाल क्यों नहीं की? अिनसे तो यह साबित होता है कि तुम्हारा दिल तुम्हें दोषी ठहराता है. अिस कारण तुम भाग खड़े हुअे।"

"हाँ, यह बात विचारने योग्य जरूर है। लेकिन साहब, क्या मैं यह नहीं कह सकता कि कहीं अुसकी हत्याका आरोप मुझपर न आ जाय, अिस डरसे मैं भागनेकी कोशिश करता था?"

"तुम यह कह जरूर सकते हो, लेकिन है कोअी अक्लमन्द आदमी, जो तुम्हारी यह बात मानेगा? होटलमें देखनेवाले

गवाह, तुम्हारी साअिकिल को पकड़नेवाला लड़का, अपने घरसे निकाल बाहर करनेवाली बुढ़िया, अिनमेसे किसीको भी तुम नहीं पहचानते और किसीसे भी तुम्हारी दुश्मनी नहीं है। तब ये लोग तुम्हारे खिलाफ़ गवाही क्यों देते है? अिन लोगोंको झूठा माननेके बजाय अपराधसे बच निकलनेका तुम्हारा स्वार्थ होनेके कारण तुम्हीं झूठ बोल रहे हो, यह अधिक आसानीसे माना जा सकता है। ये सारे गवाह झूठ बोलेगे और वह भी तुम्हे फाँसीपर लटकानेके लिअे?"

"साहब, आपका कहना है सही, मगर मै क्या यह नही कह सकता कि पुलिसने मेरे खिलाफ़ अिन लोगोंको खड़ा कर लिया है?"

"कह क्यों नहीं सकते; लेकिन अुसपर कोअी विश्वास नही करेगा। अुल्टे तुम्हारा खून करनेका अिरादा था, यही सिद्ध होगा और तुमको निश्चित रूपसे फाँसीपर लटकना पड़ेगा। मै तुमसे पूछता हूँ कि तुम्हारे मर जानेसे क्या तुम्हारे जीवनका अंत आ जायगा? झूठ बोलनेका पाप करके मरनेकी अपेक्षा सच बोलकर मरे तो सच कहनेका जो पुण्य तुम्हे मिलेगा, अुससे स्वर्गमें जाने का कुछ तो मौक़ा होगा। अुसे छोड़कर झूठ बोलकर, निश्चित रूपसे फाँसीकी सज़ा पाकर, नरकमें जाना तुम्हे अधिक पसंद है क्या?"

कानजी मान गया। मेरी बाते अुसकी समझमें पूरी तरह आ गअीं। नैतिक दृष्टिके साथ व्यवहारकी बात भी किस प्रकार बराबर ठीक बैठती है, यह यदि अुसको जँचा सकू तो शायद वह अपने अिस निर्णयपर टिका रहे और अगर फाँसीकी सजा हुअी भी तो वह बादमे मुझे दोष न दे, अिस खयालसे मैने अुससे कहा, "सच्ची बात कहनेमें नीति तो है ही, परन्तु व्यावहारिक लाभ होनेकी भी संभावना है। यदि अपराधसे अिन्कार किया जाय तो

अदालत को यही लगेगा कि फाँसीकी सजा न देनेके लिअे ध्यान देने लायक कोअी भी बात अिस मामलेमे नही हुअी है। अिसके विपरीत, सच्ची बात कह दी तो अदालतपर सचाईका असर पड़ेगा और तुम जो कहते हो, अुसपर विश्वास रखनेका अदालतका रुख होगा। क्षणिक आवेगमे यह घटना घटी, अैसा समझकर शायद अदालत फाँसीकी सजा न भी दे।" फिर मैंने उससे कहा, "मैंने अपनी राय दे दी; लेकिन तुमको तो तुम्हारा दिल कहे वैसा ही करना चाहिये। हाँ, मैंने जो कहा वह करोगे तो मुझे ज़रूर खुशी होगी। मुझे अैसा भी लगता है कि अगर तुम सच बोलोगे तो फाँसीसे बच जाओगे। फिर भी अीश्वर न करे, अगर तुम्हे फाँसीकी सजा हुअी और फाँसीपर चढ़ते समय तुम्हारे मनमे यह आया कि दादाकी सलाह मानने के कारण फाँसीपर लटकना पड़ रहा है तो मेरे लिअे यह असह्य होगा। अिसलिअे जो मैं कहता हूँ अुसे अपने दिलमे अच्छी तरह समझ कर ही तुम निश्चय करो।"

"आपकी सलाह मै ठीक समझा हूँ। मै अपराधका पूरी तरह अिकरार करूँगा और आपको यकीन दिलाता हूँ कि फाँसीकी सजा होगी तो फाँसी पर चढते-चढ़ते भी मैं आपका अुपकार ही मानूँगा। मैं चाहे जिन्दा रहूँ या मर जाअूँ, पर पापसे बचता हूँ, अिस बातका मुझे सन्तोष रहेगा।"

अुसके अिस जवाबसे मुझे स्वाभाविक खुशी हुअी। अुसके दिलकी अुदारता और सत्यके प्रति मनुष्यके स्वाभाविक सम्मान को देखकर किसे खुशी न होगी ?

: २ :

अुसके बाद कानजीकी कसौटीका समय आया। नीचे की

अदालतमें मुक़दमा चला; अुस समय अिक़रार करनेका मेरा अौर अुसका आग्रह होते हुअे भी अुसके वकीलने अिस वातको मंजूर नही किया। अुससे अितना ही जवाव दिलवाया कि अिस वारेमें जो कुछ कहना होगा वह मैं अूपरकी (सेशन)अदालतमे कहूँगा।

शामको जेलमे आनेके वाद जव कानजीने मुझे यह वात वताअी तो मुझे दुख हुआ। डर भी लगा कि कही सेशनमे सरकारी वकील यह न कह दे कि अुत्तेजित अवस्थामे अौर विना अिरादेके चाकू मारनेकी वात वादमे फाँसीसे वचनेके लिअे जोड दी गयी है! अगर यह वात सच होती तो नीचेकी अदालत मे ही, जव कि खुलासा करनेका पहला मौका मिला था, क्यों नही कही गअी? मुझे अैसा लगा कि संभव है, सारा मामला गलत सलाहसे विगड़ जाय। कानजीके भविष्यके वारेमे मैं चिन्तित हो गया।

यथासमय सेशनमे, मुकदमा चला। खुशीकी वात थी कि कानजी अपने निश्चय पर अडिग रहा अौर किसीकी भी सलाह न मानते हुअे अुसने अदालतके सामने सारी हक़ीकत सच-सच वयान कर दी। नतीजा वही हुआ जो सोचा था। न्यायाधीशने अुसको चार सालकी सख्त क़ैदकी सजा दी।

कड़ी कैदकी सजावाले क़ैदीकी हैसियतसे कानजी जव आकर मुझसे मिला तो वह वहुत ही अुत्साह व आनन्दमे था। कहने लगा, "दादासाहव, सिर्फ़ चा···र ही साल···।"

मैने हँसकर कहा, "वहुत अच्छा हुआ। सजा कम करानेके लिअे अपील करनी है?"

"नहीं साहव, मुझे अपील वगैरा कुछ नही करनी।"

कानजीके हृदयमे फैले हुअे नव-प्रकाशको मैं देखता रहा।

२

बाबा ब्रह्मानन्द

अेक रोज श्री रविशकर महाराजने मुझसे कहा,

"दादा, हमारे यार्ड मे बेचारा अेक बाबा खूनके अिल्ज़ाममे गिरफ्तार होकर आया है। अुसे सलाह देगे?" मैने फौरन 'हाँ' कहा और जेलके अधिकारियोसे बातचीत करके बाबाजीके मझसे मिलनेके लिअे मेरी कोठरीपर आनेका प्रबध किया।

बाबाजी मिलने आये। मैने पूछा, "क्यो बाबाजी, क्या बात है?" अुन्होने खुले दिलसे सब बाते सच-सच बता दी। मैने पूछा, "अब क्या विचार है? बचाव क्या सोचा है?"

"बचाव दूसरा और क्या हो सकता है? 'मुझे कुछ भी मालूम नही। पुलिसवालोंने मुझपर झूठा अिल्ज़ाम लगाया है।' यही कहना है।"

"लेकिन महाराज, अैसा कहना आपको शोभा देगा? आपने तो गेरुआ धारण किया है। दूसरोंकी तो बात और है, मगर आप झूठ कैसे बोल सकते है?"

"गेरुअे वस्त्र धारण किये है तो क्या अिसलिअे मुझे जान गँवानी चाहिये! फाँसी पर लटकू? सच बोलूंगा तो फाँसी ही होगी।"

"नही, यह जरूरी नही है। आप सच बोलेगे तो न्यायाधीश के दिलमे भी आपके और आपके अिन गेरूअे वस्त्रोके बारेमे कुछ अिज्जत और रहमकी भावना जागृत होगी तथा सजा कम होगी।

असलिॲ आपको तो सच ही बोलना चाहिये।"

बावाजी सोचमें तो पड़े; लेकिन बचाव करनेकी अुनकी वृत्तिमें फ़र्क पडा हो, अैसा मालूम नही हुआ।

मैंने बात आगे बढ़ाअी, "महाराज, आप तो लोगोंको सच्चे धर्मका पाठ सिखानेवाले है न?"

"अिसमें क्या शक है?"

"तो आप लोगोंको कौनसा पदार्थ-पाठ सिखानेकी बात सोच रहे है? आपका प्राण, या यो कहिये कि आपका शरीर, आपको अपने धर्मसे भी ज्यादा प्रिय है, यही न?"

बाबाजी विचारमे डूबे। गीताके श्लोक जानते थे। शरीर जो नाशवान है, अुसे बचानेके लिॲ वे आत्मा का बलिदान करनेके लिॲ तैयार हुअे है, अिसका भान होते ही वे कुछ अधिक गंभीर विचारोंमे डूब गये। यह देखकर मैंने आगे कहा, "महाराज, धर्मका बलिदान देकर आप जिस शरीरको बचायेंगे, अुस शरीरका बादमे कौनसा अुपयोग करेंगे?"

बावाजी फिर चुप रहे। अितनी बातचीत होनेके बाद, मैंने तो सत्य ही बोलनेका अुनसे आग्रह किया और कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ अुसपर आप शांत चित्तसे विचार कीजिये। चार दिन बाद हम फिर मिलेंगे तब आपका बचाव किस तरह किया जाय, अिसपर सोचेंगे।

: २ :

बात यह थी। अहमदावादके दरियापुर मुहल्लेमे सेठ अचरत लाल बैरागी ट्रस्टकी ओरसे अेक अन्नसत्र चलता है। अुसमे साधुओंको भोजन करानेका प्रबन्ध रहता है। बावाजी अिस अन्न-सत्र मे भोजन करते और बाकीका समय नीद, गाँजा और कुछ

शिष्योके साथ गप्पें लडाने मे विताते थे। थोडे वहुत श्लोक तथा तत्वज्ञानके कुछ वाक्य वावाजी वोल लेते थे। श्रद्धावान जनताके मनपर उनके गेरुग्रे कपड़े ग्रौर वाहरसे दिखायी देनेवाली साधु-वृत्तिका वहुत असर पड़ता था। अिसी अन्नसत्रमे ग्रैसे ही ग्रेक दूसरे, लेकिन अवस्थामे जरा वूढे, वावाजी भोजनके लिग्रे आते थे। दोनोंके वीच किसी कारणसे मतभेद शुरू हुआ ग्रौर आखिरकार ग्रेक दिन परिस्थिति गभीर हो गग्री। भोजनके वाद हाथ धोकर दोनो वाहर आ रहे थे कि ग्रुन वूढे वावाजी ने अिनसे कुछ कहा। अिससे यह ग्रेकदम चिढ गये ग्रौर ग्रुन वूढे वावाजीको ग्रुठाकर रास्तेमे ही जमीन पर पटक दिया। ग्रुनको मार डालनेकी अिनकी अिच्छा या नीयत न थी, फिर भी वुढापेके कारण ग्रौर पथरीले रास्तेपर सिर टकरा जानेके कारण वूढे वावाजी ग्रेकदम वेहोश हो गये। अिन नौजवान वावाजीको किसी कामसे दूसरे गॉव जाना था, अिसलिग्रे वे तुरन्त स्टेशन रवाना हो गये। किसीको भी खयाल न था कि वूढे वावाजी तत्काल मर जायगे।

वूढे वावाजीके पछाडे जानेके वाद स्वभावत कुछ गडवड हुग्री ग्रौर भीड जमा हो गग्री। जो आते, 'क्या हुआ? क्या हुआ?' करके पूछने लगते। अिसी वीच नौजवान वावाजी वहाँसे चल दिये थे। लोगोने वूढे वावाजीका तात्कालिक ग्रुपचार किया ग्रौर ग्रुसी वेहोशीकी हालतमे ग्रुन्हे दवाखाने ले गये। वहाँ मालूम हुआ कि वावाजी तो मर गये है। मामला पुलिसमे पहुँचा। ऑखो-देखा हाल जाननेवाले दो-चार आदमी ही थे। ग्रुन्होने वताया कि अिन दो साधुग्रोके वीच कुछ तकरार हो गग्री ग्रौर नौजवान वावाजीने वूढे वावाजीको ग्रुठाकर रास्तेमे पटक दिया। जवान वावाजीका नाम, निशान आदि पुलिसको वताये गये; लेकिन

अुनके अहमदाबादसे बाहर होनेके कारण अुनका कोअी पता न चला। अन्नसत्रसे बाहर चले जानेके कारण अुस बूढ़े बाबाका हाल ये नौजवान बाबा नही जानते थे। अुनको पता नही चला कि बूढ़े बाबा की मृत्यु हो गयी है। पन्द्रह दिन के बाद वे अहमदाबाद वापस आये तब पुलिसको पता चला और बाबाजी को गिरफ्तार करके अुनपर मुक़दमा चलाया गया।

: ३ :

निश्चयके अनुसार तीन-चार दिन बाद बाबाजी मुझसे फिर मिलने आये, तब हमारी बातचीत अिस प्रकार हुअी—

"क्यों महाराज, क्या सोचा ?"

"आप कहते है वह सही है। लेकिन अकेला अेक आदमी दूसरे आदमीको बच्चोंकी तरह अुठाकर फेंक दे, अिसे कौन सच मानेगा ?"

"दूसरे सच माने या न माने, अिसका विचार आप छोड़ दे। पर आपको तो मालूम है न कि जिस बातको आप सही न मानने जैसी मानते है वह प्रत्यक्ष हुअी है ?"

"यह तो ठीक है। लेकिन न्यायाधीश या ज्यूरी अिसे कैसे स्वीकार कर सकते है।"

"क्यों नही कर सकते ? आपकी अवस्था और शरीर और अुस बूढ़ेकी अवस्था और शरीरको देखते हुअे स्वीकार न करने जैसी बात ही क्या है ?"

"हाँ, यह बात विचारणीय जरूर है।"

"लेकिन महाराज, आपसे अेक और बात पूछता हूँ। वे दो-चार आदमी, जिन्होंने पुलिसमे गवाही दी है कि उन्होंने आपको बूढ़े बाबाजीको अुठाकर फेकते हुअे देखा था, क्यो

झूठ बोलेगे ?"

"पुलिसके सिखानेसे।"

"लेकिन पुलिस आपके खिलाफ झूठा षड़यंत्र क्यो रचेगी ? आपके और पुलिसके बीच या गवाहोमे से किसीके साथ व्यक्तिगत राग-द्वेष या दुश्मनी है, जो वे आपपर झूठा अिल्जाम लगाये ?"

"नही, अैसी बात तो नही है।"

"तो फिर, ये सब लोग अिस तरहके झूठे प्रपचमे क्यो पडेंगे?"

"साहब, अपराध होनेके बाद अगर अपराधी न पकड़ा जाय तो पुलिसवालोंको किसीको भी गिरफ्तार करके अुसपर मुक़दमा चलाना चाहिये न ?"

"आपकी सब बातें वाहियात है। कोअी कुछ माननेवाला नही है और आप व्यर्थ मे फाँसीपर चढनेवाले है। अुनको मारनेका आपका अिरादा न था, गुस्सेमे आपने अुनको धर-पटका, अुनकी मौत अचानक हुअी, यह हकीकत आपके सिवा दूसरा कौन बता सकता है ? और यह बात अगर मामलेमे दर्ज न हुअी तो यही अनुमान लगाया जायगा कि बाबाजी को मारनेका आपका अिरादा था और आपने जानबूझकर अुनका खून किया है। 'मुझे कुछ मालूम नही, पुलिसने झूठा मामला खड़ा किया है', यह कहकर आप फाँसीको निमत्रण दे रहे है। और यह मानकर कि आप अेक दुष्ट और झूठे आदमी है, गेरुअे वस्त्रोंको लाछन लगाते है, किसीकी भी हमदर्दी आपके साथ नही रहेगी। खैर, यह तो सब ठीक, लेकिन धर्मके अेक सेवकके नाते आप धर्मको अपने हाथो डुबोते है और अीश्वरके दरबारमे पश्चात्ताप न करनेवाले अेक पक्के पापी समझे जायँगे। अिससे बेहतर यही है कि आप सच्ची बात बता दे। मुझे लगता है कि अैसा करनेसे आप

फाँसीसे वचेंगे, अितना ही नही, वल्कि अपेक्षाकृत वहुत ही कम सजा आपको होगी । अिसपर सोचिये, और सत्यको न छोड़ते हुअे अपने शरीर और आत्माको वचा लीजिये ।"

महाराज विचारमे पडे । वात उनके गले अुतरती लगी । अिसलिअे मैंने कहा, "अब आप जाअिये । विचार पक्के कीजिये, धर्मका चिन्तन कीजिये । जव मुकदमा चलेगा तव आपको अहमदावाद ले जाया जायगा । अिसके पहले आप मुझसे मिल ले और तव आपका अन्तिम विचार क्या होता है, यह जानकर हम फिर वाते करेगे ।"

: ४ :

कोअी अेक महीनेके वाद वावाजी मुझसे मिलने आये । मैंने पूछा, "क्यों वावाजी, मुकदमा शुरू हुआ ?"

"हाँ जी, कलसे सेशनमें चलनेवाला है ।"

"तो आपने क्या निर्णय किया ?"

"यही कि पूरी वात सच-सच कह देना । आपकी वात मुझे जँची है । गेरुअे वस्त्र पहनकर झूठ वोलना महापाप है, मौतसे भी ज्यादा भयकर ।"

मुझे संतोप हुआ । मैंने अितना ही कहा, "महाराज, अिस निश्चय पर अमल करनेके लिअे भगवान आपको वल दे, यही मै आपकी ओरसे प्रार्थना करूँगा । सत्य ही आपका वचाव है । अिसमे अव आपके और न्यायाधीशके वीच मे किसी भी वकीलकी या कानूनी सलाहकारकी जरूरत नही है । आपकी सचाअी आपकी ओरसे सवकुछ कर लेगी ।"

दूसरे दिन अदालतमें हाजिर होनेके लिअे वावाजी विदा हुअे ।

: ५ :

अेक रोज़ शामको मेरी माताजी और कुटुंबियोंके साथ मेरी क़रीब नौ महीनोंके बाद पहली मुलाकात हुआी। मुलाक़ातके अंतमें मैं अंदर के दरवाज़ेसे जेलमें घुसा तो देखता क्या हूँ कि वहाँ क़रीब पंद्रह-बीस कैदी दो-दोकी पंक्तिमें खड़े हैं। अिनमेंसे सज़ा पाये हुओंको जेलके कपड़े पहनाये जा रहे थे। मैं अुनके पाससे होकर अपनी कोठरीकी ओर जा रहा था। अितनेमें पीछेसे आवाज़ आयी: "दादा साहब, मैं सजा पाकर अभी आया हूँ।"

मैंने देखा कि आवाज देनेवाले वही बाबाजी थे। अुनके शरीरपर गेरुअे वस्त्र नहीं थे, अिसलिअे अुनके पाससे गुजरते समय कैदियोंकी टोलीमें मैं अुन्हें पहचान न सका। अुन्हें देखकर मुझे संतोष हुआ कि चलो, अिन्हें फाँसी तो नहीं हुआी। मैंने पूछा,

"महाराज, कितने सालकी सज़ा हुआी?"

महाराज बहुत ही खुश थे। अुन्होंने तीन अंगुलियाँ दिखाआीं। अिससे मैं समझा, तीन सालकी। मेरा वह भाव बाबाजी समझ गये। तुरन्त ही अुन्होंने कहा—

"साहब, तीन साल की नहीं, तीन महीनेकी।"

: ३ :

बेचारी माँ

स्त्रियोंके यार्डसे मेरी कोठरीपर श्रीमती ज्योत्स्नावहन शुक्लका सदेसा आया—"कोअी वाअीस सालकी अुम्रकी टाकरड़ा जातिकी अेक नौजवान स्त्री अभी हमारे वार्डमे आयी है। अुसपर आत्महत्याकी कोशिश करने और अपने दो छोटे बच्चोके खूनका अिल्जाम है। वह रोती रहती है। आप आयेगे?"

जेलरकी अनुमति लेकर मै फौरन स्त्रियोके वार्डमे गया। अुस स्त्रीका नाम शायद डाही था। ज्योत्स्नावहनके साथ मै अुससे मिला और पूछताछ की। ज्यो-ज्यों मै सहानुभूतिसे पूछता गया त्यों-त्यों वह अधिकाधिक रोने लगी। दु खसे अुसका दिल अुमड़ा जा रहा था और बात वता नही पाती थी। अिसलिअे अिस पहली मुलाक़ातमे मैने अुसे केवल यही तसल्ली दी कि घबराने की कोअी बात नही है, तुम्हारे लिअे जितना हो सकेगा, हम करेगे। दूसरे दिन फिर मिलना तय किया। अिस बीच अुससे बातचीत करके घटनाकी जानकारी हासिल कर लेनेका काम मैने ज्योत्स्नावहन और दूसरी वहनोंको सौपा।

: २ :

स्वभावसे डाही गरीव और दीन थी। ससुरालमे नौजवान पति और सास थी, मायकेमे अेक भाअी। दोनों कुटुम्बोंके पास थोड़ी-सी घरकी खेती थी। गुजारेके लिअे सबको मजदूरी भी करनी पड़ती थी। खाने-पीनेसे वे सुखी थे।

अुसके पतिका स्वभाव अच्छा था। डाहीके प्रति अुसका प्रेम भी था। पति-पत्नीमें अच्छा मेल था। जब यह घटना हुअी, डाहीके दो छोटे बच्चे थे। अेककी अुम्र करीब तीन सालकी और दूसरेकी कोअी अेक सालकी।

हिन्दू कुटुम्बमें सास अेक बडा विचित्र प्राणी होता है। कुटुम्ब चाहे किसी भी जातिका हो, गरीब हो या अमीर, पढा-लिखा हो या अनपढ, शहरका हो या देहातमें रहनेवाला, सास हमेशा सास ही है, और बहू बहू।

डाहीकी सास डाहीको बिना बात सताने और ताने मारनेमें अपनेको धन्य समझती थी। डाहीकी तबीअत कैसी भी हो, अुसको खेतमें और दूसरी जगह, सुबहसे शामतक रोजाना मजदूरीके लिअे वह भेजा करती। जो पैसे अुसे मिलते, वह अुससे ले लेती। सारा दिन मजदूरी करनेके बाद भी शामकी रोटी बनानेका और सुबह मजदूरीके लिअे जानेसे पहले भी रोटी बनानेका काम डाहीके ही जिम्मे था। घरमें बहू हो तो सास क्यों काम करे? अुसे हमेशाके लिअे एक गुलाम जो मिल गयी। सास-बहूके संबंधके बारेमें आम तौरपर यह खयाल रहता है कि सास मानो बहूकी मालकिन है। यहाँ भी वही चीज थी। इतना कष्ट होते हुअे भी अपने पति के प्रेमकी वजहसे डाही सब-कुछ सह लेती थी।

डाहीकी पहली प्रसूति हुअी, लड़का हुआ। अैसे समय भी सासने बहूकी ओर किसी तरहकी कृपादृष्टि नहीं दिखाअी। प्रसूतिके बाद दो या तीन सप्ताहमें ही डाहीको मजदूरीके लिअे जाना पडा। वह खूब थक जाती, अपने बच्चेकी देखभाल भी न कर पाती और बहुत कष्ट और चिंतामें बेचारी दिन काटती। फिर भी अीश्वरकी कृपासे डाहीका शरीर टिका रहा।

कोअी दो सालके वाद दूसरी प्रसूति हुअी। तब भी सास-का बर्ताव पहलेके जैसा ही रहा। डाही अिससे अूब गयी। अुसे लगा कि अिससे तो आत्महत्या करके जीवनका खात्मा कर देना ही अच्छा है।"

डाहीका पति यह सब देखता था। अुसे भी अिससे वहुत कष्ट होता था। डाहीके प्रति उसकी हमदर्दी अौर प्रेम था। अिसी-लिअे डाही आत्महत्याके विचारोंको अमलमें न ला पाती थी। लेकिन वह बेचरा क्या करे? अुसकी माँका स्वभाव ही अैसा था कि अुसके सामने अुसकी कुछ भी न चलती थी। माँसे अलग घर वसाने या माँको अलग करनेकी वात अुसे भयावनी मालूम होती थी। अिसी कारण वेचारा सबकुछ चुपचाप सह लेता था अौर डाहीको तो सहना ही पड़ता था।

आखिर डाही वहुत परेशान हो गयी, अौर कुछ दिलासा पाने के खातिर नजदीक के गाँवमे अपने भाअीके यहाँ कुछ दिन रहकर रोजके कलहसे थोड़ा छुटकारा पानेका उसने सोचा। उसके पतिकी भी यही सलाह थी।

अेक रोज सुवह दोनों वच्चोको लेकर डाही अपने भाअीके घर जानेके लिअे चल पडी। भाअीके गाँवके वाहर ही भाअीसे भेट हुअी। भाअीने पूछा, "वहन, अचानक आज यहाँ कैसे आअी?"

डाही रोने लगी अौर अपना दुःख हलका करते हुअे वोली, "मैं चार-छ दिनके लिअे तुम्हारे यहाँ रहने आअी हूँ।" भाअीकी यद्यपि सहानुभूति थी; लेकिन सास अौर पतिसे विना पूछे मायके आना अुसे ठीक न लगा। अुसने पूछा, "तेरी सासने अिजाजत दी है?"

डाही कहने लगी, "अुन्हे कैसे पूछने जाअूँ? वह कभी

अिजाजत नही देगी।"

"तेरे पति क्या कहते है?"

"वह बेचारे माँके सामने क्या कह सकते है! लेकिन अुनकी अिजाजत है, अैसा मान लो।"

अपने पतिको विपन स्थितिमे न डालनेके लिअे ही अुसने यह बात छिपाअी कि वह पतिकी सलाह से ही आयी है। डाही चुप रही। आगे अेक शब्द भी न बोली। यह देख भाअीने कहा, "अपने घर फौरन् लौट जा। अपना घर छोडकर मायके आना अच्छा नही है। मै आजकलमे ही तेरे पतिसे और सासमे मिलूँगा और तुझे फिर बुला लूँगा।" अितना कहकर भाअीने अपना रास्ता पकडा और डाही अपने गांव लौट चली।

: ४ :

पर लौटते समय डाहीके मनमे तरह-तरहके विचार अुठने लगे। अुसे अपना भविष्य अंधकारमय मालूम होने लगा। पतिके प्रति प्रेम होते हुअे भी अेक प्रकारसे डाहीके मनमे अुनके प्रति तिरस्कार भी था और वह अुसपर कुछ गुस्सा भी थी। मर्द होते हुअे भी जालिम सासके पंजेसे वह अुसे बचा नही सकता! माँके प्रति अुसकी स्वाभाविक भावनाका बेचारी डाहीको क्या पता था? अुसको भी डाहीके जैसा ही दुःख होना था, लेकिन अपने दुःखके आवेगमे डाही अुसका दुःख न देख सकी।

"आज यदि मेरी माँ जिन्दा होती तो क्या मुझे अिस तरह वापस लौटा देती? अुलटे मुझे अपनी छातीसे लगाकर तसल्ली देती, मेरे साथ रोकर मेरे दिलका बोझ हलका करती! अैसा न करके भाअीने तो मुझको गाँवके बाहरसे ही लौटा दिया! संसारमे अब मेरा कौन है? न पति मेरा सगा है, न भाअी।"

अिसतरहके विचारोंका तूफान अुसके दिमागमें अुठता रहा और वह अपने घरकी ओर बढती गई।

जीवनको ख़त्म कर देनेका ख़याल अेक-अेक क़दमपर दृढ़ होने लगा। आख़िर अुसने निश्चय कर लिया।

रास्तेमें पास ही अुसे अेक कुआँ दिखायी दिया। अुसमें कूदकर अपने दु.खका अन्त करनेके अिरादेसे बच्चोको अेक ओर छोड़कर वह अुधर चली, लेकिन अेकदम कूद न सकी।

कुअेकी जगतपर जाते ही ख़याल आया, -"मेरा तो छुटकारा होगा, मगर मेरे अिन मासूम बच्चोंका क्या होगा? अुन्हे कौन संभालेगा? अुन्हे कौन प्यार करेगा? तो अुन्हें भी अपने साथ ही क्यो न ले चलूँ? जो मेरा होगा, सो अिनका भी होगा।'

यह विचार आते ही कुअेकी जगतसे वह लौट आयी। बच्चे पास ही थे। अुनके पास गअी, अुनको गोदमें लिया, प्यार किया और अपनी ओढ़नीसे दोनों बच्चोंको अपनी पीठपर बाँधकर वह कुअेमे कूद पड़ी। अुसने अपनी दृष्टिसे निर्वाणका रास्ता ढूढा; लेकिन अीश्वरकी अिच्छासे वह जीवित रही। कुअेमें कूदते ही अुसकी ओढ़नी छूट गयी और दोनों बच्चे डूब गये। डाही बहुत दुखी हुअी और घबड़ा गयी। अुसने चिल्लाना शुरू किया, "कोअी मेरे बच्चोको निकालो!" अुसकी आँखोके सामने ही अुसके बच्चे मर जायँ, यह वह किस तरह देख सकती थी? चिल्लाहट सुनकर पासके खेतसे लोग दौड़कर आये। किसी तरह डाहीको जीवित, लेकिन मूर्च्छित अवस्थामे बाहर निकाला। लेकिन बच्चे मरे हुअे निकले।

अिस करुण घटनाके बाद क़ानूनकी खानापूरी हुअी और वह जेलमे आअी।

: ५ :

मुझे यकीन था कि कोअी भी न्यायाधीश बच्चोंकी करुण मौतको जानबूझकर किया हुआ खून नही मानेगा और आत्महत्याकी कोशिशके लिअे भी डाहीकी तरफ बहुत कठोर दृष्टिसे नही देखेगा। आम तौरपर लोगोमे अेक अैसा विचार प्रचलित है कि जाने या अनजाने अपने हाथोसे या कार्यसे किसीकी मौत हो जाय तो वह खूनका ही मामला गिना जाता है और खूनका बदला फाँसी है।

मैने डाहीको सलाह दी कि अिस मामलेमे तेरे बचावके लिअे खास कुछ भी करने की जरूरत नही है। तेरे पतिको भी पैसे बरबाद करके वकील करनेकी दरकार नही है। तुझे तो अदालतके सामने अपनी सच्ची कहानी शुरूसे अन्ततक कह देनी चाहिये और अपना दुःख अदालतके सामने प्रकट करना चाहिये। देखना सिर्फ यही है कि तेरा पति अपनी माँके प्रभावमे आकर या लोकपवादके झूठे डरके कारण अपनी माँके बारेमे सच्ची बात छिपाये नही। सब बात साफ-साफ अदालतमे कह दे।

यह सलाह सुनकर जेलकी बहनोंने मुझसे पूछा—"क्यों दादासाहब, यह सब हाल वह कह दे तो दो बच्चोंकी मौतके होते हुअे भी अुसे फाँसीकी सजा नही होगी? और सजा कितनी होगी?"

मैने कहा, "फाँसी क्यो होगी? अपने बच्चोंकी हत्या करनेका किसी माँका कभी अिरादा हो सकता है? डाहीको कड़ी सजा देना तो जलेपर नमक छिड़कने जैसा होगा। यह कौन कह सकता है कि सजा कितनी होगी? वह तो न्यायाधीशपर निर्भर है। लेकिन मेरा खयाल है कि कम-से-कम छह महीनेकी और ज्यादा-से-ज्यादा अेक सालकी।"

अिससे सबको शान्ति मिली और डाहीने भी यह सलाह खुशीसे मंजूर की।

अुसके पतिको भी शाबाशी देनी चाहिये। अुसने अदालतमे सच्ची बात कह दी। डाहीके दुःखका वर्णन अुसने रोते-रोते किया।

न्यायाधीश भी तो आखिर आदमी ही होते हैं। अुनका दिल पसीजा और डाहीका बयान सुनकर अुसको अुन्होंने दोषी तो माना; लेकिन सजा नहींके बराबर, सिर्फ छह महीनेकी, सादी क़ैदकी, दी।

मैंने तो अंदाजसे छह माह कहे थे। डाही और जेलकी दूसरी बहनोंको भी लगा कि मैं तो भविष्यवाणी करनेवाला ज्योतिषी हूँ।

सजा पाकर डाही जेलमे आयी; लेकिन अुसको तो सादी सजा दी गयी थी, अिसलिअे अुसे न तो जेलके कपड़े मिले, न सजा मेंसे कुछ माफ़ी ही। अिसीलिअे जेलवालोंने अुसके लिअे कपड़े और काम माँग लिया। बादमे अुसको क़रीब अेक महीनेकी माफ़ी भी मिली। अिससे अुसे सिर्फ़ पाँच ही महीने की सजा भुगतनी पड़ी।

: ४ .

क्रोधी लेकिन प्रेमी पति

जेलके दवाखानेमे मैं बीमारोसे मिलने जाया करता था। वहाँ अेक रोज धोलकाकी तरफका कोअी पच्चीस सालकी अुम्रका अेक नौजवान किसान मिला। अुसपर अपनी पत्नीके खूनका अिल्जाम था । उसने मुझे अपनी बात बताअी और सलाह भी माँगी।

यह सच था कि अुसके हाथो अुसकी पत्नीकी मौत हुअी थी। मगर पत्नीको मारनेका अुसका अिरादा बिल्कुल नही था। पति-पत्नीके बीच बहुत प्रेम था और दोनो अेक-दूसरेको खूब चाहते थे। किन्तु मैं मानता हूँ कि यह भाअी जितना प्रेमी था अुतना ही क्रोधी भी था। प्रेम और क्रोध अेक ही वृत्तिके दो पहलू हैं। जैसा अतिशय प्रेम, वैसा ही अतिशय क्रोध । जिस वक्त जो तार छिड़ जाय, आदमी अुसीका हो जाता है ।

ये भाअी खेतमें कामके लिअे गये थे। पत्नी रोज अुसके लिअे रोटी ले जाती थी। अेक रोज अुसे आनेमे कुछ देर हुअी या रोटी कुछ ठीक-ठाक न बनी होगी, यह देखकर वह यकायक बिगड पडा, या तेज भूख लगनेके कारण भी अुसका असर अुसके दिमागपर हुआ हो।

हाथमे आरवाली लकडी थी। वही पत्नीकी ओर फेंककर बोला—"अितनी देरी क्यो हुअी ? क्या करती रही थी ?" बद-किस्मतीसे लकड़ी अकस्मात् स्त्रीके ठीक सिरपर लगी और वह

चक्कर खाकर वेहोश हो गअी और जमीनपर गिर पड़ी । यह देखते ही अुसे वहुत चोट लगी, पछतावा हुआ और दु.ख हुआ। लेकिन होनी थी सो हो चुकी थी। अब क्या किया जाय ?

कुछ देर—दो-चार मिनट अुसने औरतको होशमे लानेके लिअे अुसके सिरपर पानी वगैरा छिड़का। अुसका सिर गोदमे लेकर बैठा, रोने लगा, मगर उसकी हालत न सुधरी। अिससे वह सोचमे पड़ गया। फिर अकेले ही बैल जोतकर पत्नीको अुठाकर गाड़ीमे रखा और धोलकाकी ओर चल दिया, अिस आशासे कि वहाँ पहुँचनेपर कुछ इलाज वगैरा किया जाय ।

यह घटना चूंकि खेतमे हुअी थी, अिसलिअे वहाँ देखनेवाला तो कोअी था ही नही।

स्त्री रास्तेमे ही मर गअी । फिर भी आस लगाये वह अुसे धोलकातक ले आया। पुलिसवालोंको मालूम होते ही अुसे गिरफ्तार किया गया और अुसपर खूनका मुकदमा दायर कर दिया गया ।

अब सवाल यह था कि वह अपने हाथों जो कुछ हुआ अुसे मंज़ूर करे या प्रत्यक्ष सबूत न होनेका लाभ लेकर घटनासे अिन्कार कर दे और कह दे कि 'मुझे कुछ भी मालूम नहीं, मेरी गैरहाजिरीमे ही किसीने अुसे मारा है। मै अुसे अस्पताल ले जा रहा था कि रास्तेमे ही मर गअी। मारनेवाले कौन लोग हैं, अिसका मुझे पता नही', और छूटनेकी कोशिश करे। अिस मुक़दमेमे प्रत्यक्ष या दूसरे किसी सबूतके अभावमे अुसका छूट जाना भी सभव था।

अपराध स्वीकार करनेसे सजा निश्चित थी, जब कि अिन्कार कर देनेसे छूटनेकी ज्यादा संभावना थी। अुसे सलाह

देनेवालों तथा अुसके रिश्तेदारोंकी अिच्छा यह थी कि वह अिन्कार करे और दृढ़ताके साथ यही कहे कि वह कुछ नही जानता।

मै सोच मे पड़ गया। मुझे अिसमे ज़रा भी संदेह नही था कि अुसे सच ही कहना चाहिये। लेकिन वह सज़ाकी जोखिम अुठानेको तैयार होगा या नही, अिसमे मुझे जरूर संदेह था। सब परिस्थितियोपर विचार करके मैने अुसे सलाह दी कि तुमको सच बोलकर अपराध स्वीकार करना चाहिये। अिसीमे तुम्हारा भला है। अपनी पत्नी के प्रति अुसका प्रेम और मौतकी सजाका डर, अिन दो भावोका सहारा लेकर मैने अुसे समझानेकी कोशिश की। कहा, "भाअी, मान लो कि तुमने कहा कि मै कुछ नही जानता। तो तुम्हारी पत्नीको किसने मारा? किन कारणो-से मारा? अिस सबधमे कुछ बता सकोगे?"

अुसने कहा, "जी नही, मै कुछ नही बता सकूँगा!'

मैने पूछा, "तुम्हारा किसीपर सदेह है, अैसा अगर पूछा गया तो तुम किसीका नाम बता सकोगे?"

"जी नही।"

"तुम्हारी किसीके साथ दुश्मनी थी, जिसके कारण तुमसे बदला लेनेके लिअे अुसने तुम्हारी पत्नीको मारा?"

"नही।"

"तब तुम्हारी पत्नीकी मौत किस तरह हुअी, अिसका कुछ तो खुलासा होना ही चाहिये न? यह सच है कि आरवाली लकडी मारते वक्त किसीने भी तुम्हे नही देखा। लेकिन तुम और तुम्हारी पत्नी, दो ही जहाँ थे, वहाँ पत्नीकी मौत किस तरह हुअी, अिनकी कुछ तो सफाअी होनी चाहिये? वह सफाअी सतोषप्रद न हो तो यही अनमान लगाया जायगा कि तुम्हीने कुछ किया होगा, जिससे

अुसकी मौत हुअी। सिरपर चोट लगी तो अुसे लगानेवाला कोअी तो होगा ही और वह तुम्हारे सिवा और कौन हो सकता है? अगर अनुमानसे यही परिणाम निकाला गया तो यह सिद्ध होगा कि तुमने अिरादतन् खून किया और अिसकी सजा फाँसी ही है।"

मेरी दलील वह ध्यानसे सुन रहा था। अिसमें अुसे कुछ तथ्य मालूम हुआ। मैंने कहा, "भाअी, तुम्हारा पत्नीपर प्रेम था— वह भी तुमसे मुहब्बत करती थी। तुम्हारे हाथों वह अकस्मात् मर गयी और वह अिस संसारमें अब नहीं है, अिसलिअे अुसके प्रति बेवफा होकर अपना दोष क़बूल न करके, पापके प्रायश्चित्तके बदले अीश्वर और अपनी पत्नीका गुनहगार बनना चाहते हो क्या?"

नौजवान किसान सुन रहा था। अुसके चेहरेसे मालूम होता था कि अिस बातका कुछ-कुछ असर अुसपर हो रहा है। मैं कुछ देर चुप रहा। कोअी पाँच मिनट बाद निश्चयकी मुद्रामें अुसने कहा—

"दादासाहब, मैंने निश्चय कर लिया है।"

"क्या?"

"यही कि जो कुछ हुआ वह सच-सच बता दूँ और पत्नीसे माफ़ी माँगकर अीश्वरपर श्रद्धा रखूँ।"

मैंने अुसे प्रोत्साहन दिया और कहा—"अिस निश्चयपर अडिग रहनेके लिअे अीश्वर तुम्हें बुद्धि और बल दें।" साथ ही मैंने यह चेतावनी भी दी कि अब तुम्हें अपने बचावके लिअे कोअी वकील या किसी औरको करनेकी जरूरत नहीं है,। फ़िज़ूल खर्च मत करो।

यह बात भी अुसने मान ली।

मुकदमा लवा थोडे ही चलने वाला था। थोडेमे ही खत्म हुआ और अुसे चार सालकी सजा हुई। अदालतसे सजा पानेके वाद वह मुझसे मिलने आया। अुसे दो प्रकारसे सतोप था। अेक तो सजा कम हुअी अिसका और दूसरा यह कि अुसने सच कहा।

मैंने अुसे तीसरा पहलू वताया, "भाअी, यह सतोप तो ठीक है। लेकिन गुस्सेमे आकर निर्दोप पत्नीके साथ जो अन्याय किया अुसके प्रायश्चित्तके रूपमे यह सजा है, अैसा मानकर तुम अपनी पत्नीके साथ प्रेम और वफादारी प्रकट कर रहे हो, अैसा नही मानोगे?"

वह मुस्करा दिया।

मैंने पूछा, "आगे अव कोअी अपील वगैरा करनी है?"

पलभर वह खामोश रहा। फिर वोला, "ना जी, वेचारी स्त्री जान से गअी, तव प्रायश्चित्तके लिअे चार साल जेलमे विताना मेरे लिअे कोअी वडी वात नही है।"

मानो जीवनका गहरा तत्वज्ञान अुसने समझ लिया हो, अैसा परम सतोप अुसके चेहरेपर झलक रहा था।

मृत्युपर विजय
(दूसरा खंड)

· ५ ·

महमद मूसा

"महमद, तुम सच्ची बात नही बता रहे हो। क्या मुझपर भरोसा नही है? तुम्हे अपने बस भर मदद करनेके लिअे ही मैं यहाँ आता हूँ। सारी बात तुम सच-सच बताओ।" आँखोंमें आँसू भरकर फाँसीकी कोठरीमें सीखचोंके पीछे बैठे हुअे महमदसे मैंने गद्गद होकर कहा। मेरा यह कथन सुनकर अुसके पहरेदार भी जरा नरम पडे और अुनमेंसे अेकने महमदसे कहा, "महमद, तुम दादाको पहचानते नही। अिनसे जितनी हो सकेगी तुम्हारी जरूर मदद करेंगे और फाँसीसे बचायेंगे। तुम अपने दिलमें किसी तरहका भी शक-शुबा न करो।"

महमद सिसकियाँ भरकर रोने लगा।

जेलमें तमाम कैदियोंके सपर्कमें आने और अुनकी यथा-शक्ति सेवा करनेका सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। किसीकी सजाके खिलाफ अपील, तो किसीकी रिहाअीकी अर्जी, किसीके लिअे दवा-दारूका प्रबन्ध, आदि अनेक प्रकारके सेवाके क्षेत्र मुझे मिलते रहते थे। अिनमें, फाँसीकी सजा पाये हुअे कैदियोंसे मिलना, अुनकी ओरसे अपील या रहमकी अर्जियाँ तैयार करना और जिन्हे मौतकी सजा पक्की हो गअी, अुनको फाँसी होनेवाले दिनतक हररोज मिलकर तसल्ली देना, यह सबसे महत्त्वका काम था। अैसे कैदियोंसे मिलनेमें रोज मेरा अेकसे डेढ घंटा बीतता था। अिन लोगोंके सहवाससे मुझे बहुत-कुछ जानकारी

मिली और फाँसीकी सजा पाये हुअे क़ैदियोके मनकी क्या हालत होती है अिसका भी कुछ अध्ययन मै कर सका। फाँसी पानवाले क़ैदियोंसे मिलनेके लिअे मै बहुत अुत्सुक था। अैसा मौका मुझे साबरमती जेलमे मिला।

अिसकी कुछ पूर्वभूमिका भी कह दूं। सन् १९४०–४१ के व्यक्तिगत सत्याग्रहके समय मुझे यरवडा भेज दिया गया था। जेलमे स्व० श्री सरदार पटेल, स्व० भूलाभाअी देसाअी, श्री बालासाहब खेर, श्री मोरारजीभाअी, श्री मगलदास पकवासा आदि आठ लोग साथ थे। हमारे वार्डके सामने ही रास्ता छोड़कर फाँसी देनेकी जगह थी। बीचमे अूँची-अूँची दीवारें होनेके कारण कुछ भी दिखाअी नही देता था; किन्तु हमारे यार्डसे जरा दूरीपर फाँसीकी सजा पाये हुअे क़ैदी रखे जाते थे। अेक बार रातमे जब मेरी नीद खुली तो जोर-जोरसे 'रामनाम' की धुन सुनाअी दी। कौन होगा? जेलमे रातको किसी क़ैदीको चिल्लाने नही दिया जाता था, अिसलिअे मै जरा विचारमें पड़ा। थोड़ी देर सोचनेके बाद खयाल आया कि कल सुबह किसीको फाँसी दी जानेवाली होगी। वही भाअी रामको याद कर रहे दीखते है। यह खयाल दिमागमे आते ही मेरी नीद अुड़ गयी। आदमी मरनेके लिअे कैसे तैयार होता होगा? अुसके अंतिम विचार क्या होते होंगे? अुसके मनमें कुछ घबराहट होती होगी, या अुसका दिल तैयार रहता होगा, आदि विचारोंका चक्र शुरू हुआ। हम फाँसीकी सजा क्यों रखें? किसी भी गुनाह में अेक जीवित आदमीको मार डालना कहाँतक मुनासिब है? फाँसीकी सज़ा बरसोंसे दी जाती आ रही है; लेकिन फिर भी खून आदिके अपराध क्या कम हुअे है? आदमी कअी कारणों

से अपराध करता है। अुसमे समाजका भी थोडा वहुत दोष है या नही? राज्य-व्यवस्थाका भी क्या कोअी दोष नही? अगर हो तो अुसको (मनुष्यको) फाँसी कैसे दी जाय? अुसे जिंदा रखकर सुधारनेकी कोशिश करना क्या वेहतर नही है? अिस तरहके अनेक विचार मेरे दिमागमे चक्कर काटने लगे। अुस रातको मै सो न सका।

दूसरे दिन वडे तड़के जेलके डाक्टर हमारे यार्डमे आकर कह गये, 'आज हैंगिग (फाँसी) है, अिसलिअे मुझे यहाँ आनेमे देरी होगी।" रातको जो मैने अनुमान किया था, वह सही सावित हुआ। हम कुछ देख न सकते थे, किन्तु मन अौर कान फाँसी पानेवालेकी तरफ लगे हुअे थे। फाँसीके लिअे पैदल जानेवाला आदमी कैसे चलता होगा? अुसके चेहरे पर क्या भाव होते होगे? अुसके मनमे क्या मथन चल रहा होगा? आदि वाते जाननेकी तीव्र अिच्छा हुई। हमारे यार्डमे वाहर जानेके दरवाज़ेपर सीढी थी। अुसपर मै चढा अौर दीवारसे झाँककर देखा। फाँसी पाने वालेको लेकर आता हुआ जुलूस दिखाअी दिया। कैदीके दोनो हाथोमे हथकडी पडी हुअी थी। अुसके दोनो तरफ अौर पीछे सगीन-धारी कोअी अेक दर्जन सतरी, सुपरिण्टेण्डेण्ट, मजिस्ट्रेट आदि थे। कैदी वेचारा वंधे हुअे हाथो 'नम शिवाय, नम शिवाय' वोलता हुआ तेजीसे चला जा रहा था, मानो मृत्युसे भेटनेके लिअे वह अधीर हो अुठा है। अुसकी अुम्र करीव वाअीससे पच्चीस सालके वीचकी होगी। अुसे देखते ही मै सिहर अुठा अौर यह चलता-फिरता पुतला अेक-दो मिनटके भीतर ही अिस दुनियाको छोड़कर चल वसेगा, अिस खयालसे मेरा दम-सा घुटने लगा। लेकिन मै कर क्या सकता था? वहुत ही विह्वल अौर विकल

होकर मैं सीढ़ीसे नीचे अुतर आया। फाँसीकी जगह का दरवाजा खुलनेकी आवाज सुनी। दूसरी आवाज 'खट-खट' की आअी। वह फाँसीके तख्तेकी सीढियोंपर चढा। अेकाध मिनट खामोशी रही और अुसके वाद जोरके खटकेकी आवाज सुनाअी दी। फाँसी दे दी गयी। कैदीके गलेकी डोरी सख्त हुअी। वह लटक गया। यह सारा दृश्य प्रत्यक्ष आँखोंसे नही, वल्कि कल्पनाकी आँखोंसे मैं देख सकता था। अिस दृश्य और कल्पनासे मेरा मन वहुत शोक-मग्न हो गया। फिर भी फाँसीकी सजावालेको देखने, अुनसे वातचीत करनेकी अुत्कंठा मनमे अधिक जागृत हुअी। अिसलिअे जब सावरमती जेलमे साधारण कैदियोसे मिलनेकी मुझे अिजाज़त मिली तब फाँसीकी सजा पानेवालोंसे मिलनेकी मैंने खास तौरसे अपनी अिच्छा प्रकट की और अिजाजत मिल गयी। सावरमती जेलमे मैं क़रीव अुन्नीस महीने तक रहा। अिस अरसेमे पाँच आदमियोंको फाँसी दी गअी और अुन पाँचोंमें से हर अेकके साथ मैं वहुत निकट परिचयमे आया था।

: २ :

महमद मूसा मेरे परिचयमे आनेवाले फाँसीके कैदियोंमे सवसे पहला आदमी था, जिसे फाँसीकी सजा मिली थी। अुससे मिलकर और अुसके मुकदमेकी हकीक़त जान कर दयाकी अर्जी वग़ैरा देनेका काम मैंने सुपरिन्टेण्डेण्टसे अपने हाथ मे ले लिया। दो दिन तक अुसके पास वैठकर पूछताछ की, अुसके मुकदमे के कागजात पढ़े; लेकिन अुसने दिल खोलकर वाते नही की और यही कहता रहा कि वह विलकुल निर्दोष है, तभी मुझे अुपरोक्त शब्द अुससे कहने पड़े।

-- महमद खूब रोया। अुसे मरना होगा, अिस वातका अुसे

दु:ख तो था ही; पर मुझे अैसा भी लगा कि अुसे अिस वातका भी दु:ख था कि वह मेरे साथ सचाअीसे पेश नही आया। आखिर अुसने अपना अपराध मेरे सामने स्वीकार किया और सारी वाते मुझे वता दी। वात वही निकली, जिसका मुझे अंदाज था।

जब महमद वालक ही था तभी अुसके पिता अिस दुनियासे चल वसे थे, और अुसकी माँ दूसरी शादी करके अपने नये खाविदके साथ चली गअी थी। महमदकी परवरिश अुसके दादाने की। वढ़े इब्राहीम अभीतक ज़िंदा है और वहुत ही मुहब्वत और आदरके साथ कभी-कभी मुझसे मिलते रहते है।

महमदकी वीवीका चाल-चलन अच्छा नही था। अुसके तीन सालकी अेक छोटी लडकी थी। अेक दिन दोपहरको क़रीव वारह-साढे वारह वजे महमद खेतसे घर लौटा। अुसने अेक नौजवान आदमीको अपने घरसे वाहर आते हुअे देखा। फौरन् अुसके मनमे शक हुआ और वह तुरत मकानकी दूसरी मंजिलपर चढ गया, जहाँ रसोअीघरमें अुसकी वीवी वैठी थी। अुसने अुससे पूछताछ की, लेकिन वीवीने साफ अिन्कार कर दिया। अितना ही नही, अुल्टे वुरे शब्दोमे महमदको वहमका शिकार हो जानेके लिअे कोसना शुरू किया। महमद आपेसे वाहर हुआ। तरकारी काटनेकी छुरी वही पड़ी थी। अुसे अुठाकर वीवीपर वार किया। वह लहू-लुहान होकर जमीनपर गिर पडी और तुरंत मर गयी। अिस घटनाको प्रत्यक्ष देखनेवाला कोअी नही था। सामनेके घरके किसीने अुस स्त्रीकी चिल्लाहट सुनी और जो कुछ थोडा-वहुत देखा, अुतना ही सवूत था। किन्तु खून करनेके वाद महमद गाँवके चौकीदारके पास गया और अपने कियेको मंजूर कर लिया। आज भी मेरा विश्वास है कि अदालतमे मुकदमा पेश

होनेके वाद अगर महमदको सच वोलने की सलाह मिली होती तो अुसे फाँसीकी सज़ा नही होती। पर दुर्भाग्य वेचारे का! अुसे वचानेके लिअे अुसके दादाने खूव क़ानूनी कोशिशें की और पैसा भी काफी खर्च किया; लेकिन अुसकी जड़मे असत्य होनेके कारण सवपर पानी फिर गया।

अदालतमे मुक़दमा जानेके वाद महमदको यह सलाह दी गअी थी कि चूकि खूनका चश्मदीद गवाह कोअी नही है, हत्याका सवूत जुटानेका वोझ सरकारपर है, अिसलिअे महमद और कुछ न करते हुअे सीधा अिन्कार कर दे और कहे कि मुझे कुछ भी मालूम नहीं है। अिसके साथ ही अेक विचार यह भी आता था कि सच्ची बात वतानेसे अपनी औरतकी वदचलनीकी वात भी कहनी पड़ती और अैसा कहनेमें अुसे वहुत वदनामी महसूस होती। अिसीलिअे आखिरतक वह 'मैं कुछ नही जानता' यही मत्र रटता रहा। अदालतने मुक़दमेमें आया हुआ सवूत मान्य रखा। महमदको मौतकी सज़ा न हो सके, अैसी कोअी वात सामने नहीं थी और अन्तमे अुसे मौतकी सजा मिली। औरतकी वदचलनी, नौजवान आदमीके घरमें आनेकी वात, सच्ची हकीक़तका अिन्कार करके वुरे शब्दोमे महमदको कोसना और महमदका अुत्तेजित होना आदि चीजे अदालत के सामने यदि रखी गयी होती तो मेरा खयाल है कि कोअी भी अदालत मौतकी सज़ा नही देती। सेशन्सकी सजाको हाअीकोर्टने क़ायम रखा। अिसलिअे दयाकी अर्ज़ीके अलावा और कोअी चारा नही था। लेकिन दया माँगना हो तो सच्ची वातपर ही आधार रखना पड़ता है। अिसीलिअे मैं अुसे समझाता था कि दया पानेकी अगर संभावना हो तो वह केवल सच वोलनेसे ही मिल सकती है। लेकिन दया न भी

मिले तो भी मौत निश्चित होनेके बाद अब झूठ बोलना क्यों जारी रखा जाय? सच बोलकर मरना स्वर्गमें जानेका रास्ता है। अपराध करना और फिर झूठ बोलना, यह जहन्नुमका रास्ता है।

अिसी प्रकारकी दलीले मैं अुससे करता था। तीसरे दिन यह दलील अुसको जँची और खूनको साफ शब्दोंमें कबूल करके दयाकी याचना करनेवाली अर्जीका मैंने मसविदा बनाया। अिसका भी खुलासा किया कि अदालतमें झूठका आश्रय क्यों लया और जो हकीकत अिस दयाकी अर्जीमें लिख रहा हूँ, वह बादमें गढ़ी हुअी बात नहीं है; बल्कि सत्य है, अिसके प्रमाण-स्वरूप खूनके फ़ौरन बाद ही चौकीदारके सामने जो बयान दिया गया था, अुसे देखनेकी प्रार्थना भी की। अन्तमें अर्जीमें यह भी सूचित किया कि अुत्तेजित होकर औरतको मारनेमें मैंने अपराध ज़रूर किया है। मौतसे बचनेके लिअे मैं यह अिकरार नहीं कर रहा हूँ, बल्कि किये हुअे पापके प्रायश्चित्तके तौरपर यह कबूल कर रहा हूँ। मौतकी सज़ा कायम रही तो भी मुझपर अन्याय नहीं हुआ है, पूरा न्याय ही हुआ है, अैसा समझकर अपनी बीवीसे माफी चाहता हुआ मैं फाँसीके तख्तेपर चढ़ूँगा।

अपराध स्वीकार करके दया माँगना, यही सत्यका रास्ता था। अितना ही नहीं, बल्कि व्यावहारिक रास्ता भी वही था। हमारा नित्यका अनुभव भी यही है कि पूरी बातको पूरी तरह क़बूल करके अगर कोअी माफ़ी चाहे तो हम माफी देनेसे अिन्कार नहीं कर सकते। यह भी हरेकका अनुभव है कि झूठ बोलकर कोअी अपना बचाव करे तो अुल्टा गुस्सा बढ़ता है और अपराधके लिअे न्यायसे भी अधिक कडी सज़ा होती है। वकालतका मेरा अनुभव भी अैसा ही है।

लेकिन महमदकी अर्जीका मसविदा बनाते समय मुझे अेक प्रकारका सकोच और डर-सा मालूम होता था। अुसके क़ानूनी सलाहकारोंने अुसे जो सलाह दी थी, मेरी सलाह अुससे विलकुल अुल्टी थी; लेकिन मेरी सलाहकी जड़में मेरी जो दलील थी वह मज़बूत थी। कानूनी रास्तेसे जो होना था सो हो चुका था। अब सरकारके दिलको (यदि सरकार नामक सस्थाके पास मनुष्य का दिल हो तो) दर्द-भरी अपील करना ही अेक रास्ता बचा था। अिसमे मुझे कोअी सदेह नही था कि झूठ बोलनेसे फॉसीकी सजा क़ायम रहेगी ही। सच बोलनेसे फाँसीकी सजा घटनेकी कुछ संभावना थी। फिर भी मुझे संकोच अिसीलिअे हो रहा था कि सत्यके अनुसार चलनेकी मेरी नैतिक और व्यावहारिक सलाह महमदको जँच तो गअी थी, तो भी यह सभव था कि फॉसी के तख्तेपर चढते-चढ़ते भी अुसको यह विचार आजाय कि अपने अिक़रारके कारण ही मै फाँसीपर चढ़ रहा हूँ, और मुझसे यह अिक़रार दादाने ही कराया था। अुसके दिलमे अैसा खयाल आना ही मेरे दिलको दु.खी करनेके लिअे काफी होता। लेकिन अिस तरहके खयालोके धर्मसंकटसे अीश्वरने मुझे बचा लिया। दयाकी अर्जी भेजनेकी मियादके ठेठ आखिरी दिन बम्बअीके अुसके वकीलका जेलके सुपरिण्टेण्डेण्टके नाम खत आया। साथमे दयाकी अर्जीका मसविदा था। पत्रमे सुपरिण्टेडेटको यह लिखा था कि 'आप स्वय जाकर महमदको अिस अर्जीका मतलब समझा दे। अपराधको स्वीकार करके दयाकी याचना की है।' महमदको जब यह बताया गया तो अुसने मुझसे कहा कि मेरा तो अब वकीलों-पर विश्वास ही नही रहा है। अुनकी सलाहसे मै झूठ बोला, और अुसके फलस्वरूप मौतकी सजा पाअी। अब मौतके दरवाजेपर

मैं अुनकी कुछ भी सुनना नहीं चाहता। खुदाको याद करके मैं सचाईकी राहको ही पकड़ा रहूँगा। आपने जो सच्ची सलाह दी है अुसीके मुताबिक मुझे अपनी अर्ज़ी भेजनी है।

अर्ज़ी भेजनेके बाद आखिरी फैसला होनेमें क़रीब अेक महीना लगा। अिस बीच हर रोज़ शामको क़रीब अेक घंटा मैं महमदके पास बिताता था। कअी तरहकी बातें होती थीं। मौतके बाद अुसकी जायदाद व शवकी व्यवस्था किस तरह की जाय, अिसकी भी सूचनायें अुसने मुझे दीं। मैंने अुससे कहा, "आदमी की यह काया हमेशा रहनेवाली नहीं है। लेकिन महमद, तुम अेक तरहसे बड़े खुशकिस्मत हो। मौतका वक्त और दिन तुमको पहलेसे मालूम हो जायगा। अिसलिअे अपनी आखिरी घड़ी तुम खुदाको याद कर सकोगे और अिस तरह खुद पाक बनकर खुदाके दरबारमें जानेकी तैयारी करनेका तुम्हें वक्त मिलेगा। हम जैसोंकी हालत तो बहुत ही बेढंगी है। स्टेशनपर पहुँच गअे हैं, लेकिन अिसका कोअी पता नहीं कि सफर कितना लम्बा है और साथमें बिस्तर या पानीका लोटा भी नहीं है। यकायक ट्रेन आकर खड़ी हो जाय और हुक्म हो जाय कि बैठ जाओ तो बिना किसी तैयारीके बैठना पड़े। रिश्तेदारोंकी पूछ-ताछ करने या अुनसे विदा होनेका वक्त भी नहीं मिलता और ट्रेन छूट जाती है। लेकिन तुम्हें अिन सब चीजोंके लिअे काफ़ी वक्त मिल रहा है।"

अिस तरहकी दलीलोंसे अुसको संतोष होता था, लेकिन मुझे बहुत परेशानी होती थी। मुझे अैसा महसूस होता था कि सब 'परोपदेशे पाण्डित्यम्' है। यदि मुझे अैसी सज़ा हुअी तो क्या मैं चित्तको शांत रख सकूँगा? अीश्वरकी प्रार्थना करने जितनी क्षमता भी क्या मेरे मनमें रह सकेगी? अंदरकी आवाज़

अिन्कार कर रही थी। अिस कारण मनमें यह खयाल होता था कि जिस बातको मै अमलमें ला नही सकता, अुसका दूसरोंको अुपदेश करनेका मुझे क्या अधिकार है? मेरे अुपदेशोंसे भले ही महंमद थोडा खुश हो जाता हो या अुसे जरा तसल्ली मिलती हो, लेकिन क्या यह मेरा भारी दंभ नही है? सत्यकी दृष्टिसे मेरे कार्यकी क्या क़ीमत आँकी जा सकती है?

अिस प्रकारके विचार मुझे अपनी कोठरीमे लौटनेपर आते रहते, और अेक दिन तो मै अितना अकुला गया कि मैंने निश्चय किया कि महमदके पास जाकर दंभ भरे अुपदेश देनेकी अपेक्षा वहाँ न जाना ही ठीक है।

दूसरे दिन मै महमदके पास नही गया। अिससे वह बहुत दु:खी हुआ और अुसकी ओरसे संदेसे आने लगे, "दादा क्यों नहीं आते? क्या अुनकी तबीअत खराब है? मुझसे नाराज तो नहीं हुअे। मुझसे कोअी क़सूर हुआ? अुन्हें कहे कि थोड़े समयके लिअे ही महमदसे ज़रूर मिल लें।" अपने दिलकी अुलझन संदेसा लानेवालोंको मैं क्या बताअूँ? और वे समझते भी क्या? दो दिन मैं नहीं गया। लेकिन महमदके हृदयकी व्यथा देखकर मुझे दूसरी प्रकारकी परेशानी हुअी। मै भी कैसा निर्दयी हूँ! अिस आशंकासे कि मैं अपने आचरणमें दंभकी छाया देख रहा हूं, अुससे मिलने नही जाता, यह क्या ठीक है? पर मैं क्या करूँ? जाअूँ या नही? मेरी मनोव्यथा और बढ गअी। यह भी अनुभव हुआ कि 'किं कर्म किमकर्मेऽति कवयोऽप्यत्र मोहिताः' (क्या करना चाहिअे और क्या नही, यह बड़े-बडे लोग भी तय नही कर पाते)। भगवानका यह कथन कितना सही है!

दो-तीन दिनकी मेरी अुलझन और गैरहाज़िरीके दरम्यान

महमदकी ओरसे तो संदेसे आते ही रहे। अन्तमें मुझे अेक रास्ता सूझा। मेरा यह दावा नही है कि यह अिलाज बिलकुल ठीक था, लेकिन अुससे मै अपने मनको संतोष कर सका। मैने तय किया कि महमदके पास जाकर अपनी कमजोरी मंजूर कर दूं। मै उसके पास गया और साफ़ तौरसे उससे कहा "महमद, जो नसीहत मैं तुम्हें दे रहा हूँ वह सही होते हुए भी मुझे अैसा लगता है कि मै खुद अुसपर अमल कर नही सकता। अिसलिअे तुम्हारे पास अिस तरहके फिलसफेकी बड़ी-बड़ी बातें करनेका मुझे कोअी हक़ नही है। अितना ही नही, अुस तरहकी बाते करना भी मुनासिब नही है, अिसी वजहसे मै नही आ रहा था। आज तय किया कि अपनी कमजोरी साफ शब्दोमे तुम्हे बता दूं ताकि तुम्हारे दिलमे मेरे बारेमे किसी तरह की गलतफहमी न रहे और अुसके बाद ही मै ये नसीहतकी बाते तुम्हारे साथ किया करूँ।" महमदकी आँखे भर आअी। वह बोला, "दादासाहब, आप भले ही अपने बारेमे अिस तरहका खयाल करे, लेकिन मुझे तो पक्का भरोसा है कि अगर आपके सामने भी अिस तरहका मौक़ा आ जाय तो आप भी अुसी तरह पेश आयेंगे, जैसी कि आपने मुझे नसीहत दी है। मेरे लिअे तो आपके बारेमे अितनी इज्ज़त काफी है। आप अपने मनमे और कोअी ख़याल न रखे! रोज़ यहाँ आया करे। आपके आनेसे मेरे मनको ढाढ़स मिलता है और जी खुश रहता है।"

अिसके बाद मै रोज़ नियमित रूपसे महमदके पास जाने लगा। हमारे जेलर मि० जोसेफ मुझे जब-जब महमदकी तरफ जाते देखते, तब-तब हँसकर कहते, "Mr. Mavalankar on his mercy mission" (श्री मावलकर अपने दयाके

मिशनपर निकले है !)

महमदके पास जाता तो अनेक प्रकारकी चर्चाअे होती, जैसे—अुसकी अपने दादाके साथ हुअी मुलाकाते, अुसकी मृत्युके वाद अुसकी लडकीकी व्यवस्थाके वारेमे लिखा-पढ़ी, अुसके शवको भड़ोंचके पासके अुसके गाँवमें ही दफ़नानेकी व्यवस्था, फाँसी दिये जानेके वाद अुसके शवको नीचे अुतारनेमे किन-किनकी मदद ली जाय, किसके हाथों नीचे अुतारा जाय, आदि वहुतसे विषयोंकी वाते होती, दुनियादारीकी वाते होती, नरदेहका साफल्य किसमे है, मौत यानी क्या, मौतके वादकी स्थिति, वगैरा तत्त्वज्ञानकी और वातें भी हमने कीं।

जैसे-जैसे फॉसीका दिन नजदीक आने लगा, महमद अिस नाशवान दुनियाका त्याग करनेके लिअे अधिकाधिक तैयार होने लगा। अुसकी अनासक्ति खूब वढ़ गयी। मैंने देखा कि देह-संवंधी अुसकी अनास्था सपूर्ण हो गयी थी, मानो गीताके तत्वज्ञान का अुसे साक्षात्कार हुआ हो। मेरे मनमे अुसके प्रति ममताके साथ-साथ आदर भी पैदा हुआ।

मेरे जेल-निवासके दरमियान फाँसीपर चढनेवाले पाँच आमदियोंके साथ मेरा गहरा परिचय हुआ। अुस अनुभव परसे मुझे लगा कि पढे-लिखे कहे जानेवाले लोगोंकी अपेक्षा अनपढ व गँवार समझे जानेवाले लोग जीवन-मरणका तत्वज्ञान अपेक्षा-कृत वहुत कम समयमे समझ लेते है। यही नही, उसपर अमल भी करते है। हो सकता है कि अपनी मृत्युका भान तीव्रताके साथ होनेके कारण अुनकी दृष्टि आध्यात्मिक हो जाती हो और वे अेक प्रकारकी स्थितप्रज्ञता अपनेमे अुत्पन्न कर लेते हों। महमद क़रीव-करीव हर रोज़ मुझसे अेक वात कहा करता था,

'दादासाहब, मुझे फाँसी हो जानेके बाद मेरी रूह (आत्मा) के लिअे आप सब दुआ माँगियेगा।" मै अुसे 'हाँ' कहता था और अिसके मुताबिक जिस दिन अुसे फाँसी दी गयी, अुस दिन जेलमे हम सब राजनैतिक कैदियोंने अुपवास किया था और सामूहिक प्रार्थना भी।

दयाकी अर्जी देनेके बाद महमद और मै, रोज आशा-निराशाके बीच झूल रहे थे। मेरी श्रद्धा न थी कि सरकारी तंत्रमे मानव-भावनाओका खयाल किया जायगा, फिर भी रुपयेमे चार आने भर यह अुम्मीद थी कि मुकदमेके सारे कागजात देखनेवाला कोअी-न-कोअी माअीका लाल सेक्रेटेरियटमे मिल जायगा और फाँसीकी सजा कम करके अुसके बजाय कैदकी सजा कर दी जायगी, किन्तु वैसा न हुआ। दयाकी अर्जी रद्द हुअी। अिस बातकी जानकारी जब अधिकारियोने महमदको दी तबसे अुसने खाना छोड़ दिया, सिर्फ चाय, दूध वगैरा कुछ वह ले लेता था। रोटी-तरकारी लेना अुसने त्याग दिया।

दो दिनके अुसके अैसे अुपवासके बाद अुनके संतरियोने मुझसे कहा, "दादासाहब, हम फाँसी पानेवाले कैदियोपर पहरा देनेवाले और बदूकोंके पहरेमे अुन्हे फाँसीके तख्तेपर ले जाकर अुन्हे वहाँ लटकता हुआ देखनेवाले लोगोमेंसे है, फिर भी अुन कैदियोके प्रति हमे हमदर्दी है। अिस तरहके दृश्य देखकर भी हमारे दिल निष्ठुर नही हुअे है। कुछ दिनोके बाद महमद मरनेवाला है। फिर भी वह कुछ खाता नहीं है, जिससे हमे बडा दुःख होता है। अुसका अनशन आप तुड़वा सके तो हमारे दिलको शांति मिलेगी।" सात्विक अनशनमे कितनी शक्ति होती है, अिसका सबूत यह छोटा-सा किस्सा देता है। मुझे भी

लगा कि महमद अुपवास करनेके वजाय कुछ खाया करे तो अच्छा। अुसकी अुपवासकी मीमांसाका मुझे पता नही था।

मैंने महमदके साथ अिस सबधमे वातें की। पूछा, "महमद, क्या यह सच है कि तुम दो-तीन रोजसे कुछ खा नही रहे हो?"

महमदने कहा, "जी हाँ।"

मैंने फिर पूछा—"खाते क्यों नही? अेक-न-अेक दिन तो सबको मरना ही है। तुम तो मरनेके लिअे तैयार हुअे हो। फिर क्यों मौतका डर आजसे ही लगने लगा कि जिससे खाना भी अच्छा नही लगता। अिस तरह डरनेसे कैसे काम चलेगा? जो तकदीरमे लिखा है, अुसके लिअे तो तैयार होना ही चाहिये न?"

महमद बोला, "दादा साहव, क्या आपका यह खयाल है कि मैं मौतके डरसे खाना नही खाता? लेकिन, वैसी कोअी वात नही है।"

"तो खाना वन्द करनेकी वजह क्या है?"

महमदने कहा, "देखिये, दो-चार दिनके अन्दर ही मेरा खुदाके दरबारमें जाना तय है। वहाँ जानेके लिअे मुझे अपनी देह और मन विलकुल साफ रखना चाहिये। खुदाके दरवारमे किसी भी तरहका मैल नही चल सकता। अगर मैं खाना जारी रखूं तो क्या यह डर नही है कि फाँसीके वक्त गला रुँध जानेके सवव टट्टी-पेशाव निकल जाय और मेरी देह नापाक हो जाय? अिस तरह नापाक होकर मै पाक खुदाके दरवारमें पहुँचूं, यह आपको ठीक लगता है?"

अुसकी यह मान्यता चाहे सच हो या झूठ, अुसकी दलीलसे मुझे सचाअी मालूम हुअी। मनको शुद्ध और शांत रखनेके लिअे

खुराक भी कब ली जाय और जो ली जाय वह सात्विक हो. अिस बातसे भी अिन्कार नही किया जा सकता। अिसलिअे मै अुसे अुपवाससे परावृत्त कैसे कर सकता था? अुसका रास्ता सही था। फिर भी दुनियादारीकी दृष्टिसे अुसकी सच्ची हालत लोगोको कैसे समझायी जाय? वे तो यही माननेवाले थे कि मौतके डरसे अुसने खाना छोड दिया है और अूपरसे ढोंग करता है। अिसलिअे मैने अुससे कहा, "तुम्हारी बात तो सही है। लेकिन वह अिन सतरी और दूसरोंकी समझमे आना कठिन है। तुम्हारे लिअे अिन लोगोके दिलोमे जो हमदर्दी है अुसमे कुछ कमी आवे, यह मै नही चाहता। अिसलिअे मेरा अितना ही कहना है कि मै तुम्हे डबलरोटीका अेक टुकड़ा दूगा। तुम अुसे दूध, काफी या चायके साथ ले लो। अुसके बाद अुपवासके बारेमे तुम्हारा जो खयाल है, वह मै अुन लोगोंको समझा दूंगा। तुम्हारे कुछ खानेके बाद ही वे लोग तुम्हारी बात समझ सकेगे, वरना अुनके दिलमे यही शक बना रहेगा कि मौतके डरसे महमद कुछ नही खाता है।"

अिस प्रकार महमदने थोड़ा कुछ खाया और काफी ली। सब खुश हो गअे। बादमे मैने अुन लोगोको महमदका दृष्टिबिन्दु समझाया। अिससे महमदके प्रति अुन लोगोकी अिज्जत और भी बढ गअी।

फाँसीके पहलेकी शामको म महमदसे मिला! वह हमारी आखिरी मुलाकात थी। अिसकी याद हमेशा बनी रहेगी। महमदके दादा भी आये थे। शाम होनेपर मै अपने याडंकी ओर जानेके लिअे तैयार हुआ तो महमदने पूछा, "कल सुबह हमारी मुलाकात हो सकेगी?" बड़े दुखके साथ मैने अिन्कार किया और कहा, "कल तो बाहरके हाकिम भी आवेगे। मेरा

यहाँ मौजूद रहना जेलके हाकिमोंके हक़मे अच्छा नही होगा। फिर हम दोनोंको अेक-दूसरेसे विदा लेना वहुत ही दु:खकी बात होगी। अिसीलिअे यही हमारी आख़िरी मुलाक़ात है।" महमदने जवाबमें अितना ही कहा, "ख़ुदा आपका भला करे। मुझसे कोअी गलती हुअी हो तो आप सव, मुझे माफ़ करे। मेरी आत्माके लिअे दुआ करेगे न ?"

अुस रोज रातको मुझे नीद नही आयी। जेलकी घड़ीके सारे घटे मैंने सुने। सुबह आठ बजे महमदको फाँसी दी जाने वाली थी। अुसके कोअी पौन घटे वाद मुझे वहाँ जाना था और अुसके शवका प्रबन्ध करना था। महमद तो सारी रात जागता रहा और तस्बीह फेरता रहा। सुबह चार वजे अुसने सतरियोंसे कहा, "नहानेके लिअे गर्म पानी मिल सकेगा? पाक ख़दाके पास जानेका वक्त नजदीक आ रहा है। अिसलिअे मैं नहाना चाहता हूँ।" नहा-धोकर अुसने अिबादत की। ठीक समय पर जेलके अधिकारी आये। हमेशाकी रीतिके अनुसार अुन्होंने महमदसे पूछा, "ख़ूनके क़सूरके लिअे तुम्हें मौतकी सजा दी गअी है। कुछ कहना है ?"

महमदने जवाब दिया, "नही, मुझे तो अिन्साफ़ ही मिला है। मैं अपनी बीबीसे माफ़ी चाहता हूँ। सब लोगोंसे कहियेगा कि मुझसे कोअी गलती हुअी हो तो मुझे माफ कर दे। दादासाहवसे भी कहियेगा कि मैं अुनको भूलनेवाला नहीं हूँ। वे भी मुझे न भूले। मेरा आख़िरी सलाम मंजूर करें।"

अितना कहकर वह फाँसीके तख्तेकी ओर चल दिया। तख्तेपर चढ़ा और पट्टीपर खड़ा रहा। दोनों हाथ पीठ पीछे ले जाकर अुनमें हथकड़ी डाल दी गअी। दोनों पाँव रस्सीसे

बाँध दिये गअे। मुहपर काली थैली चढ़ा दी गअी और गलेमें फाँसीकी रस्सी डाल दी गअी। महमद खुदाकी बंदगी करता हुआ शांत और चुपचाप खड़ा था। जल्लादने लीवर (दुडा) घुमाया। खट्…तख्ता नीचे गिर गया…महमद नीचे लटक गया। गलेके फंदे कस गअे। अुसकी जीवन-ज्योति बुझ गअी। अुसकी निश्चलताका, शांतिका हाल जेलके डाक्टरने आकर मुझे बताया। दुःखमे भी मुझे अेक तरहका सन्तोष हुआ कि आखिर तक वह शांतचित्त रहा। अुसके शवकी अन्तिम क्रियाके लिअे अुसकी सूचनाके अनुसार सबकुछ किया गया। ताबूतमे शवको रखकर नजदीककी मसजिदमे नमाज़ पढ़ी गअी। बादमे शवको ट्रेनसे भडोंच भेजा गया। अिस कार्यमे जेलके बाहरके अनेक मित्रो-ने केवल मानवताकी भावनासे मदद की। धर्म कोअी भी हो, लेकिन मानवता अेक ही है, अिसका सच्चा सबूत अिस घटनासे मिला।

शामको हमने जेलमे सामुदायिक प्रार्थना की। मित्रोंके आग्रहसे मैंने महमदकी कुछ बातें बताअी। सुनते-सुनते बहुतोंकी आँखोंसे आँसू बहने लगे और दो-चार तो फूट-फूटकर रोने लगे। सारा वातावरण बाहरसे शांत था, लेकिन मन क्षुब्ध और मानवताके हृदयस्पर्शी भावोंसे भर गया। जाति-भेद, धर्म-भेद, सब भेद चले गअे और थोड़े समयके लिअे ही क्यो न हो, हम सब लोगोंने मानवीय अैक्यका अनुभव किया। मुझे आज भी लगता है कि हम सब लोगोंके जीवनमे यह क्षण धन्य था। महमदकी आत्माको शांति मिले, यही प्रार्थना है।

महमदके दादा अिब्राहीम मियाँ और अुसकी लड़की आयेशा बीबी कभी-कभी भडोंच स्टेशन पर मिलते हैं। बूढे दादा मुझपर

वहुत ही प्रेम रखते हैं। मेरे लड़केकी शादीके समय (मभ्री, सन् १९४८) वह खास तौरपर मेरे यहाँ आये थे, और किसीकी भेट न लेनेका हमारा निश्चय होते हुअे भी, नजदीकके आप्तजन समान अिब्राहीम मियाँकी भेट (वीस रुपये) लेनेके सिवा कोअी चारा नही था। अनके घर शेरपुरा जानेका वचन मैंने अुनको दिया है। अुम्मीद करता हूँ कि कभी-न-कभी अुसका पालन कर सकूगा।

: ६ :

स्वाभिमानी शिवराम

"जवाँमर्द आदमी, फौजमे नौकरी कर आये, फ़ौजी पुलिसमे नौकरी करते हो, बदूक तुम्हारे पास रहती है, और कहते हो कि नदावाअी तुम्हे धमकी दे रही है और कहती है, देख लूंगी, आणदके बाजारसे तुम कैसे निकलते हो ! अैसी कायरता क्या तुम्हे शोभा देती है ? पुलिस अगर अैसा कहे तो अुसकी आबरू चली जाती है। तुम्हारे पास हथियार तो है न ? फिर तुम्हे रास्तेमे रोक कौन सकता है ? और अगर कोअी रोके भी तो क्या तुम अुसका मुकाबला नही कर सकते ? जाओ, फिरसे अिस तरहकी शिकायतें मेरे पास मत लाना।"

अिन शब्दोंमे बंदूकधारी सिपाही शिवरामको अुसके अधिकारी पुलिस अिन्स्पेक्टरने फटकारा। शिवराम चुपचाप चला गया। अुसने बंदूकको साथ लेकर आणदके बाज़ारमे जानेका मन-ही-मन निश्चय कर लिया।

: २ :

शिवराम सतारा जिलेकी खटाअु तहसीलमे भोसरे नामक गाँवका रहनेवाला है। अिस घटनाके वक्त अुसकी अुम्र क़रीब छत्तीस सालकी होगी। आणदमे बदूक-धारी सिपाहीकी नौकरी करता था। अिक्कीस बरसकी अुम्रमे वह फौजकी अेकसौ दसवी मराठा लाअिट अिन्फेन्ट्रीमे शामिल हुआ था और बेलगाँव, नीमच, अिलाहाबाद, पचमढी आदि जगहोपर

अुसने नौकरी की थी। ३० अप्रैल १९३३ के दिन वह अिस नौकरीसे मुक्त हुआ। तबसे अुसको फ़ौजी अमानत दल (Reserve Force) में रक्खा गया। दिसम्बर '३७ मे वह खेड़ा जिलेके सशस्त्र पुलिस दलमें शामिल हो गया।

अुसकी नौकरीका प्रधान कार्यालय आणंदमे था और वहाँकी पुलिस कोठरियोमें रहता था। कुंवारा था। घरपर बूढे वाप और अेक वहनके अलावा और कोअी न था। अुसकी माँ बचपनमें ही गुजर गअी थी।

आणंदमें नंदा नामकी वाघरी जातिकी अेक औरतसे अुसकी जान-पहचान हुअी। दोनों एक-दूसरेके निकट परिचयमें आये। जव पुलिस अधिकारियोंको पता चला तो अुन्होने अुस औरतको पुलिस कोठरीमे आनेकी, मनाही कर दी। फ़ौजकी नौकरीके समयसे तथा वादमे भी अधिकारियोंके हुक्मका पालन करनेकी ख़ासी तालीम शिवरामको मिली थी। अिसलिअे अपने अधिकारीका हुक्म अुसने शिरोधार्य किया और नंदाको पुलिस कोठरियोमे न आनेकी अुसने ताकीद कर दी।

शिवरामके साथके संबंधकी वजहसे अुस औरतको असमे माहवार कुछ रक़म मिलती थी। पुलिस कोठरियोमें जानेकी मनाही हो जानेकी वजहसे अुसकी वह आमदनी वंद हो गयी। अिसलिअे शिवरामके साथ अपना सवध जारी रखकर अुसने पैसे अैठनेकी युक्तियाँ और कोशिशे शुरू की।

: २ :

आणंदके तिजोरी थाने परका अपना पहरा खत्म करके रातको शिवराम अपनी कोठरीपर वापस आता था। सतरियोंके लिअे अैसा नियम था कि अपना पहरा खत्म होनेके वाद जव दूसरा

संतरी आता तो अपनी बंदूक तालेमे बन्द करके ही घर जाता। शिवराम जब घरपर लौटता था तब अेक छोटी-सी लाठीके अलावा अुसके पास और कोअी हथियार नही रहता था।

अेक दिन अंधेरेमे दो-तीन आदमियोने अचानक अुसपर लाठी-से हमला किया। शिवरामने अुनका सामना किया और हमला-वरोंको मार भगाया। अुसके दिलमे पूरा विश्वास था कि अिन हमलेके पीछे नंदावाअी का हाथ है; क्योंकि अपने साथ संबंध कायम रखनेके लिअे ललचानेवाले कअी निमंत्रण अुसको मिले थे। अुसी प्रकार जानसे मार डालनेकी धमकियाँ भी अुनको दी जाती थी, लेकिन शिवराम अपने निश्चयपर अडिग था।

पुलिस-कोठरीपर पहुँचनेके बाद दूसरे दिन सुबह शिवरामने रातकी अिस घटनाकी बात अपने दोस्तोंसे कही। सलाह भी माँगी कि अुसे क्या करना चाहिये। दोस्तोंने अुसका मजाक अुड़ाया, ताने दिये और कहा कि अिसमे शिकायत क्या करना है? खुदही समझ लेना चाहिये।

: ४ :

अिसके बाद कुछ दिन शांतिसे निकल गये। अेक दिन नदाके अुकसानेमे दो-तीन गुण्डे शिवरामसे मिले और कहने लगे, "बच्चूजी, हिम्मत हो तो आणंदके बाजारमे होकर निकलो। तिजोरीसे पुलिस लाअिन और पुलिस लाअिनसे तिजोरीके रास्तेमे तो बच निकले। लेकिन हिम्मत हो तो बाजारमे आओ। जिंदा नही लौटोगे। अगर जिन्दा रहना है तो नंदावाअीको रखो।"

यह बात जब शिवरामने अधिकारीसे कही तब अुसने अुसे अुपरोक्त ताना दिया। शिवरामने तय किया कि भरी बंदूक

लेकर वह बाज़ारमे जायगा ग्रौर अगर कोग्री सामने आकर ग्रुससे छेड़खानी करेगा तो फिर ग्रुसका मुकावला करेगा। नंदाको या ग्रौर किसीको मार डालनेका ग्रुसका कतग्री अिरादा नही था। अगर ग्रुसपर हमला हो तो ग्रुससे वचनेके लिग्रे ही वदूकका ग्रुपयोग करनेका ग्रुसका निश्चय था।

: ५ :

दूसरे दिन दोपहरके वाद पहरा खत्म करके वापस लौटते समय अपनी वंदूक कोठरीमे रखनेके वजाय ग्रुसमे कारतूस भर, ग्रूपर संगीन चढ़ा ग्रौर अपने कधेपर रख शिवराम आणदके वाज़ारकी ग्रोर चल पड़ा। वहाँ नदा वैठी फल-तरकारी वेच रही थी। साथमे छ-सात सालकी ग्रुसकी लड़की भी वैठी थी। शिवराम ग्रुसके सामने जाकर खड़ा हो गया। वाजारमें ग्रुस समय काफ़ी भीड़ थी, लेकिन हर आदमी अपने-अपने काममें लगा हुआ था।

शिवरामने नंदाको चुनौती दी, "देख, मैं वाजारमे आया हूँ। मुझे मारनेकी हिम्मत है किसीको? कहाँ गग्रे तेरे भाड़ेके टट्टू? हिम्मत हो तो आ जायँ मुझे मारनेके लिग्रे।"

शिवरामकी अिस चुनौतीपर से नंदाने समझ लिया कि यह समय सामना करनेका नहीं है। ग्रुसने शिवरामको गालियाँ देना शुरू किया। फिर भी शिवराम सीना ताने वही खड़ा रहा। अन्तमें वह माँ-वहनकी गालीपर ग्रुतर आग्री। शिवराम यह किसी भी हालतमें सहन नही कर सकता था। ग्रुसकी लड़ाकू-वृत्ति जाग्रत हुग्री ग्रौर अपने स्वाभिमानपर वार करनेवालेको मजा चखानेका विचार यकायक ग्रुसको आया। गालियाँ सुनते ही खड़े-ही-खड़े ग्रुसने नंदावाग्रीपर वंदूक चला दी। नदा

वही की वही ढेर हो गयी।

बंदूककी आवाज सुनते ही अिधर-अुधरके लोगोंका ध्यान बंदूक लेकर खडे शिवरामकी तरफ गया। नदा लहू-लुहान हालतमे वही पडी थी। शिवरामको पकडनेकी या अुनके पास जानेकी कौन हिम्मत करता? शिवराम वहाँसे चलकर पुलिस थानेपर आया और अुसने जो किया था अुसका बयान अपने अधिकारीको दे दिया। खूनके अिल्जाममे शिवराम गिरफ्तार कर लिया गया।

६.

खूनके जुर्म को मजूर करते हुए मैजिस्ट्रेटके सामने शिवरामने जो बयान दिया, अुसमे अुसने पूरी हकीकत जैसी थी वैसी बता दी। लेकिन आखिरमे अुसका रूप थोडा-सा बदल दिया। गुस्सेमे आकर गोली चलायी, यह कहनेके बजाय अुसने कहा कि नदा हाथापायी करने लगी, अिसमे गोली छूट गयी। यह कथन स्वीकार किया ही नही जा सकता था।

सेशन्स-अदालतमे जब मुकदमा चला तब बाजारके दो-तीन गवाहो ने कहा था कि नदाके पेटमे संगीन भोकते हुए अुन्होने शिवरामको देखा है। यह भी झूठ था। हो सकता है कि गवाह झूठ कहते हों या भ्रमसे ऐसा कहते हो।

अदालतने शिवरामको गुनहगार ठहराकर फाँसीकी सजा दी।

हाअीकोर्टमे अपील हुई, लेकिन फाँसीकी सजा कायम रही। दयाकी अर्जीमे शिवरामकी फौजी तालीमपर जोर देकर मैंने यह लिखा था कि चूंकि अुसको अैसा बनानेवाली खुद सरकार ही है, अिसलिअे सरकारको अिस बातपर गौर करना चाहिये।

ज़ोर-जुल्मका या धमकियोंका सामना हिंसासे भी किया जा सकता है, अिस प्रकारकी शिक्षा जिसे वरसोंसे मिलती रही है अुसको अगर कोअी अन्यायसे दवानेकी कोशिश करे तो अुसका नतीजा क्या होगा, अिस वातपर भी सरकारको सोचना चाहिये और फाँसीकी सजाको घटाकर शिवरामको जेलकी सजा दी जानी चाहिये। अिस प्रकारकी मेरी दलीलें थी। लेकिन सरकारी तत्र विधि-विधानपर चलता है। वदलती हुअी परिस्थितिमे अिस तंत्रसे यह बुनियादी विचार हो सकेगा, अिस वातकी आशा शायद ही रखी जा सकती है।

: ७ :

शिवराम सजा पाकर जेलमे जिस रोज आया अुसी दिनसे मैं अुससे मिलने जाया करता था। वह लिखना-पढ़ना ज्यादा नही जानता था, लेकिन वहुत-सी चीजे अुसे कंठस्थ थी। मराठी सतोंमें श्री तुकाराम, नामदेव आदिके भक्ति और तत्वज्ञानके अभग जानता था और खूब भक्तिभावसे गाता था। भक्त था। जोखिम अुठाकर दूसरोंके लिअे अपने आपको अर्पण करनेमे मराठापनकी शान समझता था। कवि भी था। अैसी मनोभूमिकावाले आदमीके लिअे मुझे वहुत ज्यादा प्रयास करनेकी आवश्यकता नही मालूम हुअी। जव कभी मैं जाता, वह मुझे संतोंकी वाते सुनाता, अभंग भी सुनाता। पंढरपुरके विठोवाकी वाते करता और फ़ौजमे नौकरी करते समय कहाँ-कहाँ जाना पड़ा, अिसकी भी चर्चा करता। वीच-वीचमे कभी अपने वारेमे सवाल किया करता कि अुसकी दयाकी अर्जीका क्या नतीजा होगा। आदि।

मुझे पच्चीस फीसदी आशा थी कि अुसकी फ़ौजी नौकरीकी

बातपर ध्यान देकर शायद सरकार अुसे फाँसीकी सज़ासे बचा लेगी। मै शिवराम से अैसा कहता भी था।

वह मुझे 'गुरुमहाराज' कहा करता था। अब भी मेरी समझमें नही आता कि अुसने मुझे गुरु क्यो माना था। अितना तो निश्चित था कि अुसका मित्र होनेकी वजहसे वह मेरे सलाह-मशविरेकी आशा रखता था। मुमकिन है कि अिसी वजहसे वह मुझे 'गुरुमहाराज' के संबोधनसे पुकारता हो।

दयाकी अर्ज़ीके रद्द होनेकी बात जब अुसे बताअी गयी तब मुझे बहुत दु:ख हुआ। लगा कि अेक अैसे शूर और भक्त मनुष्यके प्राण सरकार ले, अिसके बदले क्या ही अच्छा होता कि देशके किसी अच्छे कामके लिअे अुसका अुपयोग किया जाता। खिन्न मनसे जब मै अुससे मिला तो अुसीने मेरा समाधान करना शुरु किया, "गुरुमहाराज, आप क्यो दुखी होते है? मरना तो हरअेकको है ही। और मै तो सिपाही हूँ। मौतसे नही डरता। अिसलिअे आप बिलकुल दु:ख या शोक न करे।"

मेरे दिलको सहज शांति मिली और अुसके प्रति आदर-भावना बढी।

शिवरामके बूढे पिताको हाअीकोर्टकी अपीलके फैसलेके बाद खबर दी गअी। मेरी अिच्छा थी कि पिता अपने अिकलौते बेटेसे यहाँ आकर मिले। लेकिन वृद्धावस्था के कारण वह अकेले आ नही सकते थे। दूसरे किसीको साथ लाये तो आने-जानेका खर्च कहाँसे आवे? महज़ थोडेसे पैसोके लिअे बाप-बेटेकी मुलाकात न हो सके, यह बात मुझे असह्य-सी मालूम हुअी। अिसलिअे मैने अुसके पिताको लिखवाया कि "शिवरामसे मिलनेके लिअे यहाँ आ जायँ। सफरके खर्चका प्रबन्ध यहाँसे हो

जायगा।"

शिवरामके पिता और भानजे दोनों सतारासे सावरमती आये। अुनके ठहरनेका अिन्तजाम सावरमती आश्रममे किया गया था। पिता-पुत्र अेक-दूसरेसे मिले। लेकिन अचरजकी वात यह कि दोनोमेसे किसीकी आँखोमे आँसू न थे। वाप और वेटेने गीताका तत्वज्ञान अितनी हदतक अपने खूनमे मिला दिया था। दोनोंको दु ख तो वहुत हुआ था; लेकिन समझदारीके साथ उन्होंने सयम रक्खा। अिन पिता-पुत्रमे जो वात दिखाअी दी, वही वात अनपढ़ कहे जानेवाले हमारे सामान्य भाअी-वहनोमे भी काफ़ी मात्रामे दिखायी देती है। अिन लोगोंको हम अनपढ़ कैसे कह सकते है?

दो दिनतक शिवरामके पिता यहाँ रहे। वादमे चले गये। चार-पाँच रोजके वाद शिवरामको फाँसीपर चढ़ना था। अिसलिअे जब वे जानेके लिअे तैयार हुअे तव मैंने अुनसे कहा, "आप कुछ दिन और रह जाअिये। आपके लिअे रहनेका तो सव अिन्तजाम है ही।" लेकिन वूढेने अिन्कार कर दिया। कहने लगे, "शिवराम तो अव अीश्वरकी गोदमे है। मै दो-चार दिन ज्यादा रह भी जाअू तो अुससे क्या होगा!"

शिवरामका यह भी ख़याल था कि अुसे वचानेके लिअे शायद अीश्वर कोअी चमत्कार करे। वात यह नही थी कि अुसको मौतका डर था, या जीने की लालसा थी; लेकिन भीतर-ही-भीतर अुसे कभी-कभी अैसा महसूस होता था कि "मै छूट जाअूँगा।" फाँसीके अगले दिन अुसने मुझसे कहा, "अिन दो दिनोंमे मै जरूर छूट जाअूँगा।"

फाँसीकी तारीखका अुसको पता नही था। फिर भी दो

दिनकी बात जब अुसने कही तो मैंने पूछा, "ऐसा तुम किस आधार-पर कहते हो ?"

अुसने कहा, "कल रातको मुझे अेक स्वप्न दिखायी दिया था।" मैंने कहा, "अुसका मतलब कहीं यह न हो कि दो दिनमें तुम्हें फाँसी दी जायेगी और तुम्हारे प्राण चले जायँगे। अिस अर्थमें तो वह छुटकारा नहीं है ?"

शिवराम हँस दिया। बोला, "नहीं-नहीं, अिस अर्थमें नहीं है। मैंने अैसे भी किस्से देखे हैं कि जिसमें फाँसीके तख्तेपर चढ़े हुअे लोगोंको आखिरी क्षणमें मुक्ति मिली है।"

मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा, "अैसा कहाँपर देखा है ?" अुसने किसी चित्रपट (सिनेमा) का नाम लिया। लोगोंपर चित्रपटका कितना असर होता है, यह अिस छोटी-सी बातसे मालूम होता है।

फाँसीसे एक दिन पहले रातको बड़ी देरतक कअी लोग अुसके साथ बैठे रहे। अुस दिन दोपहरको मुझे बुखार आगया था। अिसलिअे अुसके पास स्ट्रेचरपर ले जाया गया था। फाँसीके पहले अुससे मिलना ही चाहिये, अैसा मेरा आग्रह था। जेलवालोंने अिसकी स्वीकृति दे दी थी।

: ८ :

अंधेरी रात बीती। फाँसीके दिनका अुदय हुआ। रातका समय शिवरामने श्री विठोबाका अेक भजन रचनेमें बिताया। कअी भजन भी गाये और सुबह नहा-धोकर वैकुंठलोकको जानेके लिअे वह वैष्णव तैयार हुआ।

अपराधके बारेमें सुबह मजिस्ट्रेटने अुससे पूछा तो अुसने जवाब दिया, "नंदा मेरी गोलीसे मर गयी, यह सच है।

लेकिन खूनके अिरादेका मै अिन्कार करता हूँ। फिर भी जो सज़ा मुझे मिली है अुसको मै अीश्वरका न्याय समझता हूँ। अिसलिअे मुझे किसी भी प्रकारका असंतोप नहीं है। मैंने अगर किसीको कुछ कहा हो तो सब मुझे माफ़ करे।"

अिसके बाद अुसने सुपरिन्टेंडेट, जेलर, डॉक्टर, आदिसे अलग-अलग पूछा, "गुरुमहाराजकी तबीयत अब कैसी है? अुनको मेरे अंतिम प्रणाम कहियेगा। भूलियेगा नही।"

फाँसीके तख्तेपर चढ़ते हुअे अुसने कहा, "साहब, रातको मैंने पांडुरंगका अेक बहुत अच्छा भजन बनाया है, आप सुने।" यह कहकर अुसने अूँचे स्वरमें भजन गाना शुरू कर दिया। वह भजनकी धुनमें था कि अुसके सिरपर काली टोपी पहना दी गअी। शिवराम धुनके आरोहमे था तभी गलेमे फाँसीका फंदा डाल दिया गया। अुसकी धुन चालू थी। यकायक नीचेका पटिया खिसक गया। खट्‌केकी आवाज हुअी और अुसकी जीवन-ज्योति बुझ गअी। भजनकी धुन शांत हो गअी।

: ७ :

यह चोला ही तो है

फाँसीकी सज़ा पाकर सोमा जेलमे दाख़िल हुआ। अुसी दिन सुवह करीव दस वजे फाँसीकी कोठरीके सीखचोके पीछेसे अुससे मिला। आंसू-भरी आँखोसे अुसने मुझसे पूछा, "मौतसे वचनेका मेरे लिअे क्या कोअी रास्ता नही है?"

मैंने अितना ही दिलासा दिया "अभीसे तुम्हे घवडानेका कोअी कारण नही है। अभी तो हाअीकोर्टमे अपील जायगी। यदि हाअीकोर्टने अपील नामजूर कर दी तो सरकारसे दयाकी अर्जी तो हम कर ही सकते है। तुम्हारे मुकदमेमे मैं सवकुछ करूँगा। लेकिन कागजात देखे विना क्या किया जा सकता है? अभीसे अिस वारेमे क्या कहूँ? पर फिलहाल तो अितना ही कहता हूँ कि अीश्वरका स्मरण करो और अुनकी कृपाकी याचना करो। अीश्वरकी कृपा तुम्हे संकटसे जरूर वचा लेगी।"

अितना कहनेके वाद मैंने अुससे सारी हकीक़त जाननेकी कोशिश की। लेकिन मुझे लगा कि वह वाते ठीक वता नही रहा है। अपने निर्दोष होनेका दावा वह करता था और रोता भी था। अितनी वातचीतके साथ अुसके साथकी मेरी पहली मुलाकात समाप्त हुअी।

अिसके वाद मैं स्त्रियोके यार्डमे मणिसे मिलने गया। अुसे भी सोमाके साथ फाँसीकी सज़ा हुअी थी। मुझे सोमाके मुक़ावले

यह औरत ज्यादा बहादुर मालूम हुअी। वह रोती नहीं थी, किन्तु अुसकी बोलीमें और आँखोंमें सोमाके बारेमें खून अुतर रहा था। दृढताके साथ अपनेको निर्दोष बताती थी, "वह मरा सोमा खुद तो गड्ढेमें पड़ा ही, अुसने मुझे भी हमेशाके लिअे कलंकित कर दिया।" अिस औरतसे भी पूरी हक़ीकत अिस समय मिलना असंभव-सा मालूम हुआ। अिसलिअे मैं अपनी कोठरी-में चला गया और मन-ही-मन तय किया कि अिन लोगोंके मुकदमेके कागजात आनेके बाद ही अधिक पूछताछ करूँगा। दूसरे दिन कोर्टके फैसलेकी नकल मेरे हाथमें आयी। छह दिनके भीतर ही अिन दोनोंकी अपील हाअीकोर्टमें दाखिल करनी थी।

: २ :

मणिकी अुम्र क़रीब पच्चीस सालकी थी। जातिकी पाटी-दार। सोमाकी अुम्र क़रीब तीस सालकी, जातिका लोहार। गोधरा तहसीलके गोकलपुरा गाँवकी अेक गलीमें आमने-सामनेके घरोंमें दोनों रहते थे।

चतुर रणछोड़ नामके अेक सुखी पाटीदार युवकके साथ कोअी दस-बारह सालकी अुम्रमें मणिका व्याह हुआ था। चतुरका खानदान खाने-पीनेसे सुखी था; लेकिन चतुर देखनेमें अच्छा न था। मणि खूबसूरत थी। अिस दृष्टिसे यह विवाह बेमेल था। लेकिन विशेष दुःखकी बात तो यह थी कि चतुर नपुंसक था।

मणिकी अुम्र जैसे-जैसे बढ़ती गयी, अुसे चतुरकी नामर्दी खलने लगी और अपनी प्राकृतिक अिच्छाओंको तृप्त करनेके लिअे वह मार्ग खोजने लगी। अिसके लिअे अुसे दूर नहीं जाना पड़ा। सामनेके ही घरमें युवक सोमा रहता था। देखनेमें सुन्दर था। मणिने अुसके साथ अपना संबंध जोड़ा। चतुरको अिस बात-

का पता चल गया, मगर अपनी कमजोरी जाहिर न होने देनेके विचारसे तथा अुसके वच्चे भी हो, अिस अिच्छासे अुसने अपनी आँखोंपर पर्दा डाल लिया। अितना ही नही, यह भी कहा जा सकता है कि सोमा और मणिके अिस संवंवमें अुसकी मूक सम्मति भी थी ।

अिस प्रेम-सवधसे मणिके दो वच्चे पैदा हुअे, जिन्हे दुनिया तो चतुरके वालकके रूपमे जानती थी।

चतुरका मकान वडा था। अुसमे दो या तीन कमरे पास-पास थे। अैसे अेक कमरेमे चतुर और अुसका कुटुम्व रहता था। अैसी आजादी होते हुअे भी गाँवके जीवनमे मणि और सोमाको अेक-दूसरेके साथ मिलनेके लिअे वहुत ही कम मौका मिलता था। दोनो शामको अंधेरेमे ही मुश्किलसे मिल पाते थे।

अेक रोजकी वात है कि चतुर कही वाहर गया था और दो-तीन दिन वाद आनेवाला था। अुस रोज शामको दिया-वत्तीके वक्त मणि और सोमाको निश्चिततासे मिलनेका मौका मिला। अदरके कमरेमे खटियापर लेटे-लेटे दोनो वाते कर रहे थे। कोअी छ सालकी अुमरका लड़का वाहरके कमरेमे खेल रहा था। कमरेके किवाड खुले थे।

ये दोनो अपनी वातोमे व्यस्त थे कि चतुर यकायक आ पहुँचा। अिन दोनोके संवधके वारेमे मूक सम्मति होनेपर भी अिस दृश्यको देखकर अुसे स्वाभाविक रूपसे गुस्सा आ गया। अपनी स्त्रीके वुरे आचरणसे भी कही अधिक स्पष्ट अुसे अपनी कमजोरीका खयाल हुआ और अिससे अुसका गुस्सा और भी वढा। चतुरको आगवबूला देखकर सोमाने समझा कि यह आदमी अव सारे मुहल्लेमे अिस भेदको खोल देगा। अिसने

बेहतर है कि अिसको यही खतम कर दिया जाय।

पास हीकी ताकमें तरकारी काटनेकी अेक छुरी पड़ी हुअ
थी। सोमाने अुससे चतुरपर हमला किया। अुसे खटियाप
गिराकर अुसकी छातीपर चढ वैठा और छुरीसे वार-वा
वार करके अपने घरकी ओर भाग गया। मणि वही खड़ी रही
या तो वह घवड़ा गअी थी या सोमाके काममें अुसकी सम्म
रही हो। जो हो, मणि चिल्लाअी नही। "मुझे मार डाला! मु
वचाओ।" अिस प्रकार चतुर दो-तीन वार चिल्लाया। अु
सुनकर पास-पड़ौसके अुसके रिश्तेदार आ पहुँचे। अुनके आने
पहले ही वार हो चुका था और चतुर मौतकी घड़ियाँ गिन र
था। मणिके छोटे लड़केने सोमाको चतुरकी छातीपर वैठक
छुरीसे वार करते देखा था। अुसीके कथनके अनुसार म
खटियापर चतुरके पैर दवाये वैठी थी।

दूसरे दिन रामनवमी थी। यह घटना १३ अप्रैल १९
की शामको हुअी थी।

: ३ :

मुक़दमेके कागज तैयार हुअे। पंचमहालके 'सेशन को
मुकदमा चला और खूनका षड़यंत्र सावित करके जजने दोनों
फाँसीकी सजा दी। अिसमें कोअी सदेह ही नही था कि सोम
खून किया; लेकिन खून करनेमें मणिकी सहमति थी या नही,
वात गभीरतासे विचार करने योग्य थी।

सोमाका वचाव यह था कि अिस खूनके विषयमें अुसे कु
भी मालूम नही है। दुश्मनीके कारण अुसे अिसमें फँसाया ग
है। अुसने खून किया है, यह वतानेवाला तो मणिके छोटे लड़
सिवा और कोअी था ही नही। रिश्तेदारोंके सिखानेसे वह

वोल रहा है।

अुधर मणिने अपने वचावमे सोमाको फँसाया था। अुसका कहना था कि चतुरके यकायक आजानेसे डरके मारे अुत्तेजित होकर सोमाने चतुरका खून किया और तुरत अपने घर भाग गया। मै घवडाअी हुअी कमरेमे ही थी; लेकिन खून करनेमे न तो मेरा हाथ था, न साथ ही।

सोमाके वचावके लिअे अपीलमे क्या लिखा जा सकता था? वह अुस समय शराव पिये हुअे था, लेकिन यह भी अदालतके सामने कैसे कहा जा सकता था? जव कि वह यह कहता था कि वह कुछ जानता ही नही है तो वहाँ दूसरी वात क्या कही जा सकती थी? अुसके विरुद्ध मणिका वयान और अुसका समर्थन करनेवाली वालककी गवाही थी और आगे-पीछेके संयोग थे। अिसलिअे सोमाके वचावमे कहने योग्य कुछ भी नही था।

लेकिन मणिकी वात और थी। मै खुद शकाशील था। वच्चेकी गवाहीपर मेरा विश्वास था। वालक क्यो अपनी माके खिलाफ झूठ वोलेगा? और मणिको खामखाह फँसानेमे अुसके रिश्तेदारोको क्या लाभ था? लेकिन यह सम्भव था कि कमरेमे अँधेरा हो और सव वाते स्पष्ट दिखायी न देती हो। निश्चितरूपसे यह भी नही वताया जा सकता था कि मणि खटियापर अपने पतिके पाँवोके पास खून होनेके पहले ही वैठी थी या सोमाके वार करनेके वाद घवडाकर अुस दुःखमे वह पाँवोके अूपर पडी थी। अिसलिअे मणिके अपराधके वारेमे शक तो था ही और मेरी दलील यह थी कि क़ानूनके अनुसार शकका फायदा मणिको मिलना चाहिये।

अपील करनेके वक्त मैने मणिके साथ खासी जिरह की।

सारी परिस्थिति ध्यानमें रखकर चतुरके नपुसकत्वके बारेमें मेरा जो सदेह था, अुसकी पुष्टि जेलकी दूसरी स्त्रियोंके द्वारा पूछताछ करके हो चुकी थी। अैसेमे मैने मणिसे बारबार पूछा, "बहन, तुम निर्दोष होनेका दावा तो करती हो; लेकिन मेरे मनकी शंका दूर नही हो रही है। मुझे बराबर अैसा लगता है कि अिस खूनमे बादमे या पहलेसे ही तुम्हारी कुछ-न-कुछ मदद होगी ही। अिसलिअे मुझे तुम सबकुछ सच-सच बता दो। हाअीकोर्ट संदेहका फ़ायदा देकर तुम्हें शायद मुक्त कर दे। मगर मेरे मनमे जो शक है वह दूर नही होनेका!"

अिस प्रश्नका मणिने अकाट्य जवाब दिया और मेरा संदेह दूर हो गया। अुसने कहा, "दादासाहब, जरा सोचिये तो, पतिको मार ड़ालनेमे मेरा क्या लाभ हो सकता था? विधवा बनकर क्या सोमाके साथ मेरा संबध जारी रह सकता था? अिसके विपरीत चतुर जिन्दा रहता तो अुसकी आड़मे मै चाहे जो करती रह सकती थी। सोमाने नादानीका काम किया। अुसने बेअकलीका काम किया। ख़ुद फंसा, मुझे भी फँसाया।"

अिस दलीलने मुझे लाजवाब कर दिया। अुसकी बात सच थी। चतुर जिन्दा रहता तो मणि जिस तरहकी जिन्दगी बिता रही थी वैसी ही जिन्दगी आगे भी बिताती रह सकती थी। हिन्दू-समाजका विधवा-जीवन वह कैसे पसंद कर सकती थी? मैने अुससे कहा, "मेरा शक मिट गया। तुम्हारी दलील अबतक मेरे ध्यानमे नही आयी थी। मुझे अब संतोष है।"

: ४ :

नित्यक्रमके अनुसार रोज क़रीब अेक घंटेतक मैं फाँसीकी कोठरीमे जाकर सोमाके पास बैठा करता था। शुरू-शुरूमें

तो सिवा अिस बातके कि हाओीकोर्टमें भेजी हुओी अर्जीका नतीजा क्या आयगा, सोमाकी और किसी भी चीजमें दिलचस्पी नहीं थी। मेरी हालत भी विषम थी। सच बात अुससे कही नहीं जा सकती थी और झूठ मैं बोल नहीं सकता था। अैसी हालतमें मैं अुसे क्या बताता? सिर्फ यही कहता रहता था कि अपीलका नतीजा कुछ भी हो, अीश्वरकी जैसी अिच्छा होगी, वैसा ही होगा। हम तो अुसका स्मरण करके अुसका आशीर्वाद मांगें।

अिससे अुसे कुछ दिलासा मिलता था। बादमें अिधर-अुधरकी बातें भी करते थे।

जैसा कि मेरा खयाल था, सोमाकी अपील हाओीकोर्टने रद्द कर दी। अुसकी फांसीकी सजा कायम रही और मणिको निर्दोष कहकर छोड दिया। अब सोमाका भविष्य निश्चित हो गया। मुझे अिसकी भी कोओी अुम्मीद नहीं थी कि दयाकी अर्जीका कोओी शुभ परिणाम निकलेगा। फिर भी दयाकी अर्जी तो करनी ही थी। नियम है कि फांसीके हर मामलेमें दयाकी अर्जी भेजी ही जानी चाहिये। अगर अपराधी अर्जी न भेजे तो अुसकी ओरसे जेलके अधिकारी अर्जी लिखकर भेजते हैं। बहुत समयसे यह प्रथा चलती आयी है। अिसकी वजह शायद यही है कि फांसी देनेके पहले मामलेके हर पहलूपर सरकारको सोचनेका मौका मिले।

अिस किस्सेमें मुझे अेक बातपर बड़ा अचरज होता था। सोमा हररोज कहता था कि फांसी दिये जानेसे पहले कम-से-कम पांच मिनटके लिअे अुसकी मणिसे मुलाकात करा दी जाय। लेकिन यह नामुमकिन था। अिसकी अेक वजह यह थी कि वह खुद फांसीकी सजा पानेवाली थी। अुसको भी स्त्रियोंके यार्डमें

चौबीसों घंटे तालेके अन्दर बंद रहना पड़ता था। अुसे बाहर कैसे लाया जा सकता था? और फिर पुरुषोंके यार्डमे? दूसरे, खूनकी घटनाके बाद मणिका अुसके प्रति किसी भी प्रकारका सद्भाव नही रह गया था। अितना ही नही, वह अुससे नफरत भी करने लगी थी। वह यह कहती थी, "अिसी मरेने मेरा यह हाल किया है।" अिसलिअे मैं हमेशा सोमाको समझानेकी कोशिश करता था कि अब मणिसे मिलकर अुसे क्या करना है? अब पराअी स्त्रीको भूल जा। फिर जेलके क़ानूनके मुताबिक अुसको यहाँ लाया भी नही जा सकता, आदि। लेकिन अिससे सोमाके दिलको कुछ भी सन्तोष नही मिलता था। अुसको सतोप देनेके लिअे मैं कुछ कर भी नही सकता था। हाँ, अेक मौका जरूर था और वह यह कि हाअीकोर्टसे मणिकी रिहाअीका हुक्म आ जानेपर अुसे जेलसे रिहा करते समय सोमाकी कोठरी-पर लाया जा सकता था। अिसके लिअे मैंने जेलवालोंसे अिजा-जत भी ले रक्खी थी।

लेकिन मणिको समझाना टेढी खीर था। अेक दिन मैंने अुसे सोमाकी अिस अिच्छाके बारेमे बताया तो वह बहुत चिढ गअी और अपनी 'पाटीदारी' भाषामे सोमाको खूब गालियाँ सुनाते हुअे बोली, "अुससे कहो कि मै अुसका काला मुंह नही देखना चाहती।"

अुसका यह रोष मैं समझ सकता था। पर व्याह न होते हुअे भी जिसके साथ अुसने विवाहित जीवनके सुखका अनुभव किया, अुसकी अिस आखिरी अिच्छाको न माननेमे मुझे बड़ी क्रूरता मालूम होती थी। जब तिरस्कार करनेपर भी वह मरने ही वाला है तब अुसकी अंतिम अिच्छाको पूरी करनेकी अुदारता और क्षमा

सोमाके प्रति मणिको दिखानी ही चाहिये, अैसा मेरा मन था। अिसलिअे कअी दलीलें करनेके बाद मैंने मणिसे कहा, "देखो, अुनने बहुत बुरा काम किया, तुम्हारी सारी जिन्दगी अुनने बरबाद कर दी, यह सब सही है। लेकिन तुम्हारे प्रति अुनकी जो भावना है अुसे देखते हुअे अुनकी अन्तिम अिच्छाको अिस तरह ठुकराना मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरा कहना है कि तुम सिर्फ दो मिनटके लिअे मेरे साथ चलो। सोमाके साथ किसी भी तरहकी बात मत करना। तुम्हारी अिच्छा हो तो बोलना, नहीं तो अपनी सूरत दिखाकर फौरन चली आना।"

मणिने मेरी बात मान ली। मुझे अिससे संतोष हुआ। मणिकी रिहाअीका हुक्म आनेके बाद अुसे लेकर मैं फांसी-कोठरीमें सोमासे मिलने गया। मैंने पहलेसे अिसकी सूचना दे दी थी। सोमा अुससे मिलनेके लिअे बहुत अुत्सुक था। हम दोनोंको आया देखकर वह गद्‌गद् हुआ। हाथ जोड़कर अुसने मणिसे अितना ही कहा, "मैं पापी हूं। मैंने तेरे साथ बहुत बड़ा अपराध किया है। मुझे माफ करना।"

अिस हालतमें मणिका रोष अुग्रताके साथ जागृत हुआ और अुसने तो क्षमाके बदले सोमाको फटकारना शुरू किया। मुझे यह दृश्य बहुत करुण लगा। सोमाने कुछ भी किया हो, फिर भी जिस हालतमें आज वह रखा गया था अुस हालतमें ठुकराना मुझे अुचित न लगा। अिसलिअे मणिकी बातचीत मैंने आगे नहीं बढ़ने दी और सोमासे विदा लेकर हम वहांसे चल दिये। सोमा शांत था।

मनुष्यके हृदयमें प्रेमके झरने कितने वेगवान होते हैं, यह कौन बता सकता है!

: ५ :

सोमाकी मौत तो अब करीब-करीब सौ फीसदी निश्चित हो चुकी थी। अुसकी दयाकी अर्जीमे अपराधका स्वरूप सौम्य बनानेके लिअे लिखने जैसा कुछ था भी नही। अिसलिअे सजाकी महत्ता कम करनेके लिअे जोर देनेके विचारसे मैंने नीचे लिखे चार मुद्दे पेश किये :

(१) सोमाकी जवान अुम्र,
(२) अुसकी मौतसे अुसकी बूढ़ी माँको होनेवाला दुःख,
(३) अुसके छोटे भाअियोका कोअी सहारा नही है,
(४) अपराध अिरादतन किया हुआ नही है, बल्कि शराबके नशेमे किया गया है।

जाहिरा तौरपर यह अंतिम कारण बिलकुल पंगु था।

अिस अर्जीका नतीजा साफ था। अिसलिअे अब मौतकी तैयारी करना ही अेक रास्ता बचा था। अिस कारण मैं अुससे कहता था कि आखिरी क्षणतक हम अच्छे नतीजेकी अुम्मीद करेंगे। किन्तु मौतकी तैयारी करना ही हमारा फर्ज है। मौतसे कौन बचा है? किसीकी मौत जल्दी होती है तो किसीकी देरीसे। मनुष्य-जीवनमे मरना तो निश्चित ही है। अिसलिअे मौतका डर न रखना ही अुसका सामना करनेका हथियार है।" अिस तरहकी तत्वज्ञानकी बाते होती थी, लेकिन यह नही कहा जा सकता था कि सोमापर अिनका क्या असर होता था। "मेरा अब किसी भी प्रकारसे छुटकारा नही होगा", यही अेक विचार अुसे मौतके लिअे तैयार कर रहा था।

अैसेमे अेक दिनके अन्दर मैंने सोमामे अेक आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा। जो हमेशा गीली आँखो और डरे मनसे फाँसीकी

बातें करता था, अुसमें हिम्मत आयी हुअी नजर आयी। बात यह थी कि वह मुझसे कहा करता था कि मुझे कुछ पढनेके लिअे दो। अिसलिअे मैं अुसे कुछ आसान चीजें पढनेके लिअे देता रहता था। लेकिन जब हाअीकोर्टमें अुनकी अपील रद्द हुअी तब मुझे खयाल आया कि अुनके हाथमें भगवद्गीता रखूँ और अुसका पाठ करके आत्माका श्रेय साधनेका प्रयत्न करनेके लिअे अुससे कहूँ। अिस प्रकार 'सस्तु-साहित्य-वर्धक' कार्यालयने प्रकाशित गीताका गुजराती अनुवाद मैंने अुसे दिया। चार-पाँच दिन गुजरे होंगे। नित्यके अनुसार मैं अुससे मिलने गया तो मैंने और ही दृश्य देखा। आश्चर्यके साथ-साथ मुझे शांति भी मिली। मुझे देखते ही सोमाने हँसते-हँसते कहा, "दादासाहब, अब मैं समझ गया।"

मैंने पूछा, "क्या समझा?"

अपने दोनों हाथ ऊपर-नीचे हिलाकर अपना शरीर बताकर वह बोला, "यह चोला ही तो है!"

"किसने कहा?"

"देखो न, खुद भगवान्‌ने कहा है। मेरा शरीर जायगा, किन्तु आत्मा अमर है। यह चोला भले जाय। अब मैं समझ गया।"

अिसके बाद कभी सोमाके चेहरेपर दुःख या खेदकी परछाअीं मैंने नहीं देखी। भगवद्गीताका 'वासांसि जीर्णानि यथा विहाय' का तत्वज्ञान सोमाने अितनी जल्दी और पूरी तौरसे अपने मनमें जमा लिया था कि सचमुच मुझे तो वह अेक आश्चर्यजनक घटना ही मालूम हुअी। यह भी हो सकता है कि मौतसे छूटनेका कोअी रास्ता नहीं था, अिसलिअे अिस तत्वज्ञानको अुसने तत्काल और

सही तौरसे स्वीकार कर लिया हो। जो हो, अिसमे कोअी शक नही कि सोमा गीताका ज्ञानी वना था।

२४ जनवरी १९४४ को सुवह नौ वजे अहमदावाद (सावरमती) सेंट्रल जेलमे सोमाको फाँसी दी गअी।

अुसका चोला तो यही रहा, आत्मा अीश्वरमे लीन हो गअी।

: ८ :

शाहज़ादे का प्यार

शाहजादा कानपुरका रहनेवाला था। बदन न दुबला, न मोटा। कद करीब सवा पाँच फुट। वर्ण श्याम। आँखे पानी-दार। चेहरा खुशनुमा। अुम्र करीब तीस साल। मिलमे नौकरी करनेके लिअे अहमदाबाद आकर रहता था। सबधियोंने माँ-बाप और बहन-बहनोअी। ये सब कानपुरमें रहते थे।

अहमदाबादमे वह अकेला ही रहता था, अिसलिअे बेफिक्र और तुनक-मिजाज था। हिम्मतका पूरा। लडाअी-झगडोमे या धीगा-मस्तीमे कूद पडना तो अुसके खूनमे ही था। स्वभावसे अुदार और रगीला। गोमतीपुरमें रहता था। लोग अुसे 'गोतमी पुरका दादा' (मनचला) के नामसे पहचानते थे।

अुसके पडोसमे ही 'बबली' नामकी अेक जवान स्त्री रहती थी अुम्र कोअी बीस-बाअीस सालकी होगी। जातिकी वाघरी। अपने माँ-बापके साथ ही रहती थी। अुसकी शादीको कुछ साल हो चुके थे। अुसके पतिकी अुम्र कोअी पचपन-साठ सालकी होगी। अुसकी अेक आँख भी चली गयी थी। शाहजादेके मुकाबलेमे वह कही भी टिक नही सकता था। बबलीको अपना पति जरा भी पसंद न था। अिसलिअे वह अपने घर नही जाती थी और अपने माँ-बापके साथ ही रहती थी। अिस बबलीके साथ शाहजादेका प्रेम हुआ। वे दोनो खुल्लमखुल्ला साथ-साथ बैठते-अुठते थे। बादमे तो शाहजादा बबलीके पिताके यहाँ

रहने लगा। वह करीब-क़रीब घरजवाअी जैसा बन चुका था। फर्क अितना ही था कि शाहज़ादेकी कमाअीसे बबली और अुसके माँ-बापका गुजारा होता था।

विनोदमें कह सकते हैं कि विषम विवाहके परिणाम-स्वरूप हिन्दू-मुस्लिम अैक्य अच्छी तरहसे जम गया।

बबलीपर शाहज़ादेका बेहद प्यार था। अपनी ब्याहता स्त्री न होते हुअे भी वह अुसे अपनी बीबीके जैसा ही मानता था। अिस कारण बबलीकी ओर कोअी जवान आदमी जरा देखे या बबली किसी भी जवानकी ओर देखे तो अुसके मनमें शक पैदा होता था और ईर्ष्या होने लगती थी। बबलीको ख़ुश रखनेके लिअे वह अपनी ओरसे अथक प्रयत्न करता था। खाना-पीना, कपड़े-लत्ते आदिमें वह खुले हाथों ख़र्च करता था। कानपुर अपने माँ-बापको वह पैसे नही भेजता था; पर बबलीके लिअे सबकुछ ख़र्च करता रहता था।

बबलीके यहाँ अेक वाघरी युवक आता था। अुसके साथ बबलीका बहुत अच्छा संबंध था। वे दोनों आजादीसे बोलते-चालते, घूमते-घामते और अेक-दूसरसे परस्पर हँसी-मजाक करते, मगर यह सारा व्यवहार भाअी-बहनके समान था। किसी तरहका अुनमे कोई अनुचित संबध न था। फिर भी शाहज़ादेके अीर्ष्यालु मनमे पक्का वहम बैठ गया कि बबली अुस लड़केके साथ अनुचित संबध रखती है। अिस कारण शाहज़ादा गुस्सेमें मन-ही-मन झुझलाता रहता था। पराअी व्याहता स्त्रीके साथ अनुचित संबंध रखनेका अपना हक माननेवाला शाहज़ादा वही आजादी दूसरेको देनेके लिअे तैयार न था, यह भी अेक प्रकारकी मनोवृत्तिका दर्शन है।

जहाँतक मुझे याद है, होलीका त्यौहार था। वह वाघरी युवक ववली के यहाँ खाना खाने आया था। दोनो खाते-खाते वातों और हँसी-मजाकमें मशगूल थे। अितनेमे शाहजादा भी आ पहुँचा। अुस वाघरी युवकको वहाँ देखते ही वह आग-बबूला हो गया। अुसने ववलीपर निर्दयता-पूर्वक छुरीसे हमला करके अुसे घायल कर दिया।

ववली लहूलुहान होकर वेहोश हो गअी और तुरंत मर गअी। शाहजादेको अपार दुःख हुआ। अुसने जो कुछ किया, अुनसे अुसके दिलको वडी चोट लगी। किन्तु जो होना था वह हो चुका था। अव अुनके दिलमे डर पैदा हुआ कि 'मुझे पुलिस पकड़ेगी।' अिससे वह वहाँसे भागा। पुलिसवालोको पता चला, पर वे आकर तहकीकात शुरू करे अिनसे पहले ही शाहजादा अहमदावाद स्टेशनपर पहुँच गया और ट्रेनमे वैठकर सीधा कानपुरके लिअे रवाना हो गया। शाहजादेकी खोज अहमदावाद-में पुलिसवालोने वहुत की, लेकिन कोअी पता न चला। वह कहाँ गया, अिसका भी पुलिसको पता न चला। शाहजादा कानपुरमे आजादीसे घूमता-फिरता था। अगर वह वहीं रहा होता तो शायद पकड़ा भी न जाता।

लेकिन अीश्वरकी योजना अपूर्व होती है। गुनहगारको नसीहत देनेके अीश्वरके मार्ग हम नही समझते। कानपुरमें अेकाध महीना रहनेके वाद शाहजादेके मनमे आया कि अव तो अहमदावादमे खूनकी वात ठडी पड़ गअी होगी। लेकिन अिन विचारसे भी वढकर अुसकी भावना यह थी कि वह ववलीके मां-वापसे मिलकर माफी मागे और ववलीके स्मारकके तौरपर जहां वह रहती थी अुस कुटियाका दर्शन करे। प्रेमका आकर्षण

वहुत जबर्दस्त होता है। जिस जगहपर ववली चलती-फिरती थी, अुस जगहका दर्शन करके उससे मिलनेका समाधान मानना, यही अहमदावाद आनेका अुसका मुख्य हेतु था।

शाहजादा अहमदाबाद आया। दो दिन मे ही पुलिसवालोको पता चल गया और अुन्होंने अुसे गिरफ्तार कर लिया । उसपर ववलीके खूनका मुकदमा दायर कर दिया गया।

अुसका नैतिक या कानूनी वचाव कुछ भी नही था। नीति-का खयाल भी कभी शाहजादेको न छुआ था। अुसने तो यही बचाव किया कि ववलीका खून किसने किया, यह अुसे नही मालूम। ववलीपर अुसका प्रेम था। अिसलिअे वह अुसका खून करे, यह असभव था। लेकिन और सबूत तो थे ही। अुस वाघरी युवकके कारण ववलीपर अुसकी शककी निगाह थी और ओीर्ष्याके कारण गुस्सेमे आकर अुसने खून किया, यह हकीकत थी। साथ ही शाहजादेका यह भी कहना था कि वह शरावके नशेमे चूर था।

अदालत और जूरीने अुसका कथन न मानकर अुसे गुनह-गार ठहराया और अुसे फाँसीकी सजा दी। शाहजादेने सजा ठडे दिलसे सुन ली, लेकिन जेलमे आने और कोठरीमे वंद होनेके वाद अुसे फाँसीके स्वरूपका दर्शन हुआ। अुसकी हिम्मत टूटने लगी और आँखोसे आँसू वहने लगे।

शाहजादेके जेलमे दाखिल होनेके दूसरे रोज मै अुससे मिला। हाअीकोर्टमे अुसकी अपील तो वाहरसे ही दाखिल कर दी गअी थी। अिसलिअे अपील लिखनेका मेरा काम था ही नही। जव अपील रद्द हुअी, जैसी कि हमे कल्पना थी, तव दयाकी अर्जीका मसविदा वनानेका काम मेरे पास आया। अिस वीच मैं

अुससे रोज मिलता था, अनेक बातें करके सारी सच्चाई मैंने जान ली थी। मुझे अुसका स्वभाव अुच्छृंखल और बच्चोंके जैसा मालूम हुआ। अतिशय भावना-प्रधान, अिस कारण अतिशय क्रोधी और साथ ही अविचारी भी। मनमें कुछ आया नहीं कि तुरन्त कुछ किया नहीं। जैसे-जैसे दिन बीतते गये, फाँसीका डर कम होता गया और फाँसीपर चढनेकी हिम्मत पानेके लिअे प्रयत्न किये जाने लगे।

दयाकी अर्जी भेजनेका समय आया तो महत्त्व का सवाल यह उठा कि किन मुद्दोंपर अर्जी की जाय। शाहज़ादेने अदालतमें झूठा बचाव किया था, अिसमें तनिक भी संदेह न था। अिस बचावपर अडे रहनेसे दया कैसे मिल सकती थी! किये हुअे अपराधके बारेमें सच्चा अिकरार हो, पछतावा हो तो दया देने-वालेका दिल कुछ पिघलाया जा सकता है। अिसलिअे शाहज़ादेसे मैंने कहा

"अबतक तो तुमने अदालती ढंगसे झूठ चलाया, लेकिन अिसका नतीजा क्या हुआ? अब दयापर जीना है। जब फाँसी-पर जाना ही है तो सच बात बताकर, अपना गुनाह कबूल करके सरकारकी दयापर बातको छोड देना ही मुझे व्यावहारिक और लाभप्रद मालूम होता है।"

अुसे बहुत नहीं समझाना पडा। अुसने मेरी बात मान ली और दयाकी अर्जीमें सारी बातें सच-सच लिख दीं। बबलीके प्रति अुसने बडा अन्याय किया, यह स्वीकार करके अुसने माफी चाही, अपने बूढे माँ-बापके दुःखपर ध्यान देनेकी बात कहकर दयाकी याचना की और अन्त में सरकारकी दया-दृष्टि-पर सबकुछ छोडकर कहा कि "अगर सरकारने फाँसी कायम

रखी तो बबलीसे क्षमा चाहता और पछताता हुआ वह फाँसीके तख्तेपर चढ़नेके लिअे तैयार है। अगर जिन्दा रहा तो सारी जिन्दगी बबलीको याद करता रहेगा और रोज अुससे माफ़ी माँगता रहेगा।"

अर्जी भेजी गअी, लेकिन अनुकूल परिणामकी आशा नहीं थी। अिसलिअे अुसे मौतका तत्वज्ञान समझानेके सिवा मेरे पास दूसरा क्या रास्ता था? वह मुझसे बहुत बातें करता था। बबली कितनी प्रेमल थी, अुसपर बबलीका कितना स्नेह था, बबलीके साथ वह कैसा सुखी जीवन बिताता था, आदि बहुत-सी बातें वह करता रहता था। थोड़ेमें कहूँ तो अुसकी आँखोंके सामने अधिकतर बबली ही रहती थी।

अुसे अपने बूढे बापसे मिलनेकी अिच्छा थी। लेकिन गरीब आदमीकी मुराद आसानीसे पूरी नही होती। पैसोका सवाल था, अिसलिअे मैंने अुसे आश्वासन दिया कि किरायेका अिन्तजाम मैं करवा दूगा। यह आश्वासन मिलते ही अुसे बहुत शांति मिली। अुसने कहा, "दादासाहब, मेरी याददाश्तके तौरपर मेरी माँको अुसकी मुसीबतोमें मददके लिअे कुछ पैसे भेजनेकी व्यवस्था आप नही करेंगे?" मरनेवालेकी अिस अिच्छा-को कैसे ठुकराया जाता! अिसलिअे अिस बातको भी मैंने मंजूर कर लिया। अिससे शाहजादेको जो शांति मिली, वह देखकर मैंने भी अेक प्रकारका आनंद अनुभव किया।

शाहजादेका पिता अुससे मिलने आया और फाँसी दिये जाने तक वही रहा। शाहजादेकी लाश भी अुसीके सुपुर्द की गयी।

जब बाप मिलने आया तो अुसे बहुत दु:ख हुआ। आँखोंसे आँसू बह रहे थे। सीखचोंके बाहर बाप खड़ा था। अुसकी बहुत

अिच्छा थी कि बेटेको छातीसे लगा ले। लेकिन जेलका कानून दोनोंके बीचमें होनेके कारण अुसे बाहर कैसे निकाला जा सकता था ? अगर बाहर निकाला भी जाय तो अुसे हथकड़ियां पहनानी पड़ती। शाहज़ादेने कहा, "दादासाहब, आप चाहे जो करें, लेकिन अेकबार मुझे अपने पिताके पैरोंपर पड़ लेने दीजिये।"

बात छोटी-सी थी, लेकिन मानव-जीवनमें यह भावना अमूल्य है। मुझे लगा कि अिसे किसी भी तरह सन्तोष मिलना ही चाहिये। बाप-बेटेको अिस तरहकी छोटी-सी चीजमें निराश करना मुझे भयंकर क्रूरता लगी। लेकिन मैं क्या कर सकता था ? अिस संबंधमें जेलवाले अिजाजत देंगे, यह मुझे संभव मालूम नहीं होता था। अिसलिअे मैंने जरा कानूनके बाहरका रास्ता अपनाया। पुलिस पहरेदारसे विनती की।

मेरी दर्दभरी विनतीको वह अस्वीकार न कर सका। मैंने अुसको आश्वासन दिया कि अगर तुम अिन बाप-बेटोंको मिलने दोगे और बेटेको हथकड़ीके बिना बापके पैरोंमें पड़ने दोगे तो यह बात बाहर किसीके भी कानोंमें नहीं जायगी, यह मैं तुम्हें वचन देता हूँ। जेल-नियमके खिलाफ अिस कामके करनेके कारण अगर तुम्हें कुछ सहना पड़ा तो अुसमेंसे तुम्हें बचानेके लिअे मैं सुपरिन्टेंडेंटके पास अपनी तमाम ताकत खर्च कर दूंगा। पहरेदार भी तो आखिर मनुष्य ही था। अुसका दिल पिघल गया। जेल-अधिकारी यार्डमें आकर देखने न पावें, अिसलिअे अुसने पहले बाहरके यार्डका दरवाजा अन्दरसे बन्द किया। शाहजादेकी कोठरीका दरवाजा खोला। दो तो क्या, दस मिनिट बाप-बेटे मिले। बेटेने अपने बापके पांव दबाये और आंसुओंसे

धोये। यह प्रसंग बहुत ही करुण और रोमांचकारी था। शाहज़ादेको फिरसे कोठरीमें बंद करनेके बाद मैंने भी अपने अन्दर अेक प्रकारके सन्तोषका अनुभव किया।

जब शाहजादेकी फाँसीका दिन निश्चित हुआ और अुसका अुसे पता चला तो मैं अुससे मिलने गया। अुसने पूछा, "दादा-साहब, आपको मालूम हुआ?"

मैंने पूछा, "क्या?"

वह बोला, "जिस दिन मुझे फाँसी दी जायगी अुसी दिन बबली मरी थी। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि बबली जिस दिन स्वर्ग सिधारी अुसी दिन मैं भी अुसे मिलनेके लिअे जानेवाला हूँ।"

अुसके चेहरेपर आनन्दका भाव था।

प्रेमका कितना प्रभाव है! वह खून भी कराता है और मरनेमें आनन्द भी प्राप्त कराता है!!

: ९ :

हृदय-परिवर्तन

धधुकाकी ग्रोरका ग्रेक गोसाग्री बावा खूनके अिल्जाममें फाँसीकी सजा पाकर आया। ग्रुसके आनेके बादसे ही जब-जब मैं ग्रुससे मिलनेके लिग्रे फाँसीकी कोठरीमे जाता था, वह अपनी कोठरीमे गाढी नीदमे सोता हुआ दिखाग्री देता था। अिस कारण ग्रुसके साथ बातचीत करके गहरा परिचय करनेके मौके नही मिले ग्रौर अिस प्रकार ग्रुसके मुकदमेकी बातें मै ग्रुससे विस्तृत रूपमे नही जान सका।

बावाने पडोसकी ग्रेक जवान ग्रौरतका खून किया था। ग्रुस ग्रौरतके साथ ग्रुसका अनुचित सबंध था। ग्रेक रोज ग्रुन बाग्रीने ग्रुसकी अिच्छाके अधीन होनेसे अिन्कार किया। अिससे ग्रुत्तेजित होकर ग्रुसने अपने पासका तीखा नोकदार सींग ग्रेकदम जोरसे ग्रुस स्त्रीके पेटमें भोक दिया, जिससे बाग्री वही-की-वही मर गग्री।

सच पूछा जाय तो मुकदमेमे अपील या दयाकी अर्जी करने जैसा कुछ था ही नही। जेलवालोने ग्रुसकी अपील व दयाकी अर्जी भेजी थी, मगर ग्रुसका नतीजा कुछ भी निकलनेवाला नही था, यह निश्चित था।

अपनी विषय-वासना तत्काल पूरी न हो सकी, अिस कारण क्रोधमे आकर ग्रेक जवान ग्रौरतका निर्मम खून करनेवालेके प्रति किसकी सहानुभूति हो सकती है? मुझे भी ग्रुसके अिस कृत्यने

नफरत थी, पर अुसे तालाबंद कोठरीमें देखकर मेरी अुसके प्रति अैसी भावना होती थी, मानो कसाअीखानेमे जानेवाला प्राणी है। केवल अिस भावनाके वशीभूत होकर ही मै अुससे बाते करने और कुछ दिलासा देनेके लिअे अुसके पास जाता था।

बाबाको जिस दिन फाँसी दी जानेवाली थी अुससे पहली शामको अुन्होने मुझसे बहुत ही आजिजीके साथ आग्रह किया, "दादासाहब, कल सुबह मै यह ससार छोड़कर चला जाअूँगा। तड़के ही यहाँ आकर अीश्वर-प्रार्थना और गीताजीका अेक अध्याय मुझे नही सुनायेगे?" मुझे अुनकी अिस माँगपर आश्चर्य हुआ। किन्तु जिस तरह अुन्होने विनती की, अुसमें मुझे अुनके दिलका दर्द और अुनकी निष्कपटता दिखाई दी। अिस कारण मैंने फ़ौरन अिसकी स्वीकृति दे दी। श्री मामासाहब फड़के (गोधरा हरिजन आश्रमवाले) मेरे साथ थे। सुबह अुनके साथ जानेका मैंने तय किया। गीताके अध्यायका पाठ तो मैं कर सकता था; पर प्रार्थना और भजन गानेका काम मामासाहब अच्छी तरहसे करते हैं, यह मैं जानता था।

जेलके अधिकारियोकी ख़ास अिजाजत लेकर हम सुबह, करीब छह बजे, बाबाकी कोठरीमे पहुँचे। मजिस्ट्रेट और बाहरके दूसरे अफ़सर फाँसीके समय हाजिर रहनेके लिअे आनेवाले थे और अुनके सामने हम राजनैतिक क़ैदियोंको बाबासे मिलने नहीं दिया जायगा, अिस कारण अुन लोगोंके आनेसे पहले ही हमें प्रार्थना और गीतापाठ करके वापस लौटना था। अिसलिअे भी हम दोनों बड़े तड़के वहाँ गअे थे।

हम दोनोंको देखकर बाबाको बहुत संतोष हुआ। हमने अुनकी कोठरीके दरवाज़े खुलवाये और अुनके पास बैठकर दोनों

ने 'आश्रम भजनावली' मेंसे आश्रममें रोज़ की जानेवाली सुबहकी प्रार्थनाकी, अुसके बाद गीताके आठवें अध्यायका पाठ किया।

यह कार्यक्रम पूरा होनेके बाद हमने बाबाजीसे कहा, "अब हमें जाना चाहिये। अब आप अीश्वरका ध्यान करके अिस दुनियाको भूल जाअो। अीश्वर तुम्हें शक्ति दे, यही हमारी प्रार्थना है।"

बाबाने पूछा, "अब फांसी होनेतक मुझे अीश्वरका स्मरण किस तरह करना चाहिये?"

मैंने कहा, "गीताके आठवें अध्यायका अभी हमने पाठ किया। अुसमें स्वयं भगवानने कहा है

ॐ मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन्।
यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्॥

आखिरी क्षणमें जो ॐ कहकर देहका त्याग करता है, अुसको अुत्तम गति प्राप्त होती है। अिसलिअे अब तुम 'ॐ-ॐ' की रटन अंतिम क्षणतक करते रहो।"

बाबाने हँसते हुअे कहा, "बहुत अच्छा।" अुन्हें लगा कि वह भले ही चाहे जितने बड़े पापी हों, लेकिन स्वर्ग प्राप्त करनेकी कुंजी अुन्हें मिल गअी। अुन्होंने 'ॐ-ॐ' का जाप तुरंत शुरू कर दिया। बादमें पता चला कि वह बहुत ही हिम्मत व शांतिके साथ फांसीके तख्तेपर चढ़े। मुँहसे 'ॐ-ॐ' का अुच्चार करते ही रहे। फांसी दे चुकनेके बाद कहीं अुनका 'ॐ-ॐ' का जाप बंद हुआ।

मनुष्यकी मनोरचनामें अैसा कौन-सा तत्व अीश्वरने रखा है, जिससे मृत्युको प्रत्यक्ष देखकर अुसका सामना करनेका तत्वज्ञान थोड़े ही समयमें वह ग्रहण कर लेता है? कोअी मनोविज्ञानवेत्ता ही अिसका रहस्य बता सकेगा।

: १०

तिकड़मी ओझा

सन् १९४३ की वात है। सावरमती जेलमे मैं अपनी कोठरीमें वैठा काम कर रहा था कि अितनेमें अेक कॉंग्रेसी भाअीने, जो अभी जेलके आफिससे होकर आये थे, वहुत ही कातर होकर कहा, "दादासाहव, अभी-अभी गोधरासे फाँसीके सजायाफ्ता दो कैदी आये है, अुनमेसे अेककी अुम्र तो वहुत ही कम यानी सोहल-सत्रह सालकी है। क्या अितनी कम अुम्रवालोको कानून फाँसीकी सजा दे सकता है ?"

सुनकर मुझे भी धक्का लगा। जिसने अभी जीवनका प्रारंभ ही नही किया है अुसके हाथों अैसा क्या हुआ ? और कुछ हुआ भी तो फाँसी जैसी कड़ी सज़ा क्यों दी गयी ! मैंने अुन भाअीसे पूछा, "क्या कहते है आप ? सोलह-सत्रह सालकी अुम्र है ? यकीन नही होता। शायद देखनेमें वह छोटा मालूम होता होगा। अुम्र अुसकी पक्की होगी, वरना कोअी न्यायाधीश अैसी सजा नही देता।"

कहनेको मैंने कह तो दिया; लेकिन मेरा मन वहुत वेचैन हो गया। अूपरकी वाते सुनते ही मै अुन दोनोंसे मिलनेके लिअे फाँसीकी कोठरीपर गया।

जिस जगहपर फाँसी दी जाती है अुसके पास ही सामनेकी ओर कअी कोठरियाँ वनायी गअी हैं, अुस हिस्सेको जेलकी भाषामें 'फाँसी की कोठरी' कहा जाता है। अिस नामके कारण अेक दिलचस्प

क़िस्सा भी बन गया था। सत्याग्रह-आन्दोलनके समय जब कांग्रेसी कैदियोंकी तादाद बहुत बढ गयी थी तब कअी कांग्रेसवालोंको 'फाँसीकी कोठरी' मे रखा गया था। ये लोग जब अपने घर कुशल-समाचार भेजते थे तो अपने पतेकी जगह 'फाँसीकी कोठरी' लिखा करते थे। अिस परसे कअियोंके रिश्तेदारोंको चिन्ता होने लगी कि क्या...भाअीको फाँसी होनेवाली है ? सजा कब दी गअी ? अुनकी अपील वगैरा कुछ नही होगी क्या ? अिस तरहकी चिन्ता से भरे पत्र रिश्तेदारोकी ओरसे आये थे। तब अिनका कुछ-कुछ खयाल हुआ कि फाँसीकी कोठरीके नामसे बाहर कितना क्षोभ हो गया था।

फाँसीकी कोठरीमे जाकर मैंने अुन दोनोको देखा। दोनों खूब रोते थे। अुनके मन अस्थिर थे और आस-पासके दृश्य और वायुमडलसे उन्हे अैसी अनुभूति हो रही थी, मानो वे मौतका प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हो।

पहले मैंने अुस लडकेके साथ बातचीत की और पूछताछ शुरु की। अुसकी अुम्र सचमुच सोलह-सत्रह सालकी थी। दूसरेके साथ भी बात की। लेकिन अुस लड़केको देखनेके बाद मेरे मनकी अस्थिरता अितनी बढी कि अुनके साथ मै ज्यादा बाते नही कर सका। अुन्हे अितना ही दिलासा दिया कि "कुछ चिन्ता न करे। भविष्यमे जो होनेवाला है, वही होगा। लेकिन तुम्हारे मुकदमेके फैसलेकी नकल मिलनेपर, अुसे देखकर हाअीकोर्टमे अपील दाखिल कर दूंगा। आशा करता हूँ कि अीश्वर सब अच्छा ही करेगा।"

अिन शब्दोंसे अुन्हे कुछ तसल्ली हुअी। साथ ही मैंने पहरे-दारोसे कहा कि अिन दोनोंको और खास तौरसे अिस किशोर

बालकको जो कुछ चाहिये वह लाकर दे दिया करे। जेलके कानूनके मुताबिक जेलर या सुपरिण्टेडेंटकी अिजाजत लेना हो तो मुझे बतावे। मै जो जरूरी होगा करूँगा।

: २ :

फाँसीकी सजा देनेवाले पचमहालके सेशन्स जजके फैसलेकी नकल मुझे दो दिन बाद मिली। अिस फैसलेको मैंने दो बार ध्यानसे पढा। अुसमे बताये अनुसार अुनके मुकदमेकी हकीकत अिस प्रकार थी—

वीरा (अुस लड़केका नाम) अुसका बाप शंकर और माधो (फाँसीकी सजावाला) जो अुनके यहाँ नौकरी करता था, अिन तीनोंने अेक षड्यन्त्र रचा और शकरके चचेरे भाअी (जिसका नाम कचरा था) के तीन बच्चोंको (अनुक्रमसे सात, पाँच और तीन सालकी अुम्र के) जहर दिया, जिससे दो छोटे बच्चे मर गये और सबसे बड़े बच्चेको बहुत पीड़ा हुअी (वह मरा नही)। अिस तरह अिन बालकोंके खूनका अुन दोनोंपर आरोप था। शकर और कचराके बीच अपने पिताकी संपत्तिके बँटवारेके सबंधमे कोअी बारह साल पहले कुछ झगड़ा हुआ था। पुलिसवालोका कहना था कि अिस झगड़ेका बदला लेनेकी शकर और वीराने गुप्त सलाह की और अुसमे माधो कुम्हारकी मदद ली। जहरमे नीलाथोथा चीनीके साथ दिया गया था। वीराने मजूर किया कि चीनीकी पुड़िया अुसने अुन तीनो बालकोको दी थी। लेकिन अुसका कहना था कि माधोने अुसे 'माताजीका प्रसाद है' बताकर बच्चोको देनेके लिअे कहा था और अुसने अुसके अनुसार किया। अुसे क्या मालूम कि अुसमे क्या था! अिधर माधोका कहना था कि वह अिस विषयमे कुछ नही जानता। भाअी-भाअीके झगड़ेमे

अुन्होंने कुछ किया हो तो अुनकी ज़िम्मेदारी अुनपर है। वह तो नौकर है। अुसे कुछ भी पता नहीं।

पुलिसकी तहकीकातमें यह मालूम हुआ कि खून होनेके कुछ दिन पहले माधो गोधरा गया था और वहाँके किसी बोहरेकी दुकानसे नीलाथोथा ख़रीद लाया था। अिसलिअे यह बात निश्चित थी कि माधोका यह कथन कि वह कुछ नहीं जानता, बिल्कुल झूठ है। लेकिन बादमें माधोने बताया कि नीलाथोथा मालिक (शंकर) के कहनेसे वह लाया था। अुसका शंकरने क्या अुपयोग किया, यह अुसे नहीं मालूम। वीराका कहना कि प्रसाद कहकर अुसने (माधोने) वे पुड़िया दीं, बिल्कुल झूठ है। वीराने ही वे दीं। लेकिन वह अुन्हें कहाँसे लाया, अिसकी अुसे कोअी जानकारी नहीं है।

बारह साल पहलेके मिल्कियत-संबंधी झगड़ेपरसे अदालतने मान लिया कि अदावतके कारण यह खून हुआ है। लेकिन शंकरको अिस संबंधमें कुछ जानकारी थी या नहीं, या शंकरसे वीराको पुड़िया मिली थीं या नहीं, अिस बारेमें कोअी सबूत न होनेके कारण अदालतने यद्यपि खून का षड्यंत्र स्वीकार किया, तथापि शंकरको निर्दोष छोड़ दिया और माधोको फाँसीकी सजा दी।

: ३ :

फाँसीकी सजाके विरुद्ध मुद्दोंपर हाअीकोर्टमें अपील की जा सकती है अिसे देखनेके लिअे सेशन कोर्टके फैसलेका मैंने सूक्ष्म अध्ययन किया। वीराकी कम अुम्रको देखते मुझे विश्वास था कि अुसे फाँसी नहीं दी जा सकती, किन्तु फैसलेको पढ़नेके बाद मुझे लगा कि पुलिसवालोंने जो खूनकी वजह बताअी थी, वह काफी नहीं थी। बारह साल पहलेके क़रीब-क़रीब विस्मृतिमें पड़े हुअे

कुटुम्बी मिलकियतके झगड़ेके कारण यकायक कोअी ख़ून करे और वह भी अुसका नही जिससे अदावत है, वल्कि अुसके मासूम वच्चोंका, यह मूल वात ही मेरे गले नही अुतरी। अिसीलिअे मै मानता था कि मुल्जिमोंके लिअे अपील करनेका वहुत वड़ा कारण है। लेकिन वीराने पुड़ियां देनेकी वात कवूल की थी, अिसलिअे अुसका निर्दोष होकर छूटना असंभव था। यह तो हुअी क़ानूनी अपीलकी वात। वीराकी वात मै विलकुल सत्य मानता था। अिसलिअे ख़ून किस तरह हुआ, यह जाननेकी मुझे बड़ी जिज्ञासा थी। सच्ची वात जाननेके लिअे मेरा मन आतुर था।

लेकिन वह अेकदम कैसे मालूम हो ? क़ानूनके अनुसार सात दिनोंमे अपील लिखकर भेज देनी चाहिये, अिसलिअे पहले तो अपील लिख डाली। अुसमे मुख्य मुद्दा यह था कि ख़ूनकी जो वजह पुरानी अदावत वताअी गअी है वह संतोषजनक नही है। अिसलिअे वच्चोंकी मौत हो जानेपर भी अिनपर ख़ूनका अिल्जाम साबित नही होता। वीराने जानबूझकर दी थी, अिस वातको भी स्वीकार कर ले तो भी अधिक-से-अधिक लापरवाही वाले कृत्यके लिअे अुसे गुनहगार ठहरा सकते है। और अंतमें मैंने जजसे अपील की थी कि जव यह मुकदमा चले हमें रूवरू वुलाया जाय। हमारे चेहरे और वीराकी अुम्रको देखनेसे आपको लगेगा कि हम ख़ून करें, अैसे आदमी नही है। अिस माँगके पीछे मेरा हेतु यही था कि नावालिग वीराको देखकर, अुसने अपराध चाहे किया हो, या न किया हो, अदालत अुसकी फाँसीकी सज़ा कम किये विना नही रहेगी। माधोका जो होना होगा सो होगा।

अव मैं ख़ूनका हेतु खोजनेके पीछे पड़ गया। कागजातसे

अिस बारेमे कोअी रोशनी नही मिली और मिले, अैसा संभव भी नही था। मुझे तो माधो या बीरासे ही सच्ची हकीकत मालूम कर लेनी थी। अपने नित्यक्रमके मुताबिक मैं अुनके पास रोज घंटा-डेढ घंटा बैठता था। किन्तु बीरा अिससे ज्यादा कुछ भी मुझसे बता न सका। वह तो अेक ही बात बहुत दयनीय रीतिसे कहता था कि अिस माधोने माताजीका प्रसाद कहकर पुड़िया मेरे हाथोमें दी और मैंने वह बच्चोको दी। अिसके सिवा मैं और कुछ विशेष जानता नही हूँ।

मेरी परेशानी बढी। अब सिर्फ माधो ही कुछ रोशनी डाल सकता है। मुझे अैसा भी लगा कि निःसंदेह खून माधोने ही करवाये है। लेकिन सवाल यह था कि माधो बच्चोका खून किसलिअे करता? बच्चोके साथ अुसकी क्या अदावत हो सकती थी? मैं सोचमे पडा और मुझे सूझा कि अिन बच्चोके पिताके खिलाफ माधोको शायद कुछ रोष होगा, जिसका बदला लेनेके लिअे अुसने यह सब किया होगा। अिस अनुमानके सहारे मैं आगे बढा। माधोको खूब समझाकर अुससे बाते की। मैंने कहा, "तुझे फाँसीपर चढकर मरना तो है ही। और मैं न तो तुम्हारा कोअी दुश्मन हूँ और न सरकारी आदमी। मैं तुम्हारा मित्र ही हूँ। तुम्हे बचानेकी कोशिश करता हूँ। फिर भी तुम मुझे सच्ची बात नही बता रहे हो।"

दो-तीन दिनके बाद अुसके दिलमे भगवान अुतरे और वह तब जब कि मैंने तंग आकर और कुछ गुस्सेमे अुससे कहा, "तुम सच तो बोलते नही, अिससे अब मैं तुम्हारे पास नही आअूँगा। अेक पापीकी हैसियतसे ही तुम फाँसीपर लटकने और नरकमे जानेके योग्य हो। तुम्हारा मरना अब निश्चित है।

फिर भी तुम्हे सच बोलनेकी सद्‌बुद्धि नही होती। तो तुम जैसेके पास आकर मैं अपना वक्त व्यर्थ क्यो बरबाद करूँ? मान लो कि हाअीकोर्टने तुम्हे निर्दोष कहकर छोड़ दिया, फिर भी मेरा तो विश्वास है कि कचरासे दुश्मनी के कारण खून तो तुमने ही किया है। तुम चाहे अुसे कबूल करो या न करो, अीश्वरके सामने तो यह बात निश्चित है ही।”

यह तीर ठीक लगा। माधो रोने और माफ़ी माँगने लगा। अुसने आजिजीसे कहा कि आप मुझको न छोड़िये और रोज मिलते रहिये। अुसने सच्ची बात बता दी।

: ४ :

माधो गाँवमे ओझाका धधा करता था। जंतर-मतर करके कुछ आय भी कर लेता था। अिस धंधेसे अुसे ठीक-सी आय होती थी। कचरा सचमुच अेक तरहसे गाँवका कचरा ही था, बहुतोंके लिअे कष्टदायक। लोग अुससे तंग आ गये थे। अुससे बचनेके लिअे गाँवके कअी लोग समय-समयपर माधोके पास आते और पैसे देकर कुछ टोने-टोटके कराते थे। लेकिन अिससे कोअी फ़ायदा नही हुआ। पैसे देनेवाले लोग अिस कारण माधोसे बहुत नाराज हुअे। अुन्होने कहा, “क्यों माधोजी, तुम्हारा तो यह सब ढोंग-ढकोसला मालूम होता है। अितना जादू-टोना किया करते हो; पर कचरापर अुसका कोअी असर नही होता। अैसा मालूम होता है कि तुम लोगोको ठगते हो और अुनसे पैसे अैठते हो।”

माधोको यह बात बहुत चुभी। अुसे डर लगा कि अुसका पेशा अब नही चलेगा। अिसलिअे अुसने लोगोंसे कहा, “देखो, अब मैं दूसरी तरहका मंतर करता हूँ। यदि कचरा सीधी राह

न चलेगा तो तुम देखोगे कि अुनपर थोडे ही दिनोमें माताजीका कोप होगा और आफत आ जायगी।"

अिसके बाद माधोने सोचा और तय किया कि कुछ असा करे जिससे कचरेके बच्चे मर जायँ। अिसलिअे गोधरा जाकर बाजारसे वह नीलाथोथा ले आया और अुसमें चीनी मिलाकर पुडिया बनायी और उनको माताजी के प्रसादके तौरपर निर्दोष बच्चोंको बीराके हाथो दिलवायी।

अब ठीक तरहसे कडी हाथमें आगयी। खूनका सच्चा हेतु भी मालूम हुआ। अदालतमें जो सत्यकी खोज हुअी वह अुल्टे ही प्रकारकी थी, यह सहज ही मालूम हो गया। साथ ही मनुष्य जो बर्ताव करता है अुसके पीछे कैसे गहरे हेतु हो सकते हैं, अिसका भी कुछ अन्दाज अिस किस्सेसे होता है। यह बात सुनकर मेरे मनमें जो हकीकत जाननेकी अुत्कंठा थी, अुसका समाधान हो गया। माधोके प्रति मेरी भावना बदल गअी। वह सच बोला, अिसी कारण मैं अुसे क्षमा दिलवानेके लिअे तैयार हो गया। मेरे दिलमें तो अुसके प्रति क्षमाभाव ही अुमडने लगा।

: ५ :

शामके साढ़े सात बजे थे। सारा जेलखाना बंद हो गया था। सब कैदियोंकी कोठरी और वार्डमें ताले लगाये जा चुके थे। अितनेमें मेरे वार्डके दरवाजे खटके। जेलरका सदेसा लेकर वार्डर आया था। कहने लगा, "साहब, जरूरी काम है। जेलर साहब आपको दफ्तरमें बुलाते हैं।" मैं अुलझनमें पड़ा। क्या होगा? अिस वक्त असा कौनसा जरूरी काम आया होगा? मेरी जेल बदली होती तो स्वयं जेलर यहाँ आकर कह देता कि 'साहब, बिस्तर बाँध लीजिये, आपको जाना है।' असा कहनेके

वजाय अुन्होंने दफ्तरमे वुलाया है !

लेकिन मुझे अधिक समय तक भ्रान्तिमे नही रहना पड़ा। दफ्तरमे पहुँचते ही मैंने माधो और वीराको हाथ-पाँवोमे वेड़ियाँ पहने वहाँ वैठे देखा। मैं समझ गया। जेलरने वताया, "दादा-साहव, अभी हाअीकोर्टसे तार आया है। अिन लोगोकी अपीलका फैसला कल वम्वअीमे सुनाया जायगा। अिसलिअे अदालतमे अुन्हे प्रत्यक्ष हाजिर रहनेका हुक्म दिया है। अिन लोगोको पुलिसके पहरेमें अभी भेज रहे है। अिन लोगोंकी अिच्छा थी कि जानेसे पहले आपसे मिल ले। अिसलिअे आपको तकलीफ़ देनी पड़ी।"

मुझे स्वाभाविक रूप से बड़ा आनद हुआ। पहला भाव तो मनमे यही आया कि अपीलमें की हुअी विनयके अनुसार कैदियोंका अदालतमे अुपस्थित रहनेका जो हुक्म हाअीकोर्टने किया है अिससे वीरा तो फाँसीसे वच ही जायगा। मुझे अिस वातका भी सतोष था कि अिन लोगोंसे मिलनेका और अुन्हे दो वातें कहनेका मुझे मौका मिला। दोनों वड़े प्रेमसे मेरे पाँवोपर गिर पड़े। मैंने अुनसे कहा, "देखो, जज साहव तुमसे कुछ पूछे तो लंवी-चौड़ी वातें करनेके वदले अितना ही कहना कि हमारी अर्जीमे जो लिखा है, अिससे ज्यादा हमें कुछ नही कहना है। आप जो अिन्साफ करेंगे वही हमे कवूल है। हमपर रहमकी निगाह रखियेगा, अितनी ही हमारी प्रार्थना है।"

अिस प्रकारकी सूचना देनेकी वजह यह थी कि आरोपी अेक-दूसरे के खिलाफ़ आक्षेप करके कही अपने मामलेको विगाड़ न ले।

चार-पाँच दिनके वाद शामके करीव ७ वजे मेरी कोठरीपर आकर जेलरने कहा, "दादासाहव, आपको तकलीफ़ देनेकी मुझे कोअी अिच्छा नही थी। लेकिन वह दुष्ट माधो आज सुवहसे

जेलके दरवाजेपर आकर बैठा है और कहता है कि "अुसे आपके दर्शन करने है?" मैंने अुससे कहा कि तुम्हारे जैसे पापीको दर्शन काहेके? अैसे नालायक आदमीके लिअे आपको तकलीफ देना मुझे पसन्द नही है। लेकिन वह तो वहाँ जमकर बैठा है! और कहता है कि जबतक दादासाहबके दर्शन नही होते तबतक यही बैठा रहूँगा। कोअी ग्यारह घटेसे बैठा है, अिसलिअे मैंने सोचा कि चलो, आपको थोड़ी तकलीफ ही दूँ और अिन बलाको दरवाज़ेसे टालू। आप आयेंगे तो ठीक होगा।"

मैंने हँसकर जवाब दिया, "अिसमे मुझे कौनसी तकलीफ होनेवाली थी? अुस बेचारेको ग्यारह घटे बिठाया, अिसमे अुसकी भी अच्छी कसौटी हुअी।" यह कहकर मै जेलर के साथ दफ्तर गया।

जेलर ने आफिसके दरवाज़ेपर जाकर माधोसे कहा, "लो दादासाहब आ गये। क्या कहना है अिनसे?"

अुसने कहा, "मुझे बाहरसे कुछ नही कहना है। अन्दर आकर ही कहूँगा।"

जलरने अुसको दुत्कार दिया। तब मैंने कहा, "आने दीजिये दो मिनटक लिअे गरीबको। बेचारा घंटोसे बैठा है। देखे तो सही कि वह क्या कहना चाहता है?"

माधो भीतर आया। मै कुरसीपर बैठा था। दरवाजेसे भीतर आते ही अुसने दौड़कर मेरे पाँवपर अपना सिर रखा और पाँव दबाने लगा। मैंने बहुत अिन्कार किया। किंतु दो-चार मिनिटतक तो वह चिपका ही रहा। अुसकी आँखोसे आँसू बहते थे। वह मुझसे शब्दोसे नही, बल्कि आँसुओसे बोलता था। पहला आवेग शांत होनेके बाद मैंने अुनसे हाल-चाल पूछा।

अुसने कहा, "मुझे निर्दोष कहकर छोड़ दिया और वीराको तीन सालकी सजा हुअी। कम अुम्रके कारण अुसे धारवाड़के बच्चोंके जेलमे भेज दिया। बम्बअीसे मै सुबह सीधा यहाँ आया। आपके आशीर्वादके लिअे बैठा था।"

यह प्रसंग सचमुच जीवनके भावपूर्ण प्रसंगोंमेसे अेक था। माधोकी भावना दिलसे उठी थी और प्रबल थी, अिसमे मुझे कोअी शंका नही थी, लेकिन मै अुसे क्या आशीर्वाद देता? हाँ, मैंने थोड़ी नसीहत दी, "अीश्वरने तुम्हे बचाया है। समझो कि तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। आयंदा किसीके साथ प्रपंच और कपट न करना। सब लोगोके साथ सच्चाअी और प्रेमसे पेश आना। तभी तुम्हे बचानेमे जो मै निमित्त हुआ, अिसमे मुझे भी कृतार्थ होनेकी भावना रहेगी। नअी जिन्दगी अच्छी तरह बितानेके लिअे अीश्वर तुम्हे बुद्धि और शक्ति दे।"

हर्षके साथ माधो जेलके बाहर गया और मै अपनी कोठरी में। वह रात मैंने बहुत ही सुखद विचारोमे बिताअी।

: ११ :

मोती

टररररन्...टरररररन्...टरररररन्...

मैंने कहा, "कोऑ है? किसका फोन है, देखो तो।"

चपरासी ने देखा। बोला, "सा'ब, बड़ौदासे ट्रंक कॉल आया है।"

मैंने फोन हाथमे लिया, "हलो...कौन है?"

"मै छोटाभाऑ सुतरियाका लड़का हूँ। अुनकी सूचनाके अनुसार फोन कर रहा हूँ।"

"क्या काम है?"

"मोतीका रिहाऑका हुक्म आज जेलमें आया है। आप जेलपर अुसे लेनेके लिअे आनेवाले थे, तो आप कब आ सकेंगे? जिस दिन आप आयेंगे अुस दिन अुसको रिहा करेंगे।"

मैंने कहा, "अभी चार दिन पहले ही मैं बड़ौदासे लौटा हूँ और अब काम बहुत है। अिससे वहाँ जानेके लिअे वक्त कहाँसे निकालूँ? मेरी ओरसे आप ही जेलपर हाजिर रहिये और मोतीसे कहिये कि 'दादासाहब अभी बड़ौदा आकर तुमसे मिल ही गये है। इस समय भी आते, मगर अुन्हे काम बहुत है।' यह कहकर मोतीसे पूछ लें कि क्या अुसे पैसेकी जरूरत है? बेचारा पच्चीस सालके बाद घर वापस लौट रहा है। अिसलिअे सहज ही अुसे पैसोकी जरूरत होगी। मेरी ओरसे अुसे सौ रुपयेतक जितनी वह चाहे अुतनी रकम दे दे। मैं बड़ौदा महाजनके यहाँसे दिलवाने

का प्रवन्ध करता हूँ।"

सुतरिया वोला, "छूटनेके वाद अुसे टिकट कहाँका दिलवा दू? अहमदावाद भेज दू?"

"नही भाअी, पच्चीस सालके वाद वह छूट रहा है। अिसलिअे पहले तो अुसे अपने वीवी-वच्चोसे मिलना चाहिये। पहले अुसे घर जाने दीजिये, वीवी-वच्चोंसे मिलने दीजिये, अहमदावाद आनेकी कोअी जल्दी नही है। पहले कुटुम्वियोंसे मिले, गाँवमें दस-पॉच दिन रहे और वादमे फुरसतसे अहमदावाद आये। मै यही हूँ।"

मोतीकी रिहाअीकी खवर सुनकर मुझे वहुत खुशी हुअी। जीवनके अंततक जेलसे छूटनेकी जिसे कोअी आशा न थी, वह छूटा। यही नही, पच्चीस सालके लंवे समयतक अुसका अिकलौता लड़का और स्त्री, दोनो जिन्दा रहे और अव वह अुनसे मिल सकेगा, अिस वातसे मेरे मनको वड़ा संतोप हुआ।

मेरा खयाल था कि मोती महेमदावाद के पास अपने गाँव वणसोलमे अपने घर जायगा और वहॉ पाँच-सात रोज रहकर वादमें अहमदावाद आयगा।

दूसरे दिन सुवह साढ़े ग्यारह वजे थे। चपरासी आया और वोला, "वाहर कोअी आदमी आया है। कहता है, जेलसे रिहा होकर आया हूँ।"

मैंने कहा, "अन्दर आने दो।"

फिर भी मुझे खयाल नहीं था कि मोती आया होगा। अहमदावाद जेलसे मेरे छूटनेके वाद वहाँके अनेक परिचित कैदी अपनी रिहाअी होनेपर मुझसे मिलने आते थे। मै समझा कि अुन्हीमेंसे कोअी आया होगा।

लेकिन मोतीको कमरेमें आते देखकर मुझे ताज्जुब हुआ और मैंने कहा, "अरे, मोती, तू यहाँ कैसे ? तू घर कब हो आया ? वहाँसे अितनी जल्दी कैसे आ गया ?"

मोती बोला, "दादासाहब, मैं घर ही तो आया हूँ !"

"अरे वाह ! भले आदमी, यहाँ आनेकी अभी कौनसी जल्दी थी ? बरसोंसे बीबी-बच्चोंसे तेरी मुलाकात नहीं हुअी। अिस-लिअे स्वाभाविक है कि वे तुझसे मिलनेके लिअे आतुर होंगे। वणसोल जानेके बदले यहाँ क्यों आया ?"

"यहाँ क्यों आया ? पहले आपके दर्शन किये बिना, रिहाअीके बाद आपसे मिले बिना, मैं और कहीं जा ही कैसे सकता था ?"

मैंने कहा, "ठीक है। लेकिन तुम पहले वणसोल जाकर अपने बीबी-बच्चोंसे मिल आते तो मुझे ज्यादा खुशी होती। अब तुम आ ही गये हो तो भोजन वगैरा करके शामकी गाड़ीसे चले जाना।"

सन् ४२' से ४४' के बीच मैं जेलमें था तब मुझसे मिलने मेरी माताजी, पत्नी और बच्चे जेलपर आते थे। अिसलिअे मोतीको वे अच्छी तरहसे जानते थे। मोतीके आनेसे हम सबको खुशी हुअी, मानो हम सब अेक ही कुटुम्बके हों।

शामकी गाड़ीका वक्त हुआ तो मैंने मोतीसे कहा, "चलो, अब तुम्हें तैयार होना होगा। गाड़ीका वक्त हो गया है।"

"क्या जल्दी है।"

"भले आदमी, गाड़ी चूक जायगी !"

"अुससे क्या ?"

"तो आज वणसोल कैसे पहुँच सकोगे ?"

"न पहुँचूं तो क्या हर्ज है ?"

"वाह, पच्चीस साल तक तुम वाहर रहे, वीवी-व्रच्चोसे दूर रहे, तव अुन्हें भी तो तुमसे मिलनेकी आतुरता होगी न ?"

मोतीकी रिहाअीके दिन स्थानीय पत्रोंमे यह खवर छपी थी कि मावलकरने अेक वड़े डकैतको लंवी सजासे मुक्त कराया है। अिसलिअे मेरा खयाल था कि मोतीकी रिहाअीकी खवर खेड़ा जिलेमें पहुँची होगी। अुसके कुटुम्वियोंको भी अिसकी सूचना मिली होगी। अिसलिअे मै जल्दी करता था। मेरी वात सुनकर ठंडे दिलसे हँसते हुअे वह वोला, "दादासाहव, जहां पच्चीस साल गये वहाँ आठ-दस दिन अौर चले गअे तो क्या वडा अनर्थ हो जायगा ? अभी वणसोल जानेकी मेरी जरा भी अिच्छा नही है। मै अभी आपके पास ही कुछ दिन रहना चाहता हूँ।"

यह सुनकर मै सचमुच दंग रह गया अौर जानेका आग्रह भी अुससे न कर सका। अिस प्रकार अेक सप्ताह या दस दिन वीत गये।

अेक रोज दोपहरको भोजनके वाद मैं आराम कर रहा था कि वाहर चवूतरेपर मोतीको किसी वारैया[1] युवकके साथ वातें करते हुअे मैने सुना। वाहर झाँककर पूछा, "यह कौन है ?"

मोती वोला, "मेरा लड़का है। मुझे वुलाने आया है।"

अुसे देखकर मुझे आनन्द हुआ। मैने कहा, "मोती, अव मै तेरी अेक भी सुननेवाला नही हूँ" अौर अुसके लड़केसे कहा, "अपने वापको तुरंत यहाँसे ले जाअो अौर अपनी माँ से भेंट कराअो।" किरायेके लिअे अुसे कुछ पैसे दिये, कुर्ते व धोतीके

---

१. गुजरात की अेक जातिका नाम

लिअे थोड़ा कपड़ा, जो हमारे पास था और मोतीको अुनके लड़के के साथ वणसोल भेज दिया।

मोतीका लड़का अचानक कैसे आया, अिसका मुझे आश्चर्य हुआ। अिसलिअे अुससे मैंने अिस बारेमें पूछा। अुसने कहा, "साहब, रिहाअीकी हमें कुछ भी खबर नहीं थी। हमारे गाँवके किसी आदमीने अखबारमें पढ़ा और यह खबर गाँवमें पहुँची। हम वहाँ अिनका अिन्तजार करते थे, लेकिन यह आये नहीं।

अिससे हम चिन्तामें पड़े। हमें शक होने लगा कि रिहाअीकी बात सच्ची है या झूठी? अिसलिअे मैं सीधा बड़ौदा गया और जेलमें पूछताछ की। अुन लोगोंने बताया कि उनको रिहा हुअे आठ दिन हो गअे, लेकिन अुन्हें मालूम नहीं कि वह गया कहाँ है। यहाँपर अुससे मिलनेके लिअे अहमदाबादवाले मावलंकर दादा आते थे। अुनको रिहाअीकी खबर भी अुन्हें पहलेसे दे दी गअी थी। हमारा खयाल है कि मोती अहमदाबाद मावलंकर दादाके यहाँ गया होगा। तुम वहाँ जाकर तलाश करो। अिस प्रकार मैं यहाँ आया।

पच्चीस सालके बाद पिता-पुत्रका मिलन! दो सालका बच्चा सत्ताअीस सालका युवक होकर अपने बापसे मिला! यह दृश्य करुणा और आनन्दसे परिपूर्ण था। अिस दृश्यमें अेक विचित्र काव्य था।

· २ ·

खेडा जिले और गायकवाडी सीमामें कअी डकैतियाँ डालनेके अपराधमें मोतीको सन् १९२० में गिरफ्तार किया गया और दिसम्बर '२२ में अलग-अलग अपराधोंके लिअे कुल मिलाकर ८० सालकी सजा अुनको ब्रिटिश सीमाके अधिकारियोंने ठोक दी।

गायकवाड़ी राज्यने ग्यारह सालकी सजा और दी। अिस तरह अुसको १९२२ के अन्तमे कुल अिक्यानवे सालकी सजा हुअी थी। सजा काटकर जेलसे जिन्दा वाहर आना तो स्पष्टत. असभव था। १९२२ मे अुसकी अुम्र ३२ साल की थी। सजामें मिलनेवाली माफ़ीके साल कम करें तो भी सजाके अन्तमे अुसकी अुम्र करीव-करीव ७५–८० की हो जाती।

अेक कैदीकी हैसियतसे मोतीका आचरण अेक सत्याग्रहीकी तरह रहा। जेलमे झूठ, प्रपंच या चोरी कुछ भी अुसने नही की। अुसका निर्णय दृढ था कि सरकारने अन्यायपूर्वक अुसे सजा दी है। जिन लोगोंकी वजहसे वह डकैत हुआ वे लोग समाजमे अुज्ज्वल और प्रतिष्ठित होकर रह सकते है और अुमको अेक डकैत वताकर जेलमे ठूस सकते है। अिस अन्यायके विरुद्ध मोती टक्कर ले रहा था। अिसलिअे अुसने निश्चय किया कि सरकारकी जेलमे रहकर वह कोअी काम न करेगा। चक्की पीसना, निवाड़ वुनना या दूसरा कोअी भी काम करनेसे अुसने वरसोतक अिन्कार किया। परिणाम यह हुआ कि हुक्म न माननेके कारण डंडा-वेड़ी, हथकडी, टाटके कपड़े, अेकान्तवास, विना नमकका अन्न वगैरा जिन-जिन सजाओंकी वर्षा अुसपर हुअी वे सव दृढतापूर्वक अुसने सह ली। सजा होती और वह सह लेता। पूरी होनेके वाद जव अुससे पूछा जाता कि 'क्यो अव काम करोगे न?' तो अुसका जवाव वह निडरता और दृढ़तासे नकारमे ही देता। आखिरकार अधिकारी दस-वारह सालके वाद थक गये और मोतीको साधारण कैदी न मानकर, अुसकी सच्चाअीकी ओर देखकर अुन्होने अुसको जेलका वार्डर वना दिया।

सन् १९२२ मे मोती जव डकैतके रूपमें घूम रहा था तव

श्री रविशंकर महाराजके साथ अुनकी अेक बार मुलाकात हुअी थी। सन् '४२ के 'भारत छोड़ो' आन्दोलनमें जब हम सब जेल गअे तब मोतीने श्री रविशंकर महाराजको अपना पुराना परिचय दिया। महाराजके मनमें अुनके प्रति स्नेह था, अिसलिअे अुन्होंने मुझसे कहा कि अुनकी लंबी सजासे मुक्त करनेके लिअे कुछ किया जा सकता हो तो जरूर कीजिये। मैंने अुनका मामला देखा मगर अुनको मुक्त करानेके लिअे क्या किया जा सकता था, यह अुस वक्त समझ में न आया।

दो-तीन महीने बाद वह मेरी नौकरीपर रखा गया। अिस कारण अुनके साथ मेरा बहुत घनिष्ठ परिचय हुआ। लगभग बारह महीने वह अिस तरह मेरे साथ रहा होगा। अिस बीच मैंने बहुत नजदीकसे अुनके अनेक गुणोंको देखा। मनुष्य अप्रसिद्ध हो, अिस कारण भले ही वह छोटा गिना जाय; लेकिन अगर उसमें गुण हैं तो अुसे बडा आदमी ही मानूंगा। हिन्दुस्तानमें अैसे लाखों लोग भारतीय संस्कृतिके प्रतीकके रूपमें पड़े हैं। यदि मैं यह कहूँ तो अत्युक्ति न होगी कि आज जो हमारी संस्कृति कायम है और हम जगतमें अेक जातिके रूपमें टिके हुअे हैं तो वह इसीलिए कि जिस प्रकारके छोटे माने जानेवाले मानव जनतामें बडी संख्यामें हैं।

मोतीको अपनी रिहाअीकी कोअी आशा न थी। लेकिन श्री रविशंकर महाराजकी अिच्छा थी और अुनके सम्पर्कमें आनेके बाद अुनकी रिहाअीके बारेमें मेरी भी आतुरता बढ़ी। अिसलिअे मैंने रास्ता खोजना शुरू किया। सब तरहसे सोचनेके बाद लगा कि मोतीका शरीर दस-बारह सालसे ज्यादा टिक नहीं सकेगा, और यहांसे रिहा होनेके बाद ग्यारह साल बड़ौदाकी जेलमें

विताने होंगे, यह ध्यानमे रखकर अुसके जीवनकी सध्याके समय अुसे घर पहुँचाना चाहिये, अैसी सरकारसे प्रार्थना करूँ तो फलकी कुछ आगा रखी जा सकती है।

अिसके साथ यह भी सच था कि यद्यपि मोतीने डकैतियाँ डाली थी, खून भी किया था, फिर भी यह नही कहा जा सकता था कि वह स्वभावसे अपराधी वृत्तिका है। अुसका आचरण और स्वभाव शांतिमय जीवन वितानेवाले अेक नागरिक जैसा था। अिस कारण अुसको मुक्त करनेमे मरकारके लिअे कोअी जोखिम न थी। अुल्टे अेक कैदीको रखने और अुसका पोपण करनेका खर्च भी वचनेवाला था। अपने मनमे मैंने रिहाअीकी अर्जीके लिअे यह मसविदा तैयार किया। अव अुसके लिअे आवश्यक सवूतोंको जुटानेमें लगा। सवूत तो जेलके डाक्टरका ही होना चाहिये। अुनसे मैंने वातचीत की, मुद्दे समझाये और अिस मामलेको मानवताकी दयालु दृष्टि और सहानुभूतिसे देखनेकी प्रार्थना की। डाक्टर साहवने मोतीकी शारीरिक जाँच की और अपनी राय दी कि मोतीकी अुम्र और हालतको देखते अुसका जीवन वारह-चौदह सालसे अधिक टिक सके, अैसा मालूम नही होता, अिसलिअे अुसे रिहा करनेमे कोअी दिक्कत नजर नही आती।

रिहाअीकी दिगामे अेक वड़ी खाअी पार हुअी। अुसके वाद १८ नवम्वर '४३ के रोज वम्वअी सरकारके पास रिहाअीकी अर्ज़ी भेज दी गअी। अिस वीच जेलके अिन्स्पेक्टर जनरल अहमदावादकी जेल देखने आये थे। अिसका भी मैंने खासा फ़ायदा अुठाया।

: ३ :

अर्जीमे क्या लिखा गया था? पहला मुद्दा तो यह था कि

मोती स्वेच्छासे डकैत नहीं बना था। वह अेक प्रामाणिक नागरिकके तौरपर अपनी बूढ़ी माँ, जवान पत्नी और बच्चेके साथ खेती और मजदूरी करके अपना गुजारा करता था। अिस बीच अेक दुर्घटना हुअी, जिसके परिणामस्वरूप बिना किसी अपराधके मोतीके साथ अेक सामाजिक अन्याय हुआ, अुसकी सुखी जिन्दगी मिट्टीमें मिली। किसीने अुसका अिन्साफ नहीं किया बल्कि गाँवके प्रतिष्ठित आदमियोंने अुसके साथ फरेब और दगाका बर्ताव किया, तब खुद ही अपने हाथों अिन्साफ पानेके लिअे अुसने अन्याय करनेवालोंमेंसे अेकका खून किया। कानूनकी भाषामें कहूँ तो अुस आदमीको मोतीने मौतकी सजा दी। मोती अगर किसी सरकारी ओहदेपर होता तो अुसकी अिस सजाको लोग खून न कहते। लेकिन वह अेक छोटा आदमी था। अिस कारण अुसके प्रति अन्याय करनेवाले प्रतिष्ठित नागरिककी हैसियतमें रहे और मोतीको खूनी कहा गया।

खून करके पुलिससे बचनेके लिअे वह घरसे भागा और करीब आठ महीनेतक गाँवके अिधर-अुधर छिपकर घूमता रहा। अुसे और अुसके कुटुम्बियोंको न खानेको मिलता, न कपड़े, न मानसिक शान्ति। अिस सबसे बचनेके लिअे वह डकैतोंकी टोलीमें शामिल हुआ। अुसे अेक तरहसे रक्षा मिली। तंगीसे वह बच गया। साथ ही समाजकी अन्यायपूर्ण रचनाके विरुद्ध सक्रिय विरोध करनेका अुसे मौका मिला। अमीर और जालिमोंको लूटना और गरीबोंको राहत देना, अिस तरह अुसका जीवन बीतने लगा।

अर्जीमें अिस बातपर जोर दिया गया था कि अुसका मामला सहानुभूतिसे देखा जाना चाहिये। शांतिमय जीवन बितानेवालेको सरकारी अफसर या समाजके प्रतिष्ठित लोग अन्याय करके

मिट्टीमे मिलावें तो अुसके प्रतिकारको गुनाह या वैर-वृत्तिकी सजा-का पात्र न माना जाय। मूल कारणपर दृष्टि रखकर रहमदिलीसे अुसका विचार करना चाहिये। अर्जीकी यह मुख्य दलील थी।

मुझसे जो हो सकता था, वह किया। यह सतोप मानकर मैंने अर्जीका परिणाम अीश्वरपर छोड़ दिया। अुम्मीद तो थी कि यह वार विलकुल खाली नही जायगा।

अेक रोज सुवह ३ फरवरी, ४४ को जेलके दफ्तरसे संदेशा आया कि मोतीको वड़ौदाकी जेलमें भेजा जायगा। यहाँकी अुसकी वाक़ी सज़ा माफ कर दी गअी। मै तो खुशीसे फूला न समाया। अिसमे आश्चर्य क्या था? ५ फरवरी १९४४ के दिन मोतीको पुलिसके पहरेमें गायकवाड़ सरकारकी ग्यारह सालकी सजा भुगतनेके लिअे वड़ौदा भेज दिया गया।

: ४ :

वादमें १० मार्च १९४४ को मेरी भी सावरमती जेलसे अचानक रिहाअी हो गअी। अुस समय जेलके कैदियोने खूव प्रेम वरसाया। अिस कारण यह प्रसंग स्मृति-स्वरूप वन गया।

ग्यारह सालकी मियाद परिमाण मे कम थी और पाँच-सात सालमे वड़ौदाकी जेलसे मोती छूट सकेगा, अिसकी पूरी सभावना थी। फिर भी अुसकी वढ़ती हुअी अुम्रकी ओर देखते हुअे पाँच साल भी मुझे ज्यादा मालूम हुअे और वड़ौदाके जेलसे अुसे कैसे छुडवाया जाय, यह मेरे लिअे अेक चिन्ताका विपय वन गया।

मुझे वहुत वार कामके लिअे वड़ौदा जाना पड़ता था। अिसलिअे मैंने तय किया कि अुसकी रिहाअी जव होनी होगी तव होगी; पर म जव-जव वड़ौदा जाअू तव-तव जेलमें जाकर मोतीसे मुलाकात करके और पूछताछ करके अुसको आश्वासन देनेका

काम तो करूँगा ही। मुझे यह लिखते खुशी होती है कि अिस निश्चयको मैं अमलमें लानेमें पूरी तरह कामयाब रहा। मोती जैसे अेक साधारण कैदीसे मुझ जैसा आदमी मिलने आता है, अिसका असर जेलके अधिकारियोंपर खासा पड़ा। वे मोतीके प्रति मान और सहानुभूति रखने लगे।

बड़ौदाके मेरे मित्र श्री छोटालाल सुतरियाके द्वारा मैंने मोती-की मुक्तिके लिअे प्रयत्न शुरू किअे। सौभाग्यसे कुछ समय बाद गायकवाड़ सरकारने प्रजा-मंडलके साथ समझौता करके राज्य-शासनमें जनताके प्रतिनिधिके रूपमें श्री छोटाभाअी सुतरियाको लिया। अिसलिअे मेरी कोशिशोंको अेक प्रकारसे वेग मिला। बड़ौदामें यह प्रथा थी कि तात्कालिक मुक्तिके लिअे श्रीमन्त महाराजकी विशेष आज्ञा होनी चाहिये।

विशेष आज्ञा किस तरह प्राप्त की जाय? बड़ौदाके दीवान-साहब या महाराजासे मैं परिचित न था। लेकिन अिस दिशामें अीश्वरने मदद की। जनवरी १९४६ में मैं केन्द्रीय धारासभाका अध्यक्ष चुना गया। यह संभव था कि अिस पदकी प्रतिष्ठाके कारण मेरे शब्दोंको अुचित महत्व मिलता, अिसलिअे भाअी सुतरियाकी सूचनाके मुताबिक वहाँके दीवान सर बी० अेल० मित्तरके साथ प्रत्यक्ष जानपहचान न होते हुअे भी, मैंने अेक व्यक्तिगत पत्र लिखकर मोतीकी रिहाअीकी प्रार्थना की। अुन्होंने अुसे स्वीकार करके श्रीमन्त प्रतापसिंहरावकी जो अुस समय विलायतमें थे, तारसे मंजूरी मँगा ली और अिस तरह मोती-को रिहा करनेका हुक्म हुआ।

: ५ :

मोती मेरे यहाँसे अपने घर गया। तबसे वह खेती और

मजदूरी करके अपना जीवन शांतिमय तरीकेसे बिताता है। पैसोंकी थोड़ी मदद करके अुसे कुछ जमीन दिलवायी है। कभी-कभी वह मेरे यहाँ आता है और कुछ काम हो तो ठहरता भी है। अुसे कहना नही पड़ता कि तुम रह जाओ। मेरे बड़े लड़केके विवाहका निमंत्रण मैंने अुसे भेजा तो वह शादीसे आठ दिन पहले आ गया। अुसे देखकर मैंने कहा, "मोती, मालूम होता है, तुम तारीख भूल गअे। शादीको तो अभी आठ दिन बाकी है।"

वह बोला, "दादा, मै तारीख भूला नही हूँ। कोअी मै मेहमान हूँ जो ठीक शादीके वक्तपर आअू। शादीके कामकाजमें मैं क्यो न हाथ बटाअू। अब काम दीजिये। मै जल्दी अिसलिअे आया हूँ।"

मोतीके खेतमे फली या तरकारी होती है तो वह ले आता है। मैंने अेक रोज हँसते-हँसते कहा, "भले आदमी, ये चीजे तुम लाते हो, यह तो मै समझ सकता हूँ। लेकिन सामान लाने-ले जानेके बारेमे सरकारने अितने कायदे-क़ानून बना दिये है, अुसमे तुम शायद किसी-न-किसी क़ानूनका भंग करते होगे। तुम्हारे पाससे फली या तरकारी लेना, यह भी मेरे लिअे कोअी-न-कोअी अपराध हो सकता है। अिसलिअे अब तुम अिस झंझटमें मत पड़ो और अपनेको और मुझे भी अनजानेमे किये जानेवाले अिस क़ानून-भंगसे बचा लो।"

मोती हँसकर कहने लगा, "साहब, अैसे कानूनकी मुझे परवाह नही है। मै तो लाअूगा ही और आपको लेना ही होगा।"

कितना प्रेमल हृदय ![1]*

---

१. मोतीके पूर्वजीवनकी कथा स्व. श्री झवेरचंद मेघाणीकी लिखी हुई गुजराती पुस्तक 'माणसाअीना दीवा' में दी गई है

विविध
(तीसरा खंड)

· १२ ·

अुदारचित्त बापू

"क्यों बापू ? क्या हाल है ? तुम्हें कुछ खास कहना है क्या ? क्या है, कहो न !"

"दादासाहब, क्या बताअूँ ? पिछले सात-आठ महीनोंसे मेरे पैरोंमें बराबर डंडा-बेडी है। अुनके मारे मैं तंग आ गया हूँ। अैसा कुछ कीजिये कि किसी तरह यह डंडा-बेड़ी हट जाय।

अुसका वह दुःखी, हताश चेहरा देखकर और अिस तरहकी गिडगिडाहट भरा अनुरोध सुनकर सहज ही तरस आ गया और अुसके बारेमें पूछ-ताछ करनेका मनमें निश्चय करके मैंने कहा, "बापू, अरे अितने दिनों तेरी डंडा-बेडी चालू रखनेवाले जेलर निर्दयी नहीं हैं। मुझे पता है कि अुनका हृदय कोमल है। तुमने कभी अुनसे प्रार्थना की ?"

वह बोला, 'अेकबार नहीं, कअी बार।"

"फिर ?"

"वे सुनते ही नहीं। मैं विनती करता तो वे हँस देते हैं और ध्यान न देकर आगे बढ जाते हैं।"

'यह तो बड़ी अजीब बात है। अैसा वे क्यों करते हैं ? अिसका कुछ कारण होगा। तुम्हारी ही कोअी गलती होगी। तू ही कुछ अुल्टी-सीधी बातें करता होगा, नहीं तो वे डंडा-बेड़ी लगातार चालू कभी नहीं रखते।"

"सचमुच मेरा अिसमें कोअी दोष नहीं है।' अुसने कहा।

"अच्छा, यही सही। मै अुनसे पूछूँगा और जो कुछ मुमकिन हो सकेगा कोशिश कर देखूँगा।" कहकर मै आगे बढ़ गया।

अेक दिन अपने नियमित दौरेमे जेलकी सामान्य वस्तीसे दूर स्वतत्र कोठरियोंकी तरफ कैदियोसे मिलते हुअे, पूछ-ताछ करते हुअे जा रहा था कि अेक वद कोठरीके जगलेके पास, पैरोमें डंडा-वेड़ी पहने वापू खड़ा था। दोनो हाथोंसे लोहेके छड़ अुसने पकड़े थे, और कुछ-न-कुछ वोलनेको अुत्सुक हो अैसी मुद्रामे और तैयारीसे मेरी ओर देख रहा था। अुस समय मेरी और अुसकी जो बातचीत हुअी वह अूपर दी है।

पत्नीको मारने-पीटनेके अपराधमे क़रीव दो सालकी सजा वापूको हुअी थी। वीच-वीचमे वह जवर्दस्त शरारत करता और कैदियोसे मार-पीट करता रहता था, अिसलिअे अुसे साधारण कैदियोंसे दूर और अलग रखी हुअी कोठरियोमेसे अेकमें अकेले रखा था। सामान्यत. अुस कोठरीका जंगला हमेशा वंद रखा जाता और वाहरसे ताला रहता था। जो कैदी अनुशासनमें नही रहते, जिनमे अेकदम मारपीट करने की वृत्ति दिखाअी देती है—जरा-सा पागलपनका अंश होता है—सुरक्षाकी दृष्टिसे अुन्हे अन्य कैदियोंसे अलग रखा जाता था। अुन्हींमेसे वापू भी अेक था।

वावू स्नेहमय, सहृदय, अत्यत भावुक और किसी कारण गुस्सैल था। अुसमे स्त्री-लपटताका तेल और डाल गया। उसकी अिच्छाके अनुसार जव चाहे तव अुसकी स्त्री अनुकूल न हो या पास न हो तो अुसका दिमाग ठिकाने नही रहता था, और वह पागलोंकी तरह व्यवहार करने लगता था। गाली-गलौज, मार-

पीट सबकुछ करता, परंतु दिमाग ठंडा हो जानेपर अुसे पश्चात्ताप भी होता। अपनी स्त्रीके प्रति अुसकी आसक्ति केवल विषयासक्ति नही थी। अुसे अुसके प्रति बेहद प्रेम भी था; परन्तु प्रेमके अथवा गुस्सेके पागलपनमे परिणामकी दृष्टिसे विशेष अंतर क्या होता? पागलपन आखिर पागलपन है! अैसे ही पागलपनके अेक झोकमे वह पत्नीको बुरी तरह मार बैठा। अुसे जेलकी शारीरिक यातनाअोंका दुख नही था। परंतु पत्नीकी याद, अुसपरकी आसक्ति अौर वियोगके कारण वह घबड़ा अुठता अौर फिर अुसका सारा आत्म-नियंत्रण जैसे हवा हो जाता।

अुस दिन बापूसे मिलनेके बाद जेलरकी अौर मेरी सदाकी भाँति भेट हुअी। अुस समय मैने बापूकी डंडा-बेड़ीके बारेमे भी पूछा। जेलर जोजेफ सचमुच बड़े दयालु थे। मैने अुनसे पूछा, "जोजेफ, अुस बेचारे बापूको छ-छ. महीने की डंडा-बेड़ी दी है, यह कैसी निष्ठुरता है! अैसा क्यों करते है? जानबूझकर ऐसा करनेवाले व्यक्ति आप नही है, यह मै जानता हूँ। तब अिस तरहसे अुसे अलग अौर डडा-बेड़ीमें रखनेका क्या कारण है?"

श्री जोजेफने बताया कि वह आदमी सीधा-सादा, भोला है पर बड़ा ही गुस्सैल है। अिसी स्वभावके कारण अपने मनपर नियंत्रण न रहनेसे अुसने पत्नीको मारा अौर सजा पाकर यहाँ आया; परंतु मजा यह है कि अुसका स्त्रीपर प्रेम है अौर बीच-बीचमे अपनी स्त्रीके बारेमे विचार करते-करते अुनका दिमाग अेकदम भड़क अुठता है अौर मन पर काबू न रखकर वह मारपीट करने लगता है। मैने अुसे सहानुभूतिसे बहुत कुछ ठिकानेपर लाने का यत्न किया; परंतु मेरा प्रयत्न सफल नही हुआ। तब अुसे अौरोसे दूर रखकर डडा-बेडीका प्रयोग किया। अुनने वह कुछ

सीधा हुआ, परंतु डंडा-वेड़ी दूर करते ही वह फिर मारपीट
लगता है। अिस तरह तीन-चार बार जब अैसा हुआ तब
वेड़ी हटाना मैंने छोड़ दिया।"

"आप अिस तरहसे अेकदम निराश हो जायंगे तो का
चलेगा? अुसपर तरस आना चाहिये। फिर अेकबार
वेड़ी हटानेका प्रयत्न करनेमें आप कोअी विशेष अड़चन त
महसूस करते?" मैंने पूछा।

"मुझे कोअी अड़चन नही। अगर आपकी अैसी ही
हो तो कल ही मैं डंडा-वेड़ी हटा लेता हूँ। परंतु अुसका
फल नही निकलेगा। फिर पहनानी होगी। तब जो कुछ कर
अुसका पूरा विचार करके आप जो कहो, मैं करनेको तैयार

यह सुननेपर मैं स्वाभाविक रूपसे कुछ पसोपेशमें पड़
अब वेड़ी हटानेकी जिम्मेदारी यदि मैंने ली और बापूने फिर
बदमाशीका काम किया तो अुसकी और फिरसे वेड़ी डा
दोहरी जिम्मेदारी मुझपर आनेवाली है। अिस प्रकार "कि
किमकर्मेति" मैं 'मोहित' हो गया। बहुत विचार किया
अंतमें रातको अपनी कोठरीमें बिस्तरेमें सोते हुअे अेक
सूझी। अुसीके अनुसार करनेका निश्चय करके मनको
मिली। थोड़ासा आनंद भी हुआ कि बापू कल डंडा-वेड़ीसे
होगा। आनंदका ज्वार जिसपर आनेवाला था वह दुःख
मुद्रा आँखोंके सामने खडी हो गअी।

दूसरे दिन सवेरे मैं बापूसे मिलने गया और अुससे
"बापू, सचमुच तू डंडा-वेड़ीसे तंग आ गया है? अिनक
निकाल ले अैसा तू चाहता है?"

नही है, यह शका भी आपके मनमे कहाँसे आओ? कुछ भी कीजिये, कैसे भी कीजिये, परतु मुझे अिस बेडीके बंधनसे छुडवाअिये।"

"अवश्य छुडवाअूगा, पर अेक शर्तपर। यदि वह तुम्हे कबूल हो तो बताओ। मै अभी जेलर साहबको बुलाकर लाता हूँ और अिसी क्षण तू अिस बेडीकी मगर-जैसी पकडसे छूट जायगा।"

बापू खुशीसे नाच अुठा और बोला, "कहिये, क्या है आपकी शर्त, बताअिये! मुझे सबकुछ कबूल है। जो कुछ आप कहे कबूल है। परतु मुझे यह बेडी नही चाहिये। मुझसे अब यह बरदाश्त नही होती।"

"तो सुन! मैने कल तुम्हारी अिच्छा जेलर साहबसे कही थी और अनुरोध किया था कि तुम्हारी बेडी कुछ दिनके लिअे खोल दे। अुन्होने कहा कि पहले चार-पाँच बार तुम्हारी बेडी खोली गअी थी और तुम्हे मौका दिया गया था, पर तुम्हारा दिमाग काबूमे नही रहता और तुम बार-बार बदमाशी और मारपीट करते हो; अिसलिअे वे तुम्हारी बेडी अब हटाना नही चाहते। अिस बारेमे वे तुम्हारा जामिन चाहते है। वह कौन हो? जेलर साहबने बताया कि मनसे कितना ही वचन देनेपर तुम्हारा दिमाग बार-बार फिर जाता है और तुम होशमे नही रहते। पागलपनके दौरेमे तुम चाहे जो करते हो। तब तुम्हारा जामिन कौन रहेगा? जेलर साहबने पूछा कि क्या आप अुनकी जमानत देगे? मैने कहा कि हाँ, मै जामिन होनेके लिअे तैयार हूँ। पर बापू फिरसे शरारत नही करेगा, अिसका आश्वासन मै कैसे दे सकता हूँ? मै तो दूसरी तरहकी जमानत दे सकता हूँ। जेलरने पूछा 'किस तरहकी जमानत?'"

मैंने बताया, "अगर बापूने फिर गड़बड़ की तो बापूके बदले वह डंडा-बेड़ी मुझे पहना दी जाय और बापूके शांत होनेपर मेरे पैरोंसे हटा दी जाय।"

यह सुनते ही बापू अेकदम गभीर और भयभीत हो गया। क्षणभरके लिअे वह स्तब्ध हो गया। मैं अुसके चेहरेपर चढ़ने और अुतरनेवाले भाव देख रहा था। अुसके पापका प्रायश्चित्त मुझे भोगना पड़ेगा अिस कल्पनासे ही वह द्रवित हो गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, "नही, दादासाहब, आप अैसी जमानत न दे। मेरा दिमाग और मन कभी-कभी ठिकानेपर नही रहता और मैं क्या करता हूँ वह मेरी ही समझमें नही आता। गुस्सेके दौरेमें न जाने क्या मेरे हाथोंसे हो जाता है। मेरी गलतियोंकी सजा आप भुगतें, यह कल्पना ही मुझे भयानक लगती है। आप अैसी जमानत देनेके चक्करमें न पड़ें। जेलर बेड़ी हटाने आये तो भी मैं अुन्हें हटाने न दूँगा।"

भोलेपन और प्रेमकी अैसी पराकाष्ठा का दर्शन करके कौन गद्गद् नही हो अुठता? मैंने अुनसे कहा कि मैंने तो निश्चय कर लिया है कि मैं तुम्हारा जामिन रहूँगा। वह निश्चय तुम्हारे कहनेपर बदलूँगा नहीं, परंतु तुम्हारे पैरोंकी बेड़ी मेरे पैरोंमें पड़े, अिसका अिलाज तुम्हारे हाथमे है। जिस प्रेमके कारण तुम मुझे अितना मानते हो, वही प्रेम तुम्हे अपना मन काबूमे रखनेमें मदद करेगा। यह शर्त हमेशा ध्यानमे रखनेका प्रयत्न करो तो काफ़ी है।"

अुसी समय श्री जोजेफ़को बुलाकर बापूकी बेड़ी दूर करा दी। बापूको बेड़ीसे मुक्त होनेका आनंद तो हुआ ही; लेकिन मुझे भी अेक तरहसे बड़ी धन्यता महसूस हुअी, समाधान हुआ।

बापू अेक साधारण, अनपढ समझा जानेवाला आदमी! परन्तु अपना दुख दूर होनेके लिअे भी दूसरेको दुख न पहुँचे, अिस बातकी चिंता करनेवाला! अिसे अशिक्षित कैसे कहें?

अिसके बाद मेरे जेलमें रहनेतक बापूने कोअी गड़बड़ नहीं की और अुसके पैरोंकी बेड़ी जेलरके दफ्तरमें रह गअी। अुसका और डंडा-बेड़ीका फिर कभी सबब नहीं आया और मैं जेलसे छूटा, अुसके थोड़े दिनों बाद वह भी छूट गया।

: १३ :

दूरदर्शी और साहसी लाखाजी

"साहब, कानूनसे हमे डाकू साबित करके लंबी सजा दी सही; पर हम, कुल मिलाकर, जेलके बाहर सभ्य बनकर घूमनेवाले, भद्र और सुशिक्षित समझे जानेवाले अनेक व्यक्तियोसे ज्यादा अच्छे है। कुछ परिस्थितियोंके कारण और अनेक बार अनियंत्रित भावना अथवा क्रोधके जोरमे हमारे हाथसे कुछ बातें हो गअी। अुसीका प्रायश्चित्त यह सजा समझिये। जेलमे अेक क़ैदी होनेके कारण ही हमे 'नीच' या 'गन्दे' न समझिये। हमे यों न दुरदुराअिये।"

लगभग २४ बरससे कैदमे रहा हुआ लाखाजी नामका काठियावाडसे सजा पाया हुआ अेक क़ैदी बातचीतमे सहज भावसे मुझसे कहने लगा। कॉग्रेसके स्वराज्य-सग्राम और जेल जानेपर बातचीत चल रही थी। लाखाजीकी जीवनी सुनते हुअे यह बात चल पड़ी। जेलमे अनेक प्रकारके कैदियोसे मेरा परिचय ज्यो-ज्यो बढने लगा त्यों-त्यो मेरी अिच्छा प्रबल होने लगी कि अलग-अलग तरहके गुनाह करनेवाले क़ैदियोकी और खास तौरपर लबें सजायाफ्ता कैदियोकी कहानियाँ सुनूं। वे किन कारणोंसे अपराधकी ओर प्रवृत्त हुअे, जेलमे अुन्हें क्या-क्या तजुरबे हुअे, अुनकी सामान्य वृत्तिया किस तरहकी थी और है, ये सब बाते जानूं। अिस कारण अैसे कैदियोसे मै अुनकी जीवन-कथा पूछा करता था। अैसे कैदियोमेसे अेक था लाखाजी।

साधारण ऊंचाअी, सुदृढ़ शरीर, काला वर्ण, परन्तु अत्यन्त सतेज आँखें और दोनों ओर सुन्दर ढंगसे सवारी और मोड़ी हुअी दाढ़ी, 'मियाणा' जातिका वह मुसलमान कैदी था। 'मियाणे' लोग शूर, साहसी, चाहे जो करनेमें न हिचकिचानेवाले परन्तु साथ ही हृदयके अुदार और कोमल होते हैं। गरीबोंकी मददको दौड़कर जाना, संकट-ग्रस्तोंकी मदद करना आदि क्षात्र प्रवृत्ति अुनमें अभी भी दिखाअी देती है।

लालाजीके साथ भारतकी आजकी दशाके बारेमें चर्चा हुअी। गहन राजनीति वह क्या समझे? अेक सामान्य बुद्धिका पर चतुर व्यक्ति वह था। स्वराज्यकी लड़ाअियोंमें जो लोग जेलमें आते थे अुन्हें अन्य कैदी 'भाषणिया' कहा करते थे। बहुत पहलेसे (लोकमान्य तिलकके समयसे) अधिकतर राजनैतिक कैदी राजद्रोही भाषण अथवा लेखोंके कारण जेलमें आते थे। अिस कारण राजनैतिक बंदीके जेलमें आनेपर वह या तो भाषण या लेखनके कारण जेल आया होगा, अैसा कैदियोंका आम खयाल था। और अिसी कारणसे अुसे 'भाषणिया' कहते थे। और अिन 'भाषणिया' के बारेमें अुनके मनमें आदर भी था। राजनैतिक कारणोंसे खून, डाकेजनी वगैरा बातें बादमें होने लगीं और सविनय कानूनभंग तो अुसके भी बाद आया। तो भी सामान्यतः राजनैतिक कैदियोंको 'भाषणिया' के नामसे पुकारा जाता था।

परन्तु लालाजीके कहनेमें जरा व्यंग्यार्थ भी था। खुद जिस ढंगसे अुसने बात की अुसमें अुसका मुद्दा यह था कि १९३० से हमारे साथमें आये हुअे 'भाषणिये' लोग जिस ढंगके होने चाहिये थे वैसे नहीं थे, और अिसी कारण अुसका कहना था कि खून करने या डाके डालनेवालोंका मूल्यांकन समग्र दृष्टिसे करना

चाहिये। केवल अेक गुनाह अुसने किया, अिसलिअे अुसे हीन मानना अुचित नहीं।

अिसी मुद्देको स्पष्ट करते हुअे लाखाजीने आगे कहा, "साहब, आजतक चार बार कांग्रेस जेलमे आअी, यह मैंने देखा। पहले सन् बीस-अिक्कीस में, दूसरी बार सन् तीस से चौतीस मे, तीसरी बार चालीस-अिकतालीस मे और अब चौथी बार १९४२ मे। परंतु जैसे-जैसे समय बीत रहा है, त्यों-त्यों कांग्रेस-वालोंका रंग अुतरता जा रहा है। सचाअी, त्याग, सेवाभाव, देश-प्रेम, हिम्मत, बहादुरी ये सब सद्गुण जिस प्रमाणमे १९२०-२१ में और उसके बाद १९३०–३१ मे देखे गअे, वे अब बहुत थोड़े लोगोंमे दिखाअी देते हैं।"

अुसने सचाअी, चारित्र्य, सेवाभावपर जोर दिया था, यह स्पष्ट है।

"अैसे सैनिकोंके बलपर स्वराज्य कैसे टिकेगा?" यह अुसका सवाल बहुत मार्मिक, अर्थपूर्ण और विचार-प्रेरक था। राजनैतिक कैदी जब अिन लंबे सजायाफ्ता कैदियोंकी ओर 'वे चोर है, डाकू हैं' अैसा समझकर लापरवाहीसे और कुछ हिकारतसे देखते तब लाखाजीको अुनपर क्रोध आता था। कुछ अंशोंमें वह न्याय्य भी था, अैसा कहना अनुचित न होगा।

१९३०–३२ तकके कुछ राजनैतिक कैदियोकी लाखाजी मुक्तकंठसे प्रशसा करता था। साबरमती जेलमें परमानंद नामके पंजाबके भाअी पच्चीस बरस तक थे। अुनके लिअे लाखाजीके मनमें बड़ा आदर था। अुसी तरहसे महात्मा गाँधी, सरदार पटेल आदि नेताओंके बारेमे भी अत्यंत आदर था। वह कअी बार मुझसे कहता, "दादासाहब, कांग्रेसके बड़े-बड़े

नेता लोग या आप जैसा कोअी कांग्रेसवाला मुझे जो कहे वह मै माननेको और अपनी जान भी देनेको तैयार हूँ. परन्तु दूसरे ैरे-गैरोंका नेतापन माननेको मै तैयार नही हूँ।'

अुनकी यह राय और आलोचना हमारे 'याडं' मे शामकी प्रार्थनाके बाद मैने मित्रोंको बताअी और कहा कि "हम अन्तर्मुख बनकर अिसपर विचार करे।" परन्तु दुर्भाग्यकी बात यह थी कि अतर्मुख होनेके बदले बहुत-से लोग मुझपर नाराज ही हुअे। "लालाजी जैसा अेक नालायक, चोर, डाकू अिस प्रकार कुछ कहता है और आप अुसे सुन कैसे लेते है?" मेरे कुछ मित्र अैसा कहते थे। कुछ लोगो को यहाँ तक भी लगा कि अिस तरहकी बाते सुन लेनेमें ही मैने कांग्रेस-द्रोह किया। पर मुझे कभी भी अैसा नही लगा। लालाजीका मत सही था या गलत, यह बात दूसरी है; परतु अुसका यह मत क्यो हुआ, अिसका विचार करना आवश्यक है, अैसा मुझे लगा। अलग-अलग समय मे और अलग-अलग परिस्थितियोमे अुनका कांग्रेस कैदियोसे सपर्क हुआ और अुस कारण तुलनात्मक दृष्टि से अुन्हे जो महसूस हुआ, वह वही कहता था। मेरा आज भी निश्चित मत है कि वह सुनना केवल सौजन्यके लिअे ही नही, बल्कि हितके लिअे भी आवश्यक था।

परतु अुसके बोलनेमे थोडा रोब भी था। अुनके स्वाभिमान को जैसे ठेस लगी। अपनेसे भी गुणोंमें बहुत हल्के ढंगके लोग अपने आपको बडा समझकर औरोंको हल्का समझते थे, यह बात अुनकी बर्दाश्तके बाहर थी।

लालाजीने अपने जीवनकी अनेक बाते बताअी। दुर्भाग्यसे सब नोट कर लेनेका वक्त मेरे पास नहीं होता था. परन्तु वे सब बाते अध्ययन की दृष्टिसे नोट करनेकी कुछ मित्रोने बार-बार

प्रार्थना की, परंतु वह सफल नही हुअी।

लाखाजीके डाकू-जीवनकी अेक ही वात अैसे लोगोंके अनेकविध गुणोंका कुछ अन्दाज करानेके लिअे काफी होगी। साथ ही अैसा भी लगता है कि अैसे गुणोका अुपयोग राष्ट्रके काममे करनेके वजाय अिन लोगोंको जेलमें वंद करके रखा जाता है, यह कितनी शोचनीय वात है! अुस समय तो विदेशी सरकार थी, परंतु अव अपने स्वराज्यमें तो अपराध और अपराधियोंके वारेमे अलग तरहसे हम सोचेंगे, अैसी आशा रखे।

: २ :

लाखाजी बोलनेके प्रवाहमे कहने लगा, "क्या कहूँ दादासाहव, अुस दिन हमारी खूव फजीहत हुअी! और वादमे मजा भी आया। हमारी टोलीने अेक गाँवमे रातमे डाका डालनेकी योजना की। अिस गाँवके चारो ओर परकोटा था और रातको दरवाजे वद होते थे। हमारे अिरादेकी खवर पुलिसको किसी तरह पहले ही लग गअी, अिस कारण लगभग सौ-सवा सौ सशस्त्र पुलिसकी टुकड़ीने परकोटेसे सटी, वीचके खुले चौक वाली धर्मशालामे अपना अड्डा जमाया और हम लोगोके गाँवमें घुसते ही हमारा पूरी तरह सामना करनेकी पक्की तैयारी कर ली।

धर्मशालाके चारों ओर वरामदे थे और वीचमे खुला आँगन था। शहरके परकोटेपरसे कूदकर अंदर सीधे आ सके, अैसी अेक जगह थी। धर्मशालाका आँगन खुला रखकर पुलिसने अपना डेरा वरामदेमें जमाया था।

"हम वहुत करके अुसी रातको अुस गाँवमे जा पहुँचेंगे, अैसी खवर अुन्हे थी, फिर भी अुन्हे निश्चय न था कि हम अुसी रातको वहाँ पहुँचेंगे या दूसरी रातको, दूसरे रातको हम कव

आवेंगे—आधी रातको या सवेरे या और किसी वक्त—अिसकी
भी अुन्हें कल्पना न थी। अिसलिअे हमेशाकी तरह अपनी सगीन-
वाली बदूकें अेक-दूसरेसे खड़ी टिकाकर पुलिस गाढ़ निद्रामें डूब
गअी। धर्मशालामें पुलिस है, ऐसा हमने नहीं सोचा था, तब अुनकी
अिस तैयारीका खयाल कहाँसे होता!

"हम दीवारपर चढ़कर यह पता लगा रहे थे कि कोअी खतरा
तो नहीं है। संयोगसे हम धर्मशालाके अूपरवाले कोटपर थे।
धर्मशालाके अहातेमें हमें कोअी दिखायी नहीं दिया। वहाँसे
अंदर कूदने जैसी जगह दिखाअी देते ही हमने अंदर जानेका
निश्चय किया। गाँवके आस-पासके कोटके मुख्य दरवाजेके पास
धर्मशाला थी। अिसलिअे वहाँसे कूदनेवालेको भागकर मुख्य
द्वार खोलकर बाहरवाले साथियोंको अंदर लेना आसान और
सुविधा-जनक था।

"अैसी स्थितिमें हम तीन-चार लोगोंने आधी रातके बाद
कोटपरसे धर्मशालाके अहातेमें कूदनेका निश्चय किया। सांपने
जबड़ा खोला हो और मेंढक अुसमें कूद पड़े, अैसा ही कुछ
मामला हुआ! कूदते ही गलती समझमें आ गअी। पर अब
क्या करें? कुछ तो करना ही चाहिये, नहीं तो हमारी मौत
हमारे सामने साक्षात ही खड़ी थी। सद्भाग्यसे हमने प्रसंगा-
वधान रखा। खुली जगहके चारों ओर बरामदेमें सोये हुअे पुलिस
और वहाँ रहनेवाले तीन-चार पहरेदारोंको देखते ही हमने
अलग-अलग दिशाओंसे टूटकर अुनसे अैसी फुरती की कि वे देखते
चकित रह गये। बादमें अुनकी ही बदूकें और अुनके ही कारतूस
लेकर हम जमकर खड़े हो गये। बदूकें तानी और जोरसे गरजे—
"खबरदार, जो अुठेगा या जरा भी हिलेगा वह जानसे हाथ

धोयेगा।" यह कहकर मिनट आधा मिनट ठहरकर हम सब वहाँसे पहले धीमे-धीमे और बादमें भागते हुअे कोटके बाहर आ गये। बादमें पुलिसकी सीटियाँ बजनी शुरू हुअी। सबको स्थिति समझकर तैयार होकर बाहर आनेमे कम-से-कम १५ मिनट लगे होंगे। तबतक हम बहुत आगे निकल गये थे। वहाँ बचावकी जगह देखकर हमने अड्डा जमाया और गाँवकी ओरसे आनेवाली पुलिसकी आहट सुनते ही गोलियाँ दागना शुरू कर दिया। हमारे आगे आनेकी किसकी हिम्मत होती? पुलिस अिधर-अुधर कुछ देरतक आवाज करके वापस चली गअी और हमे वहाँसे खिसक जानेका अच्छा मौक़ा मिल गया।"

"बड़ा ही आश्चर्य है! सौ सवा सौ पुलिस बंदूक और गोलियोंसे तैयार थे और वे तुम चार लोगोसे डर कैसे गये? तुम्हारा पीछा करके सहज ही तुम्हे घेर सकते थे और गोलियोंकी वर्षा करके कम-से-कम अेकको तो मार ही सकते थे। लाखाजी तुम कहते हो अैसा सचमुचमे हुआ भी या यह सब मनगढंत है,?" मैंने पूछा।

"सचमुच दादासाहब, जो कुछ मै कह रहा हूँ वही हुआ। फिजूल झूठ क्यों बोलू? पर दादा-साहब, जो हुआ अुसमे अचरज करनेकी कौनसी बात है? ये लोग सरकारका वेतन पानेवाले सिर्फ वेतनके लिअे नौकरीमें घुसे हुअे है! अिनमेसे कोअी भी मरनेके लिअे क्यों तैयार होता? वे भागे, अिसमें कोअी आश्चर्य-की बात नही। अुलटे अुन्होंने हमारा पीछा किया होता और प्राण संकटमें डाले होते तो आश्चर्य था! फिर यह भी देखिये कि हम तो प्राणोंपर खेल जानेवाले थे। बचें तो बचे, नही तो मौत तो निश्चित थी ही। अिसके विपरीत पुलिसकी दूसरी बात

थी। मनुष्य त्याग या पराक्रम करता है तो अपनत्वकी भावनासे भी अपना आदर्श सिद्ध करनेके लिये करता है। केवल पेटके लिये जो किया जाता है, उसे भाड़ेके त्यागकी मर्यादा होती है।"

लालाजीकी यह बात सुनकर मुझे उनके सामान्य व्यवहार-ज्ञान और मनुष्यस्वभावके ज्ञानपर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह आदमी सचमुच हम समझते है वैसा गँवार और गुण्डे जैसा न होकर चतुर है और उसमे भी अनेक प्रकारके गुण है, ऐसा मुझे अनुभव हुआ।

: ३ :

एक बार वह मुझे कहने लगा, "दादा साहब, १९२१-२२ मे कांग्रेस और अबकी कांग्रेस (१९३२-४४) मे ज़मीन-आसमान का फर्क पड़ गया है। आजकलके आप लोग जेलमे आनेपर जरा भी तकलीफ नही सह सकते! हर मामलेमें आपको सुख-सुविधाये चाहिये। और उनके लिये कभी कांग्रेसवाले हमें भी शरम आवे, ऐसे लालच वार्डरोंको देते है, अधिकारियोकी खुशामदे करते है, कायरता दिखलाते है! ऐसे लोग क्या आपके स्वराज्यके लिये अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर प्राणार्पण करने वाले है? स्वार्थ छोड़कर गरीबोकी सेवा करनेवाले है? आप समझदार है। इससे सब समझते है। परंतु यदि आप इन लोगोकी ताकतपर स्वराज्य चलानेके भ्रममे हो तो निश्चित ही मुहके बल गिरनेवाले है।"

धोखेकी सूचना देनेवाले उनके ये शब्द थे!

लालाजीने और भी कई बातें बतायी। इन डाकू लोगो का एक तरह का दर्शन या कार्यनीति थी। उसे सामाजिक अथवा राजनैतिक दर्शन चाहे कहें या न कहें, परन्तु उनमे अन्याय के

प्रति साधारणत. चिढ, गरीबों के प्रति सहानुभूति, स्त्रियों के प्रति आदर आदि गुण वहुत अशो मे विद्यमान थे । लाखाजी कहता था, "अपने पेट के लिअे या मौज के लिअे हमने कभी किसीको नही लूटा। गरीबोंपर हमने अत्याचार नही किये, स्त्रियो को कभी कष्ट नही दिया । अुलटे अुनके साथ हमने अपनी माताओ और वहनो जैसा आदर प्रकट किया। ससुराल जानेवाली नववधू या गर्भवती स्त्री राह मे मिली तो अुसे लूटने के वजाय अुसे अपने पाससे अलंकार-वस्त्र आदि देकर अुसे अुसके घर तक पहुचाया। हमने पैसे का सग्रह कभी नही किया। कर नही सकते थे, यह भी सच है। परन्तु इन समाज-कटकोको सजा देना हम अपना कर्त्तव्य समझते थे। गरीवोको देनेके लिअे पैसेवालोंको लूटते थे। अैसा होनेपर भी हम चोर, डाकू, लूटनेवाले और स्वार्थी ! और राजनीति करने वाले हमसे भी श्रेष्ठ, अच्छे ! आप ही विचार कीजिये । हमारा तिरस्कार न कीजिये।"

१० मार्च १९४४ को मेरे सावरमती जेलसे छूटनेके दो वरस वाद लाखाजी जेलसे मुक्त हुआ। वडे प्रेमसे मिलने आया। आजकल वह काठियावाड़ मे (पहले के मालिया राज्य मे) अपने गाँवपर खेती करते हैं। छूटनेपर पुलिस अुसका पीछा करती थी। पर वाद मे मैंने और कुछ मित्रो ने सौराष्ट्र सरकार से आग्रहपूर्वक कहकर अुसे खेतीका काम निर्विघ्न रूपसे करनेकी सुविधा दिलाओी। पिछले दो-तीन वर्षोमे अुसका कोओी समाचार मुझे नही मिला अिससे अुसका सवकुछ ठीक चल रहा होगा,-अैसा अनुमान किया जा सकता है ।

: १४ :

सरकारी तंत्रमें मानवता

"दादा साहब, जेलर साहबके कहनेपर अपने वृद्ध पिताको हम आपके पास ले आये है । अिनकी अुम्र करीब बहत्तर-पचहत्तर की है । मुहमे दांत नहीं है और आंखोंसे कुछ नहीं सूझता । कोअी हाथ पकडकर जबतक अुन्हे ले नही जाता तब-तक अिधर-अुधर घूमना अिनका संभव नही । अिनकी शारीरिक स्थिति और पिछले चौदह बरस तक अिन्होंने जो कैदकी सजा भुगती है, अुसे देखते हुअे अिनके छुटकारेकी सिफारिश स्थानीय जेल कमेटी के पास हमने की थी । अुसपर यह सरकारी हुक्म आया है । अुसे देखिये और हम क्या करे, यह बताअिये ।"

अिस तरहसे अेक तरुण कैदीने अपने छोटे भाअी और बापके साथ आकर मुझसे प्रार्थना की और हुक्मका कागज मेरे हाथों-मे रख दिया ।

सरकारका वह हुक्म देखकर मुझे गुस्सा आया । मन अुदास भी हुआ । अैसा लगा कि— 'क्या है यह हुक्म ? यह हुक्म लिखने वाले सेक्रेटेरियेटके अधिकारीमें क्या कुछ सामान्य ज्ञान या अुसमें मनुष्यता है भी या नहीं ? या सिर्फ आफिसकी कुर्सीपर बैठ कर छोटी-छोटी बातोपर ध्यान देते हुअे सहानुभूति-शून्य रीतिसे नियमोंका पालन ये लोग करते है ।' अिस प्रकारके विचार मेरे मनमे आने लगे । स्वराज्य न होनेसे सरकारी तंत्र मनुष्यता-शून्य है, यह बाहरसे छोटी जान पडनेवाली बात भी स्वतंत्र

की माँगका वड़ा कारण है, अैसा मुझे लगा।

मेरे पास आये हुअे तरुण कैदी, अुसका वाप और छोटा भाअी मूल वोरसद (खेडा जिला) के रहनेवाले थे। अुसके वापके तीन और छोटे भाअी थे। ये सव वोरसदमे (वहाँके पासके अेक देहातमे) संयुक्त परिवार मे रहते थे और खेती करके अपना गुजारा करते थे। खेतकी जमीनके वारेमें अिन लोगोमे और अुनके पासके खेतवालोंमे कुछ लडाअी, गाली-गलौज और आखिरमें मारपीट होकर तीन-चार आदमी मर गये। कुछ अिनकी तरफके, कुछ सामनेवालोंके।

गैर कानूनी सगठन, मार-धाड़, खून वगैरा अिल्जाम लगाकर दोनों पक्षोंको देश-निकाला, कालापानी और अलग-अलग अवधिकी कैदकी सजा हुअी। अुसमे मेरे पास आया हुआ तरुण कैदी, अुसका भाअी, वाप और दो काका, अिन सवको आजीवन काले-पानीकी सजा हुअी! और अुनका सवसे छोटा काका अकेला वचा रह गया। मार-पीटके समय खेतपर न होनेसे वह इस सद्भाग्यसे मुक्त रह सका। परिवारमे स्त्रियाँ और छोटे वच्चे थे।

अिस परिवारमेंसे जो दो चाचा थे, अुनकी दूसरी जेलमे वदली हो गअी थी। वाप और दो लड़के सावरमती जेलमे थे। अिन जेलोंमें अुन्होंने चौदह साल विताये। स्थानीय जेल-कमेटीने लंवी मुद्दतके कैदियोंकी सजाका विचार करते समय, तीनोंमेसे अकेले अशक्त, वृद्ध और अंधे वापका छुटकारा करनेकी सिफ़ारिश की।

सरकारी छुटकारेका हुक्म पढ़कर मुझे अितना गुस्सा होनेका और दुखी होनेका ख़ास कारण क्या था? छुटकारेकी जो शर्त,

सरकारने दी थी, वही पाठकोंके सामने रख दूं। अुनपर विशेष टीकाटिप्पणी करना व्यर्थ है। ये थीं वे शर्तें—

(१) अिस वृद्ध कैदीको सरकारको यह जमानत देनी चाहिये कि अुसे बंधनमुक्त करके छोडनेपर वह किसी प्रकारका कोअी भी अपराध नहीं करेगा। अिस शर्तकी व्यापक भाषा ध्यानमें रखनी चाहिये। केवल मार-पीट जैसा ही नहीं पर कोअी भी 'अपराध' यानी अिसमें सब तरह की छोटी-मोटी बातें आ गअी। गुस्सेसे किसीको गाली दी या अैसा ही कोअी [illegible] हुआ तो शर्त टूट जायगी। परन्तु मुख्य प्रश्न यह है कि जिसे दिखाअी नहीं देता, मुंहमें जिसके दाँत नहीं, चलनेकी शक्ति नहीं, अैसा आदमी गुनाह क्या करेगा? पर यह सब सुनता कौन है? छूटनेवाले कैदीसे 'मै कोअी भी गुनाह नहीं करूँगा।' अैसी जमानत लेनेका नियम है। और अुसीके अनुसार यह शर्त है!

(२) अिस अूपरवाली शर्तके टूटनेपर बाकी सजाकी माफी रद्द हो जायगी और फिर सब बची हुअी सजाको भुगतनेके लिअे जेलमें आना चाहिये। अिसपर क्या लिखें? बहत्तर-पचहत्तर वर्षका बुड्ढा गुनाह करेगा, ऐसा मान भी लें तो भी अुस बाकी बची हुअी दस-पंद्रह वर्षकी सजा देनेमें क्या अर्थ है? परन्तु यह शर्त नियमानुसार ही थी। अिसके आगेकी शर्त तो और भी मजेकी थी।

(३) हत्या जैसा भयानक अपराध बूढ़ेने किया था। अुसे अगर छोड दिया जाय तो भी अुसे बिलाशर्त छोडना अिष्ट नहीं है, अिसलिअे जेलसे बाहर निकलनेपर पांच बरस वह 'अपराधियोंकी बस्तियों' में बितावे। और अिन पांच वर्षोंमें अुसके हाथोंसे कोअी अपराध न हुआ तो ही बादमें अुसका बिलाशर्त

छुटकारा संभव है।

अब यह 'अपराधी वस्ती' (क्रिमिनल सेटलमेंट) क्या है, यह सक्षेपमें बता दू। चारों ओर बड़ी ऊूची दीवारोंके घेरेमे छोटे-छोटे घेरे, जिनके चारों ओर फिर दीवारें। अुनके अदर कोठरिया, जिनमे दिनके समयको छोड़कर शेष समय कैदी ताले मे बंद रहते है, यह तो हुई जेल। अिसके विपरीत अिस वस्तीमे वहुत स्वतंत्रता रहती है। यहाँ किसीको भी तालेमे वद नही रखते। दिनमे वस्तीके अहातेके वाहर जानेकी छूट रहती है। सिर्फ अमुक समय सवेरेसे अमुक समय शामतक वस्तीमे रहना चाहिये ओर वाहर नही जाना चाहिये। अुस वस्तीके आसपास कँटीले तारोका घेरा होता है ओर वाहर जानेका दरवाजा वद रहता है। दिन ओर रात पहरा रहता है।

परतु जेलके कैदीके भोजनकी व्यवस्था करनेका भार सरकार-पर होता है जवकि वस्तीमे वह हो ही, ओसा जरूरी नही है। वाहर जानेकी छूट होनेके कारण मेहनत-मजदूरी करके जीविका कमाओी जा सकती है। जिसे वस्तीका अन्न अच्छा नही लगता, वह खुद कमाकर खा सकता है। अिस तरह जेलके बंदीवासकी अपेक्षा तरुण कैदी वस्तियोमे रहना अधिक पसंद करते है। अिस कारण यह नियम अेक तरहकी सुविधा ही है। परंतु अिस मामलेमे वात यह थी कि अशक्त, बूढ़ा, अंधा कैदी न अपने लड़कोके साथ, न अपने घर अकेले भाओीके साथ! वह ओसी असहाय स्थितिमे अकेला रहे तो कैसे रहे? अिसके अलावा अुम्र, शरीर ओर स्वास्थ्यकी दृष्टिसे वह तो मौतके दरवाजेपर खड़ा है! किसी भी आप्त अिष्टके नजदीक मरनेके वजाय वच्चोंसे दूर, अपराधियोंकी वस्तीमे जहाँ प्रेम ओर सहानुभूतिसे चिता

करनेवाला कोअी न हो, वहाँ अैसी स्थितिमें मरनेके लिअे जाना अुनको कहाँतक अुचित है ?

अैसी हालतमें अुस तरुण कैदीको मैं क्या सलाह दूँ, यह मैंने अेकदम मनमें तय कर लिया। फिर भी अुसे सलाह देनेसे पहले पूछा, "मान लो कि मैं कहता हूँ वैसा ही किया गया और सरकार अगर यह कहे कि वह हुक्म रद्द करके तुम्हारे बापको हम नहीं छोड सकते तो तुम्हे कोअी आपत्ति तो नहीं होगी?' अुस बेचारेको क्या मालूम था? वह मेरे भरोसेपर आया था! तब मैं जिस तरहसे सरकारको लिखनेका विचार कर रहा था अुसके अलग-अलग परिणाम बता देना आवश्यक था। जाहिर था कि अिस मामलेमें साफ दो टूक लड़ाकू वृत्ति धारण करनेसे बूढ़ेका छुटकारा जल्दी हो सकता था। पर कौन जाने, सेक्रेटेरियेटमें बैठे हुअे अधिकारीके दिमागमें क्या विचार हो? शायद वह यह भी समझे कि यह बूढ़ा अिस तरह तीन-पाँच करता है और अकड दिखाता है तो अच्छा है, सड़ने दो अुसे जेलमें ही! परन्तु अैसी सभावना थी कम। अुस तरुण कैदीने ज्यादा विचार न करते हुअे मुझे चटसे अुत्तर दिया, "आप जो कहो, वह मुझे मान्य है। शर्तके साथ रिहाअीका हुक्म रद्द किया जाय तो हमें अुसका कोअी दुःख नहीं होगा।"

अितना आश्वासन मिलनेपर मैं क्यों सकोच करता? विनम्र परन्तु स्पष्ट शब्दोंमें मैंने अपना रोष और दुःख व्यक्त करते हुअे अर्जी दी। अुसके निम्न मुद्दे थे—

(१) "मेरी शारीरिक अवस्था प्रत्यक्ष देखकर [illegible] की हुअी सिफारिश सरकार स्वीकार करती तो अच्छा होता। परन्तु सेक्रेटेरियेटके दफ्तरमें बैठकर प्रत्यक्ष स्थिति क्या है अिसका ज्ञान

न होते हुअे और अुसका विचार न करते हुअे, अजीव शर्तें लगाकर रिहाअीका हुक्म दिया गया, अिसके लिअे हमे अत्यन्त अुद्वेग और दुःख होता है। सरकारी तत्रमे मनुष्यताको स्थान है या नही, अैसी शंका हमे जान पडती है।

(२) "मुझे अगर विलाशर्त्त मुक्त करना न हो तो अपराधियोंकी वस्तीमें जाकर अकेले मरनेकी अपेक्षा, जेलमे अपने दो वच्चोके साथ मरना मै अधिक पसद करता हूँ।

(३) "विलाशर्त्त रिहाअी देनेपर मै वडी खुशीसे वहुत वरसो वाद अपने छोटे भाअीसे मिलने आअूँगा, और परिवारके सव लोगोके साथ प्रसन्न मनसे और शांत चित्तसे प्राणत्याग करूँगा।

"तव सरकार जो चाहे, करे। किसी भी स्थितिमे मैं अेकसा सुखी हूँ। मै किसी तरहका शर्तनामा मानना या जमानत देना नही चाहता।"

अिस अर्जीका तो असर मेरी अपेक्षासे भी अच्छा और जल्दी हुआ। अुसके साथ ही यह भी कहना चाहिये कि जड़वत् सरकारी तत्रमे कभी-कभी मीठी मनुष्यता जतानेवाली वातें हो जाती है।

आठवे दिन वूढेकी विलाशर्त रिहाअीका हुक्म आगया। अितनी जल्दी यह हुक्म आया अिसपर सव आश्चर्य करने लगे। वे तीनो मुझसे मिलने आये और सहज ही सवकी आँखोमें आनंदाश्रु अुमड़े। तीनोंके चेहरोंपर आनंद और कृतज्ञता देखकर मुझे भी वहुत आनद हुआ।

परिशिष्ट

मंगल-दर्शन

अपनी सत्याग्रहकी लड़ाअीका यह शुभ परिणाम समझना जाना चाहिये कि साधारणतया कथित गुनहगारोंको अदालतोंमें दोषी ठहराकर जेल भेजनेका धन्धा करनेवाले वर्गमेंसे कितने ही व्यक्तियोंको जेलों का अनुभव लेनेका अवसर प्राप्त हुआ। सच पूछा जाय तो न्यायाधीश सजा देनेके लिअे जिम्मेदार होते हैं। अुन्हें जेलका प्रत्यक्ष अनुभव होना और भी अधिक महत्व रखता है। किन्तु वकीलोंकी तरह यह वर्ग बिलकुल स्वतन्त्र नहीं होता। अपने पदसे त्याग-पत्र देकर अथवा वेतनकी तिलांजलि देकर कोअी विरला न्यायाधीश ही सत्याग्रह-आन्दोलनमें जेल गया होगा, किन्तु यह सब जानते हैं कि अनेक वकीलोंने जेल-प्रयाण किया है।

सत्याग्रहका मार्ग मानवताका मार्ग है, अिसलिअे यह स्वाभाविक ही था कि जिन वकीलोंमें मानवताका अंश प्रबल था, वे विशेष रूपसे अुसकी ओर आकर्षित हुअे। अैसे मानवतावादी वकील अगर जेलमें जाते हैं तो अुन्हें जेलके कैदियोंको दूसरी ही दृष्टिसे देखनेका अवसर मिलता है। अपराधी कैदियोंकी मदद करने, संभव हो तो अुनकी सजा कम कराने और अुन्हें जल्दी जेलसे मुक्त करानेका वे प्रयत्न करते हैं। हम देखते हैं कि सत्याग्रहके प्रणेता गांधीजीने किस प्रकार सन् १९२२-२३ में यरवदा जेलमें अुनकी सेवामें नियुक्त कैदी-नम्बरदार आदनको अदनकी जेलमें भेजने और संभव हो तो मुक्त होकर अपने देश सोमालीलैंड लौट पानेके लिअे सरकारको अर्जियाँ दी थीं। भारतकी अनेक जेलोंमें अनेक सत्याग्रही वकीलोंने कैदी भाअियोंकी मदद करनेका थोड़ा-बहुत प्रयत्न अवश्य किया होगा। अिस पुस्तकसे यह पता चलता है कि दादासाहब मावलंकरने खासकर सन् १९४२ के आंदोलनके बाद [illegible] जेल-जीवनमें प्राप्त अवसरका लाभ अुठाकर, अिस दिशामें जो सेवा की, वह सचमुच अद्वितीय थी।

फाँसीके अेक प्रसंगपरसे फाँसीके कैदियोंके प्रति दादासाहव मावलकर का हृदय द्रवीभूत हुआ और अुन्होने खूनके अभियुक्तो और अुनमें भी फाँसीकी सज़ा पाये हुअे कैदियोकी सहायता करनेका काम अुठा लिया। अेक होशियार वकीलकी हैसियतसे अपनी तमाम वुद्धि-शक्तिका और अिसके अलावा अपने समस्त हृदय-वलका अुन्होने अिस दिशामें प्रयोग किया। तिरस्कृत गुनहगारोकी सहायता करनेमें अुन्हे यदि काफी सफलता मिली तो कितनीही वार असफलता भी मिली। किन्तु अिस सफलता-विफलताकी पूंजीके पीछे मानवताकी सजीव धाराके साथ अुनका सम्पर्क हुआ और यह अुनकी वडी अुपलब्धि है। कथित गुनहगारो—हत्यारो, फाँसीके कैदियो—की सृष्टि कितनी हरी-भरी, मानवताकी सुधामे परिपूर्ण है, अिसका अुन्हे साक्षात्कार हुआ। यही अिस पुस्तकका सवसे वडा मूल्यवान आकर्षण है। यह कितना वाछनीय है कि अपराधोकी जाँच और न्यायको तराजूपर तौलनेमे व्यस्त रहनेवाला वकील-समुदाय और न्यायाधीशोका वर्ग अिन सच्ची घटनाओकी सृष्टिका मर्म समझनेका प्रयास करे! जिन गुनहगारोको वे आजीवन कारावास या लम्वी कैदकी सज़ा दिलाकर जेलोके सीखचोमे वन्द कर देते है, अैसे सामान्य कैदियोमे अथवा विधाताकी भूलको दुरुस्त करनेके लिअे जिनको फाँसीकी सजा दी जाती है, अुन फाँसीके कैदियोमे अनेक मर्तवा मनुष्यताके अुच्चातिअुच्च तत्त्व विद्यमान है, अिस वातको अगर हमारे वकील और न्यायाधीश समझलें तो कदाचित् अुन्हे अुनके प्रति दूसरे ही प्रकारका व्यवहार करनेका विचार करना पडे। संभव है, सन् १९२० और '४५ के पच्चीस वर्षोमे वकीलोको जेल जानेका जो अवसर मिला, वैसा अवसर वडे पैमानेपर अुन्हें अव नही मिल पायगा। वकीलोकी दुनियामेसे दादासाहव मावलकरने कथित गुनहगार कैदियोंके जीवनका यह जो मगल-दर्शन किया है, वह, हमारी आशा है कि दुनियाके लिअे भविष्यमें काम आयेगा।

(२)

मैंने अिस वातको जान-वूझकर महत्व दिया है कि अेक वकीलको यह मंगल अनुभव हुआ है। दादासाहव अगर वकील न होते तो अुन्हें अिस प्रकारके अनुभवमेंसे गुजरनेका सयोग ही नही मिलता। किन्तु यहाँ

होनेकी संभावना थी । किन्तु आनन्दकी बात है कि सभी प्रसंगोमे गुनह-गार अपने कृत्योका अिकरार करते हैं । सत्यका आश्रय लेनेसे प्रथम चार प्रसंगोमे अभियुक्त बच गअे । अिसपरसे अगर वकीलोको यह विश्वास हो जाय कि अदालतोमें असत्यके बदले सत्यपर आधार रखनेमे बुद्धिमत्ता है तो यह अवश्य ही महत्त्वकी बात होगी। किन्तु अिससे भी अधिक महत्त्वकी बात यह है कि मनुष्यमे सत्यको अपनानेकी कितनी अधिक क्षमता है— मानो यह अुसकी स्वाभाविक प्रकृति ही हो। अिन सब प्रसंगोसे अिसी तथ्यकी प्रतीति होती है। जोखिम अुठा करके भी कानजी, ब्रह्मानन्द बाबाजी और धोलकाकी तरफका किसान सत्य बात प्रकट करते हैं, सोमा और शाहजादा दयाकी अर्ज़ीमे सत्यको स्वीकार करते हैं, महमद मूसा और शिवराम फाँसीके तख्ते पर चढनेसे पहले अपराध स्वीकार करते हैं और माधो ओझा भी सार्वजनिक रूपसे नही तो दादासाहबके सामने तो अवश्य सत्य स्वीकार करता है।

× × ×

ये सब कोअी सत्यवादी न थे। फिर भी वे सत्यका सहारा किसलिअे लेते हैं ? अिसलिअे कि सत्य परमावश्यक वस्तु है। सत्यका सहारा लिया तो मनुष्य फूल-जैसा हल्का बन गया । अुसकी अन्तरात्मापरसे मानो हिमालय-जैसी पत्थरकी शिला हट जाती है और अपने दोषका धब्बा धो डालनेके लिअे वह कमर कस लेता है। दादासाहब कैदी भाअियोको हृदयकी दलीलोसे सत्यकी ओर मोडते हैं। अिसलिअे सत्यके स्वीकारके साथ ही अुन लोगोमे पश्चात्तापका निर्झर कल-कल करके बहने लगता है और अुनके दोष धोकर अुन्हें हलका बना देता है। क्रोधी किन्तु प्रेम करनेवाला पति कहता है, "निश्चय यही है कि जो घटना घटित हुअी है, वह सच-सच कहना है और पत्नीसे क्षमा माँगते हुअे, अीश्वरपर श्रद्धा रखना है।" अुसे फाँसी तो नही, पर चार वर्ष की कैदकी सजा मिली। "कहो, अब आगे अपील करोगे ?"—अिस प्रश्नके अुत्तरमे थोडी देर चुप रहकर वह कहता है, "नही, औरतकी जान गअी तो मेरे लिअे प्रायश्चित्त करनेको चार वर्ष जेलमें बिताना कोअी बडी बात नही होगी।" फाँसीके तख्तेकी ओर पैर बढाते हुअे महमद मूसा कहता है, "मुझे तो

न्याय ही मिला है। मैं अपनी स्त्रीसे क्षमा माँगता हूँ।" शिवराम भी अन्तिम घड़ीमें कहता है, "मेरा खून करनेका अिरादा नहीं था, फिर भी मुझे जो सजा मिली है, अुसे मैं अीश्वरका न्याय मानता हूँ, अिसलिअे मुझे किसी प्रकारका असन्तोष नहीं है।" सोमा सथिने अन्तिम विदा लेते समय प्रार्थना करता है, "मैं पापी हूँ। तेरे प्रति मैंने बड़ा अपराध किया है। मुझे क्षमा करना।" शाहजादा तो बबलीकी हत्या करनेके बाद भी अितना बबलीमय बन गया कि वह कह अुठता है—"जिस दिन मुझे फाँसी लगनेवाली है, अुसी दिन बबली मरी थी। मेरा यह कितना सौभाग्य है कि बबली जिस दिन स्वर्ग सिधारी, अुसी दिन मैं भी अुससे मिलने जानेवाला हूँ!" वह आनंदमें विह्वल है। कलापीकी ये पंक्तियाँ कितनी सार्थक हैं:

"हाँ, पश्चात्तापका निर्झर स्वर्गसे अुतर रहा है। पापी अुसमें डुबकी लगाकर पुण्यशाली बनता है।"

अिन सब सच्ची घटनाओंमें दादासाहबको जो मंगल-दर्शन हुआ है, अुसमें पश्चात्तापके प्रभावका मुझे अेक अत्यन्त महत्त्वका अंश प्रतीत होता है। और यह केवल भावनाके कारण नहीं, बल्कि अिसलिअे कि समाज-संचालनमें—विशेषकर कथित गुनहगारोंको सजा देनेकी समाजकी पद्धतियोंमें पश्चात्तापकी प्रक्रियाका प्रयोग सर्वश्रेष्ठ पद्धति है, यह श्रद्धा अिन घटनाओंसे अधिक दृढ़ बनती है। समाज-यन्त्रके ठीक प्रकार चलते रहनेके लिअे उसमें विक्षेप डालनेवाले तत्त्वोंके विरुद्ध कार्रवाअी करनेका, आत्मरक्षाकी खातिर ही सही, समाजको हक है। किन्तु आज कथित सुधरी हुअी दुनियामें हम विक्षेपकारी तत्त्वोंके साथ जैसा व्यवहार करते हैं, क्या वह समाजके साथ संचालनमें किसी प्रकार सहायक होता है? अगर किसीको बहुत ही बाधक समझा जाता है तो अुसे फाँसी दी जाती है। किन्तु लेखक अेक जगह प्रश्न करता है, "फाँसीकी सजा वर्षोंसे दी जा रही है, फिर भी क्या खून आदिके गुनाह कम हुअे हैं?" स्पष्ट है कि फाँसी, जो खून हो चुका है या आगे होनेवाला है, अुसका अिलाज नहीं है। अन्य विक्षेपकारी तत्त्वोंको जेलमें बंद रखा जाता है। अिससे कुछ तो केवल रोक रखने या सजा देनेका भी साधन होता है। जेलोंकी ऐसी स्थिति है कि मनुष्य छूटता है तो पक्का गुनहगार बनकर निकलता है। चाहे अुसने

देशकी जेल हो, चाहे सुधरे हुओ माने जानेवाले देशोकी जेल, आखिर जेल तो जेल ही है। प्रिंस क्रोपाटकिन साअिबेरियाकी जेल भुगत आये थे और पेरिसके अेक आलीशान जेलमें भी रहे थे। किन्तु अुन्होंने लिखा है कि 'जेल' के रूपमे दोनो अेक सरीखी थी, और सज़ाके खयालने समाजका अहित करनेमे कुछ भी बाकी नही छोड़ा। अिसमें विशेष रूपसे समाजकी दरिद्रता प्रकट होती है। जो मनुष्य जेलमें सज़ा भुगत आता है, वह बाहर आकर अैसा वर्ताव करना शुरू करता है कि वह क़र्ज चुका आया और भला बन गया है, अब अुसे समाजका कुछ भी देना नही है। किन्तु समाज अुसे अिस तरह भला और ऋण-मुक्त स्वीकार करनेसे इन्कार करता है। अिसपर वह बदला लेनेके विचारसे समाजके प्रति और ज्यादा बगावत करता है और ज्यादा गनाह करता है। दूसरे शब्दो में, मानो समाज गुनहगारोको सजा देकर अपनेको ही सजा देता चलता है। अिस स्थितिमें किस प्रकार बचा जाय?

गुनाहोका सच्चा अिलाज धाराओ और अुपधाराओंसे ठसाठस भरे पीनल कोड (दण्ड-विधान) मे नही है, बडी-बडी अदालतोंमे नही है, वकीलोंके बुद्धि-प्रेरित वाणी-विलास और न्यायाधीशोंके खर्चीले फैसलोंमें भी नही है। वह तो कर्ति त गुनहगारोंके हृदयमें ही है, अुनकी अन्तरात्मामें ही है। अुस अिलाजकी परीक्षा करना ज़रूरी है। गुनहगारका जाग्रत अन्तरात्मा जो सज़ा अुसे दे सकेगा, वह समाजकी कोअी भी जेल किस प्रकार दे सकेगी? और अिसमें अतर यह है कि अन्तरात्माकी सज़ा भुगत लेनेवाला गुनहगार वास्तवमें भला बनकर समाजमें प्रविष्ट कर सकेगा। 'ले, तेरी सज़ा भुगत ली, अब क्या है?'—अिस भावनासे नही, बल्कि अपने दोषकी प्रतीतिसे विगलित हृदय होकर विनम्र भावसे समाजके लिअे अधिक अुपयोगी बननेकी प्रसन्नता लिअे हुये वह नया जीवन शुरू करेगा। समाज आज दो टूक न्याय करनेकी अपनी पद्धतिके कारण अपने ही प्रति अन्याय कर रहा है। पता नही अुससे वह कब छूट सकेगा? किन्तु अिसमे शक नही कि लम्बी और धीरजवाली होते हुअे भी गुनाहोंके अिलाजकी सच्ची पद्धतिकी खोज, जाग्रत अन्तरात्माके पश्चात्तापकी दिशामें ही करनी होगी।

दादासाहबने अिन सब घटनाओंमे बातूनी अदालतोंको अुतना ही

महत्त्व दिया है जितना व्यावहारिक रूपमें आवश्यक था, किन्तु मुख्य रूपमें अुनकी दृष्टि सामान्य भाषामें जिसे 'अीश्वरका दरबार' कहा जाता है अुसकी ओर रही है। अिसलिअे जिसे फांसीकी सज़ा हो चुकती है, अुससे वह हाथ धोकर अलग नहीं हो जाते, बल्कि कैदी भाअीके हृदयमें पश्चात्ताप प्रकट करवाकर अुसे अुस सच्ची अदालतके लिअे तैयार करनेकी प्रतीक्षा करते हैं। प्रकट है कि दादासाहबको केवल कैदी भाअीकी सज़ामें कमी करानेमें ही दिलचस्पी नहीं है, बल्कि वह चाहते हैं कि अुसके हाथसे जान या अनजानमें समझ-बूझकर या अुत्तेजनामें हुअे दुष्कृत्यके लिअे वह सच्चे दिलसे पश्चात्ताप अनुभव करे और अिस प्रकार अुसके जीवनके जो दो-चार दिन भी शेष रह गअे हों, अुनमें अुसकी मनुष्यता खिल अुठे। सत्यके स्वीकारके साथ मनुष्य जब अेक बार अन्तरात्माकी सज़ा स्वीकार कर लेता है तो फिर कानूनी अदालतकी सज़ाके होने या न होनेका विशेष महत्त्व नहीं रह जाता। माधो ओझाको कानूनी अदालतमें सत्य विवरण प्रकट न होनेके कारण सज़ा न हो सकी और वह छूट गया। किन्तु अीश्वरके न्यायालयकी ओरसे तो अुसने जब अेक दूसरे मानव-बन्धुके आगे सच्ची बात कह डाली, अुसी क्षणसे पश्चात्तापकी आगमें जलनेकी सज़ा शुरू हो गअी। कानूनी अदालतकी सज़ा भुगतने अथवा अुसे बिना भुगते भी, पश्चात्ताप द्वारा अपने दुष्कृत्यके दागको धो डालनेकी शक्ति गुनहगार माने जानेवाले व्यक्तिमें विद्यमान रहती है और अुसे सक्रिय बनाया जा सकता है, अिसकी प्रतीति अिस प्रसंगमालासे हो जाती है। यह अिसकी कोअी साधारण सार्थकता नहीं है।

× × ×

अन्तमें फांसीकी सज़ा कायम रहे तो फांसीका कैदी अगर स्वस्थता खोअे बिना अुसमेंसे पार हो जाता है तो अिसमें आश्चर्यकी क्या बात! यह स्वाभाविक ही है कि सत्यके स्वीकारसे पश्चात्तापकी आगमें आत्म-कुन्दन जब तप-तपाकर शुद्ध होने लगता है तो मृत्युका भय महत्त्वहीन हो जाता है। दूसरे भागकी प्रथम चार घटनाओंमें हम देखते हैं कि महादेव नूना, शिवराम, सोना और शाहजादा—अिन चारोंने जो मृत्युपर विजय प्राप्त की, अुसमें पश्चात्तापका योग साधारण नहीं था। अिसे चमत्कार

स्वजन वन जानेवाले दादासाहवकी अुपस्थितिका प्रभाव भी पड़ा हो, फाँसीपर लटकनेवाले पाँचों कदियोका प्रेमी होना केवल अकस्मात् नही था। अेकने पत्नीका, तीनने रखैलोका और अेकने रखैलके पतिका खून किया था। कामवृत्ति सहज ही मनुष्यको दुष्कृत्यकी ओर खीच ले जाती है, किन्तु यह शक्तिके अुद्रेककी निशानी है और जव वह शुद्ध होकर सच्चा मार्ग ग्रहण करती है तो कौन वस्तु असाध्य हो सकती है? अपने तथा पराअी स्त्रीके आवाममे ही जिसे आनन्द मिलता था, वही सोमा कहता है, 'यह शरीर आत्माका आवास ही तो है!' क्या यह कम वलिहारी की वात है? सामने खड़ी मृत्युका प्रभाव भी अिसमे अवश्य रहा होगा। गुसाअी वावा ॐकारकी रटन करता हुआ जिस तरह फाँसीपर लटकता है, अुससे अैसा प्रतीत होता है कि निश्चित मृत्युको देखकर भीतरसे ही कुछ अैसी आध्यात्मिक शक्ति प्रकट होनी चाहिये। "मनुष्यकी मनोरचनामे अीश्वरने कौन-सा अैसा तत्व रखा है कि वह मृत्युको सामने देखकर अुसका मुकावला करनेका तत्त्वज्ञान थोड़े ही ममयमे प्राप्त कर लेता है?" अन्यत्र लेखक यह अनुमान करता है, "कदाचित् अपनी मृत्युका तीव्रतासे भान होनेके कारण अुसकी दृष्टि आध्यात्मिक वन जाती है और वह अेक प्रकारकी स्थितप्रज्ञता प्राप्त कर लेता है।"

मानवके दर्शन-शास्त्रका मूल अवश्यभावी मृत्युके तथ्यको गले अुतारनेके प्रयत्नमें, दूसरे शब्दोमें अुसकी असीम अूहापोहमें खोता जाता है। भागवतकी कथा क्या है? परीक्षितको सात दिनके बाद साँप काटेगा और अुसका प्राणहरण करेगा। सात दिन परीक्षित अैसी तत्व-चर्चामें विताता है कि साँप काटकर केवल अुसके शरीरका ही नाश कर सकता है। नचिकेताको पिताने मृत्युके समर्पित किया, अत. अुसने अन्न-पानीका त्याग कर दिया। तीन दिन मृत्युके दरवाज़ेपर अतिथि वनकर पडा रहा, वहाँ मृत्युके मुखसे ही अुसे प्रेय और श्रेयका ज्ञान प्राप्त हुआ। दूसरे शब्दोमें मृत्युको सामने अुपस्थित समझकर शारीरिक रूपमे जीवनमें सहायक प्रेयोको त्यागने और फलस्वरूप आत्म-भावमें—श्रेयमें—स्थिर होनेकी अुसे शिक्षा मिली। आत्म-भाव जागृत करनेमें मृत्यु जैसी वोध देनेवाली और कोअी वस्तु नहीं: वक्ता चास्य त्वादृगन्यो न लभ्य.।

अैसे सामान्य बिना पढ़े-लिखे कैदियोंमें जीवनकी अन्तिम घड़ियोंमें आध्यात्मिक बल कहाँसे आया? लेखकने अुचित ही यह प्रश्न किया है—"अिन लोगोंको हम वस्तुतः कैसे अशिक्षित कह सकते हैं?" आचार्य आनन्दशंकर ध्रुव कहते थे कि अिस देशके लोगोंको निरक्षर भले ही कहना, किन्तु असंस्कारी न कहना। कदाचित पढ़े-लिखे लोगोंकी तुलनामें अिन कथित बेपढ़े-लिखोंमें संस्कारिता अधिक प्रकाशित हो अुठती है। सोनी झेणा दादासाहबके पास जेलमें रहता है। दादा साहब कहते हैं, "अिस कालमें मैंने अत्यन्त निकटसे अुसके अनेक गुणोंका दर्शन किया। मनुष्य अप्रसिद्ध होनेसे भले ही छोटा समझा जाये; किन्तु गुणोंका मूल्यांकन करनेपर मैं अुसे बड़ा आदमी मानूँगा।" और अुनका यह कथन भी योग्य ही है, "हिन्दुस्तानमें अैसे त्यागी व्यक्ति भारतीय संस्कृतिके प्रतीकके रूपमें पड़े हैं, और आज जो अपनी संस्कृति टिकी हुआी है तो वह अिसीलिअे कि अिस प्रकारके छोटे माने जानेवाले मनुष्य प्रजा-वर्गमें बड़ी संख्यामें मौजूद हैं। अगर मैं यह कहूँ तो अनुचित नहीं होगा कि अिसीलिअे हम अेक जातिके रूपमें दुनियामें टिके हुअे हैं।"

यरवदा जेलमें गांधीजीके साथ अुनके साथियोंने प्रार्थनामें शामिल होना बन्द किया, तब 'मित्रों के साथ बिना प्रार्थनामें मुझे अकेलापन महसूस होगा और शायद मैं दुःखी होअूँगा' अैसे कोमल विवेक-भावसे बापूके सगाप्पा चुपचाप आकर सामने बैठ गया और प्रार्थनामें शामिल हुआ था। अुसके गुणोंके बारेमें अुन्होंने लिखा है, "मुझे अिसपर आश्चर्य होता है कि जिस मनुष्यमें अैसा अुच्च चरित्र प्रदर्शित करनेकी शक्ति है, अुसे समाज दण्ड दे सकता है और सरकार अुसे जेलमें रख सकती है। सगाप्पा निरक्षर है। वह राजनीतिक कैदी नहीं है। अुसे खून अथवा अैसे ही किसी अपराधमें सजा हुआी है।' ('यरवदाके अनुभव' में)

गुनहगारोंको समाज जिस दृष्टिसे देखता है और अदालतोंमें वकील और न्यायाधीश अुनकी जिस दृष्टिसे जाँच करते हैं, अुनकी तुलनामें दूसरे किनारे जेलकी दीवारोंके पीछे निकट सहवास द्वारा समझावी सेनाओंको वे कितने भिन्न प्रतीत होते हैं, यह जरा हमें सोच-विचारमें डालने जैसा है।

जेलकी दुनियामें बन्द मनुष्योंमें सत्यकी और प्रेरित होनेकी जो

स्वाभाविक वृत्ति दिखाओी देती है, पश्चात्ताप द्वारा अपने दोषकी शुद्धि करनेकी अुनमें जो तैयारी नज़र आती है, यह सबकुछ होनेपर भी अगर फाँसीकी सजा होती है तो मृत्युपर विजय प्राप्त करनेकी वे आध्यात्मिक शक्ति प्रकट कर सकते है और कुल मिलाकर अुनके जीवनमे जो सस्कारिताका परिचय मिलता है, अुसपरसे अिस प्रसगमालाका नामकरण 'मानवताके झरने' ज़रूर किया जा सकता है ।

ये मानवताके झरने प्रवाहित होते रहे, जेलमे ही गायब न हो जायँ, अिसके लिअे समाजको जेलोंके प्रति समय रहते अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये। गुनहगारोको मानसिक रोगी मानकर अुन्हे समभावसे पुन. स्वस्थ बनानेका यथासभव प्रयत्न करना चाहिये।

अिस बारेमे, सेम्युअल बटलरके प्रभावके नीचे ब्रिटिश श्रम-कार्यालय की रिपोर्ट की प्रस्तावनाके रूपमे शॉ ने और हमारे यहाँ गांधीजीने दिशा दिखाओी है। 'यरवदाके अनुभव' (पृष्ठ ५५-५६) पुस्तकमे गाधीजीने लिखा है:

"जेलमे मनुष्यके श्रमका खूब अपव्यय होता है, जब कि पैसे और साधनोके अुपयोगके बारेमें खूब दरिद्रता देखनेको मिलती है। अस्पतालोमे अिससे अुलटा चलता है। अिसके बावजूद दोनो संस्थाओंकी योजना मानव-व्याधिका अिलाज करनेके लिअे की गअी है—जेल मानसिक और अस्पताल शारीरिक व्याधियोके लिअे। मानसिक व्याधिको अपराधके रूपमे माना जाता है, अतः अुसके लिअे दण्ड दिया जाता है; शारीरिक व्याधिको प्रकृतिकी अकल्पित आपत्ति समझा जाता है और अिसलिअे अुसकी सावधानीपूर्वक सेवा-शुश्रूषा करनी चाहिये । वास्तविक दृष्टिसे अैसा कोअी भेद करनेका कारण नही है... शारीरिक व्याधिके लिअे मृदु कारण यह है कि कथित अूँचे वर्गके लोग निम्न वर्गके लोगोकी अपेक्षा कदाचित् अधिक और बार-बार आरोग्यके नियमोंको तोड़ते है। अिन अुच्च वर्गोंके लोगोंको सामान्य चोरी करनेकी ज़रूरत नही और अगर सामान्य चोरी होती है तो अुनके जीवनक्रममें खलल पड़ता है, अिसलिअे सामान्यत. खुद ही कानून-निर्माता होनेके कारण वे स्थूल चोरीके लिअे दण्ड देते है। किन्तु अुन्हे प्रतिक्षण अिस बातका भान तो होता ही है कि अुनके अपने रंगमंच, जिनके विषयमे कोअी बोलता नही, स्थूल चोरियोकी

अपेक्षा समाजके लिअे अधिक हानिकारक होते है।

"यह भी ध्यानमें रखने योग्य है कि जेल और अस्पताल अयोग्य चिकित्साके कारण ही बढते हैं। अस्पतालोंका विस्तार होता है, कारण रोगियोंको चितापूर्वक सार-सम्हाल रखी जाती है। जेलोंका विस्तार होता है, कारण कैदियोंको सुधरने लायक नही समझकर अुन्हे सजा दी जाती है। . प्रत्येक रोगी और प्रत्येक कैदी जब अस्पताल और जेलसे निकले तो मानसिक और अुसी प्रकार शारीरिक आरोग्यके नियमोंका प्रचारक बनकर निकलना चाहिये।"

(३)

ये सच्ची घटनाये है। अुन्हे लिखनेमें अुनपर कोअी रंग नही चढाया गया है। शैलीमे अेक वकीलकी सतर्कताके साथ सहानुभूतिसे विकल हृदयकी धडकन है। सतर्कताके आग्रहके कारण लेखकको लोग 'गुरु महाराज' समझते थे। अिसका विवरण भी अुन्होने आने दिया है तो कही अिस तरह वर्णन करते है, जिस तरह कोअी बुद्धिपर गर्व करनेवाला व्यक्ति न करेगा। सच्ची बात मालूम करनेकी प्रक्रियामे अैसा अनुभव होता है, कि हम लेखकके सहयोगी नही बन सकते। लेखनमें सजावटका जाग्रत प्रयत्न प्रतीत नही होता। फिर भी 'शाहजादेका प्यार', 'यह सोला ही तो है', 'मोती अेणा' 'बेचारी माँ' 'ब्रह्मानंद बाबाजी' जैसे प्रसग लघु कथाके निकट पहुँच जाते है।

'महमद मूसा' मे लेखककी अपनी कथा भी थोडी शामिल हो गअी है। अिस प्रकारके सभी किस्सोंमें अपनी कथाका शामिल होना अनिवार्य हो जाता है। महमदको मृत्युका सामना करनेका तत्त्वज्ञान समझानेके ढगसे बचनेका लेखकका प्रयत्न वास्तवमे अेक सहृदय और मर्मस्पर्शी प्रकरण है। दादासाहबको अेक व्यावहारिक व्यक्तिकी हैसियतसे समाजकी गुत्थियोंको सुलझानेके अनेक अवसर प्राप्त हुअे होंगे। महमदके अुत्थान प्रकरणका अुन्होने जो समाधान किया, वह अिसका सबूतमे अेक सुन्दर अुदाहरण है। मोती अेणाके प्रति अुनका सहोदर जैसा भाव—अेक पत्रकारका सूक्ष्म भाव भी भला प्रतीत होता है। गोसाअी बाबाको जिस दिन फाँसी मिलनेवाली थी, अुस दिन बडे सबेरे हम दादासाहबको अुनके पास जाकर गीताका पाठ करते हुअे देखते है और दूसरी ओर हम दादासाहबको भारतीय सस्कृ

अध्यक्षके रूपमे देखते है और अुनके अिन दोनो रूपोको अेक साथ देखनेमें कितना सुन्दर दृश्य प्रकट होता है !

दादासाहब अेक कुशल कथाकार वयोवृद्ध व्यक्ति है। जो थोडे भी अुनके सपर्कमें आये है अुन्हे पता होगा कि वर्षो पुरानी घटनाओकी अेक-अेक रेखा शृंखलाबद्ध प्रस्तुत करनेमें अुन्हे कितना रस आता है। अुनमे थोडी विनोदवृत्ति भी है ही। कभी-कभी आँखोमे चमक भी दिखाओ जाती है। भगवा छोडकर सादे कैदीके कपडोमे शोभित ब्रह्मानन्द बाबाजी तीन अंगुलियाँ बताते है, अिस घटनामे वह चमक देखी जा सकती है।

× × ×

अगर हमारे पास आँख हो तो मानव केवल मानवके रूपमे कितना सुन्दर प्रतीत होता है अिसका मंगलदर्शन कराने वाला यह साहित्य भाषाका अमूल्य धन बनकर रहेगा।

हमारे यहाँ (गुजरातीमे) स्वर्गीय मेघाणीने 'जेल आफिसकी खिडकी' और 'मनुष्यताके दीपक' जैसी रचनाओसे साहित्यका गौरव स्थापित किया है। सौभाग्यसे अिस दिशामें अैसी ही अन्य रचनाअे भी पुस्तक-रूपमे और विभिन्न सामयिक पत्रोमे मिलने लगी है। हमारे लोग अनुभवदक्ष गिने जाते है। अनेक व्यक्तियोके सम्पर्कमे आनेवाले हमारे बडे वकील, डाक्टर, अुद्योगपति, व्यापारी, शिक्षक, सार्वजनिक सेवक भी अगर मानव-जीवनके किसी-न-किसी रहस्यपर प्रकाश डालनेवाले प्रसंगोका, जो अुनके अनुभवमे आये हो, आलेखन करे तो अवश्य ही अपनी भाषाके साहित्यको बहुत लाभ होगा। लम्बा वर्णन लिखनेका प्रचलित अभ्यास (अथवा कुअभ्यास) जिसे न हो, अुसे आलस्य आयेगा। किन्तु पृथक् घटनाअे अैसी होती हैं कि अुनकी भाषा अपने-आप मिल जाती है और शैली सप्रमाण रहती है। घटना अपनी रूपरेखा खुद ही बना लेती है।

हम आशा करते है कि दादासाहबसे तो हमको अिस प्रकारका साहित्य मिलेगा ही। मृत्युकी छायामे खडे मानव-बंधुओसे प्रेम करनेवाले और अुनका प्रेम प्राप्त करनेवाले दादा साहबकी मूर्ति अिस पुस्तक द्वारा अक्षय चिरप्रेरणादायी सिद्ध होगी।

अहमदाबाद　　　　—उमाशंकर जोशी